Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ७८ वां दिवस [संख्या १७

सोमवार, दिनांक १९ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, वन, यातायात, शिक्षा, सामुदायिक विकास, वित्त, विकास, देवस्थान, समाज कल्याण एवं श्रम-विभाग]

प्रश्न संख्या ४३५

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३६

श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३७

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३८

श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

ग्राम कंवलदा की प्राइमरी स्कूल का भवन-निर्माण-कार्य

४३९. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपलदा के ग्राम कंवलदा में प्राइमरी स्कूल है ?

(२) क्या यह सच है कि इस स्कूल की इमारत बनाने का ठेका श्री भैरुलाल सलावट को दिया था तथा यह इमारत अधूरी है ? यदि हां, तो क्या इसका कार्य ठेकेदार ने पूरा नहीं किया ?

Page No. 2

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(३) क्या यह सच है कि इस ठेकेदार की जमानत श्री प्रभुलाल आत्मज श्री मोतीलाल छीपा ग्राम पीपल्दा कलां ने दी थी ?

(४) क्या यह सच है कि इस ठेकेदार को ग्राम की जनता ने पूरी रकम चुका दी लेकिन स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ ?

(५) क्या यह सच है कि इस स्कूल के सम्बन्ध में ग्राम की जनता व हैड मास्टर ने तहसीलदार और पंचायत समिति में दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां तो उसका अभी तक क्या निर्णय हुआ ?

(६) क्या सरकार इस स्कूल को जल्दी से जल्दी पूरा करायेगी और ठेकेदार को व जामिन को पाबन्द करेगी जिससे इस स्कूल को पूरा कर सके ? अगर स्कूल को ठेकेदार व जामिन पूरा नहीं कराता है, तो सरकार इनके खिलाफ कार्यवाही नियमित रूप से करवायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हां

(२) जी हां

(३) जी हां

(४) केवल १५१) रु बाकी रह गया है।

(५) जी हां ठेकेदार व जमानतदार पर ५०), ५०) रू. जुर्माना किया गया है।

(६) जी हां, जमानतदार ने तीन माह में इस कार्य को पूरा करने के लिये इकरार किया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसका ठेका कब दिया गया था ?

श्री भीखाभाई : यह पीपलल्दा के ग्राम कंवलदा में प्राइमरी स्कूल का ठेका दिया तथा यह इमारत अधूरी रही, इसकी तारीख तो नहीं है लेकिन १९५७ से अधूरी है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले की तारीख में ठेका दिया गया होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसको कम से कम छः-सात साल हो गये लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहां की जनता ने आधी रकम लगा दी है लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। वहां की जनता ने एप्लीकेशन दी है और वहां के तहसीलदार और विकास अधिकारी से भी मिले हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाय।

श्री भीखाभाई : मैंने कह दिया कि इकरार कर दिया है।

प्रश्न संख्या ४४०

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

भड़क्या व जगपुरा के कूप के कोहड़ा के पेड़ों की नीलामी

४४१. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा

Page No. 3

(श्री जुझारसिंह)

करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भड़क्या व जगपुरा के दो कूप के कोहड़ा के पेड़ पिछले अगस्त, १९६३ में नीलाम गिये गये थे व नीलाम के तुरन्त बाद ही किसी दूसरी पार्टी ने इनकी नीलामी बोली बढ़ाने की अर्जी डी. एफ. ओ. कोटा में पेश कर दी थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि नीलामी बोली बढ़ाने की अर्जी के साथ साथ उक्त पार्टी आॅफिस में रकम जमा कराने को भी तैयार थी लेकिन उनकी रकम जमा नहीं करवाई गई ?

(३) यदि हां, तो दूसरी पार्टियों को मौका नहीं देने का क्या कारण था और इससे सरकार को कितनी रकम का नुकसान हुआ है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी हां, किन्तु उप-वन-संरक्षक, कोटा के आदेशानुसार ७५) प्रतिशत रकम जमा करवानी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने उतनी रकम जमा नहीं करवाई।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : फिर फरमा दीजिये समझ में नहीं आया।

(विराम)

प्रश्न (२) के उत्तर में फरमाया "जी हां" पार्टी रकम जमा कराने के लिए तैयार थी, फिर रकम क्यों जमा नहीं करवाई और उसमें फर्क कितना था ?

श्री भीखाभाई : सेल्स टैक्स के रूल्स अनुसार जो काॅम्पीटेन्ट आॅथोरिटी डी. एफ. ओ. है उसको रकम जमा कराने के लिए आदेश देने का अधिकार था लेकिन उसके आदेश के अनुसार रकम जमा नहीं करवाई इसलिए यह कन्सीडर नहीं हुआ।

श्री जुझारसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरी पार्टी ने बोली लगाई; उसमें और ओरिजिनल बोली, जिसमें ठेका दिया गया, में कितना फर्क था ? और क्या यह सही है कि दूसरी पार्टी ने बोली लगाई वह उसकी रकम जमा कराने के लिए तैयार थी ?

श्री भीखाभाई : बोली नहीं लगाई। हथोड़ा बजने के पहले जो बोली हुई वह कितनी बोली हुई इसके आंकड़े नहीं हैं। लेकिन उसको बोली लगाने का हक नहीं था क्योंकि वह स्वयं प्रेज़ेन्ट था। और हक भी था तो डी. एफ. ओ. ने जिस कदर रकम जमा कराने के लिए कहा था, जब कि डी. एफ. ओ. काॅम्पीटेन्ट आॅथोरिटी था, लेकिन पार्टी ने इतनी रकम जमा नहीं कराई।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि नीलामी की फाइनल सैंक्शन आपने दी है ?

श्री भीखाभाई : नीलामी की फाइनल सैंक्शन यहां नहीं देते है, नीचे ही होती है। जो एप्लीकेशन दी है उसमें जाहिर किया है कि एक आदमी, जो प्रेज़ेन्ट था, ने फिर बोली लगाई। कानूनन जो आदमी प्रेज़ेन्ट है उसको फिर बोली लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की आज्ञा जारी हुई थी। यह कहा गया था कि डी. एफ. ओ. ने कार्यवाही की है वह ठीक है ?

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : स्टे ऑर्डर आपने दिया था या नहीं?

श्री भीखाभाई : दिया था।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय दिया, क्या उस समय सरकार के ध्यान में था कि एक आदमी ने अधिक बोली लगाई है और नीलामी कम में खत्म की है उसका कारण मालूम किया जाय ?

श्री भीखाभाई : जो बोली लगाई, उस समय कॉन्ट्रेक्टर्स की रिंग बनी हुई थी। जिस तारीख को कॉन्ट्रेक्ट दिया उसकी डी.एफ. ओ. की रिपोर्ट थी कि बाईस आदमी प्रेजेन्ट थे. उसके बाद जिस दूसरे आदमी ने सवाई बोली लगाई यह कहकर कि वह वहां प्रेज़ेन्ट नहीं था। उसने कहा कि वह टट्टी गया था। यह दरख्वास्त दी उसने।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के सामने यह कानूनी दिक्कत थी कि जिस नीलामी की ८ हजार की फाइनल सैंक्शन दी है उसको कैंसिल करके जो २४ हजार की बिड देने वाला था उसके पक्ष में नीलामी दी जाती और ऑक्शन किया जाता? इसमें सरकार के सामने कोई कानूनी कठिनाई थी ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि कानूनी कठिनाई उसमें यह थी कि जो आदमी प्रेज़ेन्ट थे, उसकी डी. एफ. ओ. की रिपोर्ट थी कि कॉन्ट्रेक्टर्स की रिंग बनी हुई थी और कोई बोली लगाने के लिए तैयार नहीं था।

श्री भैरोंसिंह: मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि ८ हजार की जगह २४ हजार की ऑफर दी, उस ऑफर को फाइनल सैंक्शन देने से पहले स्वीकार कर लेते; इसमें सरकार के सामने क्या कानूनी बाधा थी ?

श्री भीखाभाई : २४ हजार की रकम बताते हैं, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। उसने कहा था कि जो रकम नीलामी पर लगाई गई है, उससे अधिक बोली देने के लिए तैयार है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि जो नीलाम कर दिया ८ हजार में उसकी जगह २५ हजार रुपये की ऑफर पर फाइनल सैंक्शन कर देते, लेकिन नहीं किया; तो क्या जो ८ हजार की ऑफर थी उसको मंजूर करने की लाएबिलिटी थी, क्या कि ८ हजार की नीलामी हुई है उसको स्वीकार करे और २४ हजार की स्वीकार न करे ?

श्री भीखाभाई : ८ हजार की रकम गलत है और २४ हजार की बात मुझे मालूम नहीं है।

श्री जुझारसिंह : बोली लगने के बाद अगर कोई सवाई बोली लगा देता है, सवा पर्सेन्ट ज्यादा बोली लगा देता है तो बोली रिवाइज़ हो जाती है, क्या इस प्रकार का नियम नहीं है ?

श्री भीखाभाई : नियम यह है कि २४ घण्टे के अन्दर, जो आदमी प्रेज़ेन्ट नहीं हों उसको बोली लगाने का अधिकार है, सवाई बोली लगाने का उसके अनुसार ही डी. एफ. ओ. ने कहा कि वह रकम जमा करा दे क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कई आदमी सवाई बोली फिक्टीशियस तरीके से लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कॉन्ट्रेक्ट को फेल

(श्री भीखाभाई)

करने के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह अधिकार भी है गवर्नमेंट को कि वह किसी नीलाम को कैंसिल भी कर सकती है ?

श्री भीखाभाई : मैं तो यह कहता हूं कि गवर्नमेंट को सब अधिकार हैं ।

श्री भैरोंसिंह : हैं तो फिर उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? जब दो ऑफर्स आती हैं तो ज्यादा वाले को इसलिए मंजूर नहीं किया कि उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी थी कि वह ट्रेज़री में जमा नहीं कराई रकम । लेकिन वह डी. एफ ओ. को रकम केश में देने को तैयार था । फिर भी २४ हजार की बोली मंजूर नहीं की गई और ८ हजार वाली मंजूर की जाती है ; आप उसको कैंसिल कर सकते थे ।

श्री भीखाभाई : जो नियम हैं वे नियम हैं । डी. एफ. ओ. कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है, उसको अधिकार है मौके पर देखने का कि जो बोली लगाई जा रही है वह फिक्टीशिअस तो नहीं है । इसलिए उसने रकम ७५ पर्सेन्ट ट्रेज़री में जमा कराने के लिए कहा, लेकिन जमा नहीं कराई ।

श्री भैरोंसिंह : डी. एफ. ओ. ने फाइनल कब किया ?

श्री भीखाभाई : बोली फाइनल करके भेजा था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फाइनल सैंक्शन कब किया ?

श्री भैरोंसिंह : नीलामी के ऑर्डर को फाइनल कब किया ?

श्री भीखाभाई : ऑक्शन होता है उसके बाद फाइनल सैंक्शन होती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो ऑक्शन करता है उसको फाइनल सैंक्शन देने का अधिकार नहीं है ?

श्री भीखाभाई : नीलाम फाइनल करना अलग है और नीलामी की सैंक्शन (मंजूरी) देना अलग है ।

श्री भैरोंसिंह : नीलामी की सैंक्शन का सवाल और वह सवाल एक है । उन्होंने सैंक्शन नहीं दी है और ऊपर के अधिकारी ने दी है तो कौनसी तारीख को दी है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का यह कहना है कि वह ऑफर थी वह सही थी; जेनुआइन थी या नहीं थी उसका पता लग सकता था अगर वह पैसा जमा कराता ।

श्री भैरोंसिंह : रकम जमा कराने के लिए तैयार था, उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में जमा कराए और उसने कहा कि वह केश पेमेन्ट करने को तैयार है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई तथ्य है कि नकद रुपया.... ..

श्री भैरोंसिंह : तथ्य है ।

श्री भीखाभाई : जिस तरीके से, जिस कदर रकम जमा कराने के लिए कहा वह नहीं कराई।

श्री अध्यक्ष : जमा नहीं कराई, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि नकद रुपया देने के लिये तैयार था ट्रेज़री में जमा कराने के बजाय, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि डी. एफ. ओ. को अधिकार है कि वह चाहे जैसा पर्सेन्ट को जमा कराने के लिए कहे क्योंकि बाज वक्त बिड होती है वह ऑक्शन को फेल करने की दृष्टि से, फिक्टीशिअस रूप से कॉन्ट्रेक्ट को फेल करने की दृष्टि से दूसरे आदमी लगा देते हैं और जब समय निकल जाता है तो बिड लो (low) हो जाती है। मैंने निवेदन किया कि डी. एफ. ओ. ने कहा कि जिस प्रकार की आज्ञा दी थी उसका पार्टी ने पालन नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दीजिये कि डी. एफ. ओ. के पास कैश जमा कराने को तैयार था या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से रुपया जमा कराना चाहिए उस प्रकार से रुपया जमा कराने को तैयार नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि आया वह रुपया जमा कराने को तैयार था या नहीं ?

श्री भीखाभाई: जिस प्रकार से रुपये जमा कराने के आदेश थे उस प्रकार से वह जमा कराने को तैयार नहीं था। He did not deposit the money as required by the D.F.O.

श्री भैरोंसिंह : 'एज़ रिक्वायर्ड' की बात नहीं है। मेरा तो छोटा सा प्रश्न है, वह यह कि आया वह उसी समय रुपया जमा कराने को तैयार था या नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, यदि कोई ठेकेदार रुपया नकदी में जमा कराने को तैयार हो तो वन अधिकारी जो भी उस समय मौके पर मौजूद है, उनको नकद रुपया लेने का अधिकार है या नहीं रूल्स के अनुसार, क्या मंत्री महोदय इस विषय में प्रकाश डालेंगे ?

श्री भीखाभाई : रुपया चालान के जरिये जमा कराने का नियम है और चौथाई रुपया जमा कराना चाहिये; इसलिये उस कान्टेक्टर ने रुपया जमा नहीं कराया जिस प्रकार से कि उस को रुपया जमा कराना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को यह ठेका दिया गया वह वहां के कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष वरियानसिंह हैं।

श्री भीखाभाई : मैं यह तो नहीं जानता कि वे कांग्रेस के वहां के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं या नहीं, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जिसको ठेका दिया गया वह वरियानसिंह है।

एक माननीय सदस्य : २४ हजार और ८ हजार में तो एक बच्चा भी भेद जानता है। एक बोली २४ हजार की थी और दूसरी ८ हजार की; जिस में से आपने आठ हजार वाले को

(एक माननीय सदस्य)

कॉन्ट्रेक्ट दे दिया और २४ हजार वाले को रख दिया। यह ८ हजार और २४ हजार के अन्तर को तो एक बच्चा भी जानता है।

श्री भीखाभाई : जैसा आपने और विरोधी दल के नेता ने पूछा, वे कैश तो ले नहीं सकते। कॉन्ट्रेक्टर को चालान से जमा कराना चाहिये। उस प्रकार से रुपया जमा नहीं कराया। आप २४ हजार की बात कहते हैं इस के लिये मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक ठीक है।

दूसरी बात यह है कि लोग फिक्टीशियस बोली लगा कर मूल ठेकेदार को फेल करने के लिये कोशिश करते हैं। इसलिये इसके लिये रूल्स में स्पष्ट बात दी हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

फर्जी परमिट

४४२. *श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि यातायात विभाग को इस बात की सूचना मिली कि जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं० फर्जी परमिट बना कर ट्रक्स चलाती है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच भी की गई ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। ऐसा एक केस जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के ट्रक नं० डी० एल० जो० ७७३७ का तारीख २७-५-६३ को डिटेक्ट किया था।

(२) जी हां। मामला आर० टी० ए० के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : यह मामला अभी तक विचाराधीन क्यों है ?

श्री भीमसिंह : पार्टी कन्सर्न ने कहा कि यह मामला डी. आई. जी., सी. आई. डी. में चल रहा है इस लिये जब तक उनका फाइनल नहीं होकर आए तब तक कार्यवाही नहीं हो, इसलिये उन्होंने आगे की तारीख दे दी कि उनका जवाब आने पर कार्यवाही की जावे।

श्री भैरोंसिंह : यह मामला कब से डी.आई.जी., सी.आई.डी. के पास है ?

श्री भीमसिंह : जब यह केस डिटेक्ट हुआ तभी से है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कौनसी तारीख से उनके पास है ?

श्री भीमसिंह : इसकी तारीख तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सितम्बर ६३ से है।

श्री भैरोंसिंह : सितम्बर ६३ को डी.आई.जी., सी.आई.डी. को दिया गया मगर यह केस डिटेक्ट कब हुआ ?

Page No. 8

श्री भीमसिंह : २७ मई, १९६३ को।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक उसको १॥ वर्ष का अर्सा हो चुका है, फिर भी उसके विचाराधीन का क्यों प्रश्न है?

श्री भीमसिंह : यह मामला आर.टी.ए. के पास है। पार्टी कन्सर्न ने कहा कि सी.आई.डी. डी. आई. जी. के पास यह केस चल रहा है, जब तक उनकी इन्फोर्मेशन नहीं आ जावे तब तक तारीख दे दें। इसलिये तारीख आगे दे दी गई।

श्री भैरोंसिंह : आर. टी ए. में यह मामला कब रखा गया?

श्री भीमसिंह : इसकी आँफ हैंड डेट मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो बाद में दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : सितम्बर में रखा या बाद में रखा?

श्री भीमसिंह : मैं समझता हूं कि आर. टी. ए. ने सारी जानकारी के लिये इसको डी. आई. जी., सी.आई.डी. को भेज दिया।

श्री भैरोंसिंह : बाकी की कम्प्लेन्ट्स इस कम्पनी के खिलाफ कि यह फर्जी पर्मिट बनाकर गाड़ियें चलाती है, उसके लिये क्या कार्यवाही की गई?

श्री भीमसिंह : सी. आई. डी., डी आई. जी. को इसलिये तो भेजा गया है।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत करने वालों ने जो शकायत की है उस पर भी कोई कार्यवाही की है या नहीं?

श्री भीमसिंह : आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया है। आपका प्रश्न था कि क्या यह सही है कि यातायात विभाग को इस बात की सूचना मिली कि जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं० फर्जी परमिट बना कर ट्रक्स चलाती है? उसका जवाब दिया है।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत लोगों ने आपको भी भेजी है और मुझे भी भेजी है। उसमें जिन बातों का उल्लेख है उन पर भी कोई जानकारी की गई?

श्री भीमसिंह : यह तो फर्जी परमिट का स्पेसिफिक केस बना उसकी जांच करवाई है सी. आई. डी. द्वारा।

श्री अध्यक्ष : पुलिस ने केस दर्ज किया है?

श्री भीमसिंह : चालान पेश कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस चालान कर रही थी, मगर वह रोक दिया गया है।

श्री भीमसिंह : That has been challaned in Munsif Magistrate's Court, Jaipur on 28.7.64.

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अब केस चालान हो गया तो डी. आई. जी., सी. आई. डी. अब क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

Page No. 9

श्री भीमसिंह : डिपार्टमेंट ने तो डी. आई. जी., सी. आई. डी. को सितम्बर में ही भेज दी थी जांच करने के लिये। आर. टी. ए. ने उनसे पूछा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आर. टी. ए. को इस बात की जानकारी नहीं है कि उस केस का चालान हो गया है ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी नहीं है तभी तो उन्होंने लिखा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतावेंगे कि वह ट्रक जिसका फर्जी परमिट था क्या वह अभी तक चल रहा है ?

श्री भीमसिंह : उसका परमिट कैंसल कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : उसके परमिट कैंसल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : ट्रक को सरकार ने कब्जे में लिया या नहीं ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या उसे प्रचार कार्य के लिये हनुमानगढ़ भेज दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : आप ले गये हों तो मुझे पता नहीं। मैंने तो भेजा नहीं।

समाज शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकें

४४३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज शिक्षा विभाग में प्रकाशकों द्वारा स्वीकृत होने के लिये पुस्तकें भेजी जाती हैं उनकी स्वीकृत सूचियां पिछले चार सालों के किस किस महीने में निकलीं ?

(२) क्या यह सही है कि स्वीकृत पुस्तकों की सूची जहां जुलाई में निकल जानी चाहिये वह पिछले साल सितम्बर में निकली ?

(३) क्या इस साल निकल चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक निकलेंगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १६६० में फरवरी में, १६६१ में जनवरी में, १६६२ में फरवरी में और १६६३ में सितम्बर में।

(२) जी हां

(३) जी नहीं। शीघ्र ही निकाली जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हमेशा निश्चित समय के बाद क्यों निकाली जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई बाधाएं हैं-रेखा चित्र, मान चित्र, दूसरी पत्रिकाएं

Page No. 10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं उनकी भी सूची निकालनी पड़ती है। सितम्बर और अक्टूबर महीने में बिक्री होती है इसलिये वह समय उचित समझा गया। बाकी तो जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक छात्र अध्ययन में व्यस्त रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपमन्त्रीजी अस्वस्थ हैं क्या? कैसे बोल रहे हैं?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह बड़ा पेचीदा सवाल है। विद्यार्थी पढ़ने में लगे रहते हैं, इसका इससे क्या सम्बन्ध है। पुस्तकें तो लाइब्रेरी के लिये खरीदी जाती हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिक्री सितम्बर, अक्टूबर में ज्यादा होती है। बाकी यह निश्चित है कि हमें जल्दी निकालनी चाहिये। मैं माननीया सदस्या से निवेदन करूं कि जुलाई, अगस्त तक निकल जायं, ऐसी हमारी मान्यता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जनवरी-फरवरी में पुस्तकें स्वीकृत की जाती हैं, पर सितम्बर और अक्टूबर में भी वे उपलब्ध नहीं होती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह देरी होती है वह नहीं होनी चाहिये, यह मैं मानता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आखें मूंद कर किताबें दी जाती हैं, इसी का यह नतीजा है कि पुस्तकालयों में इतनी देर से किताबें दी जाती हैं ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है, असुविधाएं होती हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट को सचेत कर रहा हूं कि ठीक समय में पुस्तकें निकाले।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

बारी लालपुरा की समिति को ठेका

४४४. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा में बारी लालपुरा की वन समिति को कोई कल्चर कटूम्बी के जंगल से वन विभाग की तरफ से लकड़ी का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो किस तारीख को दिया गया?

(२) क्या सरकार ने उक्त समिति को उस जंगल की लकड़ी प्राप्त करने की मंजूरी दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। यह कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है।

श्री विट्ठल : 'जी नहीं' क्या? सोसाइटी को जंगल नहीं दिया था क्या? मैंने पूछा है कि सोसाइटी को जंगल दिया वह

Page No. 11

(श्री विट्ठल)

कब से दिया हुआ है, अभी तक मिला या नहीं ?

श्री भीखाभाई : आपने पूछा कि लकड़ी का ठेका दिया गया है या नहीं। मैंने उत्तर दिया कि 'जी नहीं'।

श्री विट्ठल : यह सही बात है क्या ? अगर सही हो तो आप कह दीजिये कि नहीं दिया।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि नहीं दिया है।

श्री विट्ठल : आप गलत बता रहे हैं। ठेका दिया गया है, मंजूरी के लिये आपके पास आया है। मंजूरी अभी नहीं दी है।

श्री भीखाभाई : मेरे पास रेकार्ड है, उससे साबित कर सकता हूं कि सोसाइटी को देने का था पर डिपार्टमेंटली वर्क हुआ है। थोड़ी सी लड़की है उसको डिपार्टमेंटली ही कलेक्ट करवाया जा रहा है।

श्री विट्ठल : जब बोली बोली और ठेका दिया तो आपके वन विभाग वालों ने कैसे कह दिया कि इतने रुपयों में ठेका दिया गया।

श्री भीखाभाई : मैं यह नहीं कह सकता कि नीचे क्या हुआ है, पर राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है।

श्री विट्ठल : आपने नहीं दिया, पर उन्होंने ठेका दिया है तो कैसे दे दिया ?

श्री भीखाभाई : सोसाइटी के बोली बोलने का सवाल नहीं उठता। सोसाइटी को ऑक्शन में कम्पीट नहीं करना पड़ता, न बोली बोलने की आवश्यकता है। यहां से इस मामले में कोई मंजूरी नहीं दी। यहां से हुक्म दिया गया, हो सकता है वह देरी में पहुंचा हो।

श्री विट्ठल : ३०० रुपयों में समिति को ठेका दिया है। मंजूरी के लिये आपके पास आया है।

श्री भीखाभाई : यहां से मंजूरी नहीं दी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ३०० रुपया जमा कराया है क्या ? ठेके के निमित्त ३०० रुपया जमा हुआ है क्या ?

श्री भीखाभाई : २७५ में दे दिया जाय, इस प्रकार की मंजूरी के लिये कागज आये थे। प्री ईयर्स के लिये कूप दिये जाते हैं, पर यह कूप ऑलरेडी फेल्ट था, थोड़ा सा मेटिरियल, लकड़ी वगैरह पड़ी थी, ठेके का सवाल पैदा ही नहीं होता, डिपार्टमेंटली कलेक्शन करवाना था वह डिपार्टमेंटली कलेक्शन करवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४४५; श्री नाथूराम।

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सैंटर, गढ़ी

४४५. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर गढ़ी कब से आरम्भ हुआ है और इसमें क्या प्रगति हुई ?

(२) उक्त ट्रेनिंग सेंटर का ऑडिट कब हुआ था ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (१) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र गढ़ी सितम्बर, १९६२ में कोटा से स्थानान्तरित हुआ । इसमें ९९ ग्राम सेवक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं और ९७ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

(२) इस प्रशिक्षण केन्द्र का ऑडिट मार्च, सन् १९६४ में हुआ । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, ६२ में स्थानान्तरित हुआ और ६४ में ऑडिट हुआ तो ६३ में ऑडिट नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि ऑडिट तो हो चुका है, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री नाथूराम : आपने यह बताया कि ६४ में ऑडिट हुआ, तो मेरा प्रश्न यह है कि ६३ में ऑडिट क्यों नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि ऑडिट हो गया है और ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री नाथूराम : ६३ में ऑडिट क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है ? जवाब देने की कृपा करें ।

श्री भीखाभाई : I can't say at the moment. Due to heavy rush of work with the Local Examination Fund may be.........

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है यह इंग्लिश में छपी हुई है और इस पर भी छपाई ऐसी है कि पढ़ने में नहीं आती । कई एतराजात ऐसे हैं कि दिखाई नहीं देते, हिन्दी में नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रख कर आयन्दा हिन्दी में दिया जायगा ।

श्री नाथूराम : सप्लीमेंटरी करते हैं तो वे सप्लीमेंटरी बिना इस रिपोर्ट और एतराजात को पढ़े कैसे जा सकते है ? वहां कई गड़बड़ियां हुई हैं, सामान का दुरुपयोग हुआ है । ६३ में ऑडिट नहीं किया गया, देरी से ऑडिट हुआ, कई गलतियां ऑडिट ने बताई

(श्री नाथूराम)

हैं, क्या गवर्नमेंट इसके लिये कार्यवाही करेंगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन कर दिया कि बराबर कार्यवाही होगी। जो हिन्दी में प्रतिलिपि मिलनी चाहिये इसे मैं महसूस करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई !

प्रश्न संख्या ४४६

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्रमविभाग के कर्मचारियों को सिलेक्शनग्रेड

४४७. **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिलेक्शन ग्रेड १-६-१६६१ से जो राज्य सरकार ने लागू किये हैं वे श्रम विभाग में किस किस कर्मचारी को अब दिये गये है ?

(२) यदि नहीं दिये गये, तो उसका क्या कारण है ?

(३) क्या राज्य सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(४) ये सिलेक्शन ग्रेड जो अब तक नहीं दिए गए, वे अब कब तक दे दिये जावेंगे ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) श्रम विभाग में अभी तक सिलेक्शन ग्रेड किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया है।

(२) अभी यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(३) यह किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

(४) श्रम विभाग सिलेक्शन ग्रेड पदों की मंजूरी में अभी कुछ समय लगेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब कि ये सिलेक्शन ग्रेड १-६-६१ में मान ली गई, सरकार की तरफ से तैयार हो गई तो इस विभाग के कर्मचारियों को नहीं देने का क्या कारण है ? तीन साल हो गये फिर भी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि मन्जूरी नहीं हुई। मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि मंजूरी में अभी कुछ समय लगेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तीन साल तो हो गये, अब और कितने साल लगेंगे ? ६३ में यही सवाल पूछा था तब भी यही उत्तर दिया गया था। अभी तक न तो फिक्सेशन किया गया है न किसी को बाकी के ग्रेड ही मिले हैं. चपरासी से लेकर एल. डी. सी. यू. डी. सी. और ऑफीसर तक एक भी

Page No. 14

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ऐसा नहीं है कि जिसको पूरे पैसे मिल गये हों। जब खुद का काम यह डिपॉर्टमेंट नहीं कर सकता तो दूसरी फैक्ट्रीज़ आदि का यह क्या काम करेगा ?

श्री भीखाभाई : यह तो एक डिपार्टमेंटल कॉरस्पॉंडेंस का सवाल है; क्योंकि फाइनेंस विभाग जब तक एग्री न करें तब तक कैसे कर सकते हैं ? कोशिश की जा रही है हम फाइनेन्स को प्रस्ताव भेज चुके हैं। मैं समझता हूं कि फाइनेन्स विभाग में जल्दी हो जायगा। वित्त मन्त्री यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर देता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरे पास १९६३ का जवाब है। उसमें भी लिखा है कि फलाने फलाने आदमी को जल्दी पेमेंट किया जायगा। उसको भी एक साल से ज्यादा होगा और पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। सिलेक्शन ग्रेड १-९-६१ से लागू किए गए हैं। समझ में नहीं आता कि आपका क्या इरादा है ? या तो इनकार कर दीजिए, फिर तो पूछने का सवाल ही नहीं।

श्री भीखाभाई : फाइनेन्स डिपार्टमेंट को यह मामला भेजा गया है जल्दी ही निकल जायगा।

प्रश्न संख्या ४४८

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

एस. टी. सी. सांगानेर के प्रधानाध्यापक

४४९. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तारीख २३-८-६३ को बेसिक सैकण्डरी टीचर्स सर्टिफिकेट (एस० टी० सी०) स्कूल सांगानेर के प्रधानाध्यापक श्री रामगोपाल ने वहां के एल० डी० सी० श्री भौंरीलाल को छात्रों से पिटवाया और स्कूल से बाहर निकलवा दिया ?

(२) क्या श्री रामगोपाल सन् ६०-६१ में अमरसर में एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और उन्हीं के कारण वहां स्ट्राइक हुई और इनको वहां से हटना पड़ा और राज्य सरकार ने उस मामले में कोई तहकीकात न कर मामले को दबा दिया ?

(३) क्या श्री रामगोपाल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन, बीकानेर के परम विश्वासपात्र बने हुये हैं और इस कारण उनकी हर मनमानी पर परदा डाला जाता रहा है, यहां तक कि अमरसर चार्ज देने को इन्हें नहीं भेजा गया ?

(४) क्या इस वर्ष एस. टी. सी. स्कूल के एडमिशन के बोर्ड में उक्त श्री रामगोपाल ने स्टाफ के मैम्बर्स को बोर्ड में न रखकर अपनी ही मर्जी के आदमियों को रखकर अपने ही क्षेत्र के छात्रों को अधिक से अधिक एडमिशन दिया ?

Page No. 15

((श्री थुर्गालाल बाढ़दार)

(५) श्री रामगोपाल ने वर्ष १९६३ में एडमिशन करते समय जिला भरतपुर के कितने विद्यार्थियों का एडमिशन किया और अन्य जिलों के कितने २ विद्यार्थियों को एडमिशन किया ? विवरण सदन के समक्ष रखें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। श्री भौंरीलाल को प्रधानाध्यापक ने नहीं पिटवाया, बल्कि चपरासियों से उन्हें उनके ऑफिस से बाहर निकालने को कहा था।

(२) जी हां। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि विभाग ने मामले की जांच नहीं की। विभाग को जांच करने पर मालूम हुआ कि गलत धारणा के कारण स्ट्राइक हुई थी।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) हां, कुल ९८ का एडमिशन किया जिनमें भरतपुर के २८ जयपुर के ३४, अलवर के २२, सवाई माधोपुर के ४, कोटा का १, उदयपुर का १, दिल्ली का १, पंजाब का १ तथा उत्तर प्रदेश के ६ थे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : क्या यह सही है कि इस मामले की रिपोर्ट जब विभाग के पास आई तो इन्सपेक्टर साहब वहां इन्सपेक्शन करने के लिए गए और वहां के क्लर्कों और चपरासियों के स्टेटमेंट लिए। मगर वे स्टेटमेंट बीच में ही गायब किए गए। वे बयानात आपको दिखाए गए हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच का अर्थ स्टेटमेंट से होता है। उनसे सिर्फ यह पाया गया कि उनको बाहर निकाला गया। भौंरीलाल की पिटाई नहीं की गई।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : इस मामले की पुलिस में भी रिपोर्ट हुई, थाने में केस रजिस्टर हुआ और इसके बाद में पुलिस ने कार्यवाही की। इसका आपको ज्ञान है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस का मुझे ज्ञान नहीं। उन्होंने रिपोर्ट की या नहीं, कार्यवाही की या नहीं, लेकिन ३२३ का मामला है इसलिये कॉग्नीज़ेबल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बाहर निकालने के लिए कितना फोर्स काम में लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको कहा गया कि बाहर चले जाओ, मिसकंडक्ट मत करिये। नहीं माना तो चपरासियों से कहा गया कि बाहर निकालने में मदद कीजिए।

श्री भैरोंसिंह : वह तो समझ में आ गया, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर भी जब वह बाहर नहीं गया तो फिर क्या फोर्स काम में लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रीज़नेबल फोर्स काम में लिया।

श्री भैरोंसिंह : रीज़नेबल फोर्स कई बार विधान सभा में काम में लिया जाता है, उससे ज्यादा था या...........

श्री निरंजननाथ आचार्य : विधान सभा में बहुत इज्जत के साथ बाहर निकाला जाता है, इससे भी कम फोर्स काम में लिया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि इस मामले की जांच के दौरान क्लर्कों से ऑफिशियल रिकॉर्ड फड़वाया गया और वह दुबारा बनाया गया और उसके बावजूद भी इस आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस मामले में आपको याद होगा कि आप स्वयं इसका मौका देखने का वायदा कर चुके थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी स्मृति में नहीं है कि क्या बातचीत हुई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि अभरसर से इसी हैड-मास्टर को स्ट्राइक होने के बाद हटा दिया गया, तो उनको हटाने के क्या कारण थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्प्लेजेन्टनेस। आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं, यही कारण था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि वहां पर चार्ज देने तक के लिए उनको वापस नहीं भेजा गया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो उनका सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है कैंडीडेटस को चूज़ करने के लिए, रूल्स के अनुसार उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स होने चाहिए और जो इस साल उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड बनाया उसमें उनके अलावा और कोई टीचर्स नहीं थे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : टीचर्स तो उसमें नहीं थे। उन्होंने उसको ब्रॉडबेस्ड, इम्पार्शियल इस तरह का बनाया ताकि पंचायत समिति के ऑफीशियल्स जो थे उनको लिया जाय, जिससे पक्षपात का अंदेशा न हो। अब रूल्स के अंतर्गत है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर रूल्स के अन्तर्गत नहीं है तो मैं उनको ठीक करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न तो यह था कि रूल्स डिमांड करते हैं कि टीचर्स होने चाहिए। उन्होंने रूल्स के अलावा इस तरह का बोर्ड मुकर्रर किया और कुछ लोगों को जिनको वह लेना चाहता था लिया। स्पेसिफिक सवाल यह है, चौथे में तो इसलिए क्या मन्त्री महोदय देखेंगे कि रूल्स के खिलाफ अगर उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड बनाया है तो फिर क्या यह आश्वासन देंगे कि इस बारे में कार्यवाही करेंगे ?

Page No. 17

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हाइपोथेटीकल सवाल है। जैसा मैंने निवेदन किया उनका एटीट्यूड इसमें गलत सिलेक्शन कराने या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने का था या नहीं, ये आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए कि कोटा का १, उदयपुर का १ और भरतपुर के २८ और जयपुर के ३४। तो ऐसा कोई इन्फरेन्स उसमें से नहीं निकलता है।

दूसरा प्रश्न यह कि रूल्स के अंतर्गत टीचर्स को रखना आवश्यक है या नहीं या रूल्स के विरुद्ध कुछ है और उसने कोई ऐसा एटीट्यूड दिखाया है कि रूल्स का जानबूझ कर उल्लन्घन किया है तो कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन पूछा जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो आपने फिगर्स दिए हैं, जयपुर ३८ और १६५ कैंडीडेट्स आए थे जिनमें ३४ जयपुर के सिलेक्ट हुए और भरतपुर से ४४ आए, उनमें से २८....

श्री निरंजननाथ आचार्य : सिलेक्शन हुआ है वह तो मालूम है, कितने आए, यह मुझे नहीं मालूम।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो इम्पोर्टेन्ट इन्फोर्मेशन है उसको अवाइड करने की कोशिश करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो तथ्य थे मैंने आपके सामने रख दिए, अवेइड करने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न संख्या ४५०

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४५१

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल।

बिजली और पानी की व्यवस्था

४५२. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सेकन्ड्री स्कूल के पास ही बिजली के खम्भे लगे हुए हैं? अगर हां, तो इस शाला में बिजली देने में क्या रुकावटें हैं?

(२) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ हायर सेकन्ड्री स्कूल के लगभग एक हजार विद्यार्थी जिस कुए का पानी पीते हैं उस पर दिन भर लोग नहाते और कपड़े धोते हैं? यदि हां, तो प्रतापगढ़ में वाटर वर्क्स होते हुए भी स्कूल में नल के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है?

(३) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में बिजली और पानी के लगवाने के एस्टीमेट

Page No. 18

(श्री हरलाल)

बनाकर सरकार को भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इस सवाल को पोस्टपोन करने की इजाजत दें।

प्रश्न संख्या ४५३

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार खां।

विजयपुर रेन्ज को पहाड़ी इलाका घोषित करने हेतु कार्यवाही

४५४. **श्री अब्दुलजब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विजयपुर रेन्ज पहाड़ी इलाका घोषित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह पहाड़ी इलाका होने से ग्राम उंदरी, अमरपुरा, बधेरा, कल्याणपुरा, पालछा, घराणा, उदयपुरा, जवानपुरा, विजयपुर पेमा का खेड़ा, रखत का तालाब, पनगढ़, भड़किया, दौलतपुरा इत्यादि तथा पाडौर, सादी गौरूसिया के निवासियों को बड़ी तकलीफ होती है और फोरेस्ट के मुलाजिम इन लोगों को काफी सताते है ? क्या सरकार इस परेशानी को दूर करने का विचार रखती है ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं, केवल कनेरा ही पहाड़ी इलाका घोषित है, बाकी भाग पहाड़ी इलाका घोषित नहीं है। तत्कालीन सरकार द्वारा १९४९ में यह निर्णय किया गया था।

(२) जी नहीं। इस प्रकार की शिकायत का कोई प्रार्थना-पत्र इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इन ग्रामवासियों को नियमानुसार कन्सेशनिस्ट वर्किंग सर्किल के कूपों से वन पैदावार दी जाती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, अतः उसे दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या सरकार यह जानती है कि कनेरा और विजयपुर रेन्ज कनेरा निम्बाहेड़ा में है, पहाड़ी इलाका है और जितने गांव मैंने बताये हैं वे सब पहाड़ी इलाके के अन्दर आते हैं और सरकार ने इसको रेन्ज घोषित कर रखा है। कौनसी इसमें सरकार को आपत्ति है कि इन गांवों को सरकार पहाड़ी इलाका घोषित नहीं करती है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया था कि सन् १९४९ में पहाड़ी और गैर पहाड़ी इलाका राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति के द्वारा कन्सेशन देने की दृष्टि से बनाया गया था। उसके बाद फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी बनी। उसके सामने यह सवाल आया कि आया यह कन्सेशन जारी रखा जाय या कैसे, तो उसमें ज्यादातर

(श्री भीखाभाई)

राय यह थी कि कन्सेशन विद्ड्राँ किया जाय। इसलिए अब नये तरीके से उसको पहाड़ी इलाका घोषित करने का सवाल नहीं उठता है।

श्री अब्दुलजब्बार : फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में यदि कोई गलती कर ली है तो उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिये ? जनहित की दृष्टि से सरकार आदेश निकालती हैं और सरकार कहती है कि सरकार जनहित में ही काम करती है तो क्या जनहित को ध्यान में रख कर इसको पहाड़ी इलाका घोषित नहीं किया जा सकता ?

श्री भीखाभाई : जनहित की दृष्टि से ही राज्य की नीति निर्धारित होती है। फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी ने जब अपनी राय दे दी तो जनहित की दृष्टि से ही यह दी थी। सरकार ने पहले जनहित की दृष्टि से ही कन्सेशन सर्किल कायम किये थे और इन्कवायरी कमेटी ने उसको उचित नहीं समझा।

श्री अब्दुलजब्बार : जिन गांवों के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं उन गांवों के हजारों मवेशियों को उन मालिकों से पैसा लेकर चरने की इजाजत तो दे दें ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय यह समस्या सारे राजस्थान की है, केवल उस रेन्ज की ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

पंचायत समिति कठूमर द्वारा व्यय

४५५. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति कठूमर का सन् ६० से अब तक कितना कितना द्रव्य किस किस जलसे में एवं मंत्रियों के आने पर खर्च हुआ ? सन् वार बताया जावे।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री नत्थीसिंह : सन् १९६३ में आइटम नं० ६ जो पूछा है पंच और सरपंच सम्मेलन जो मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था उसमें २,८५७.२१ पैसे खर्च हुए हैं। ये किस किस मद में खर्च हुए हैं ?

श्री भीखाभाई : मद तो यही है कि जो वहां पर पंच और सरपंच आते हैं उनको ठहराने और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : पृथक पृथक आप बताये।

श्री भीखाभाई : पृथक पृथक आइटम का ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है।

Page No. 20

श्री नत्थीसिंह : क्या मुख्य मंत्री को माला पहनायी गई वह भी उसमें खर्चा जोड़ा गया ? आप अलग अलग डिटेल्स में बता दें।

श्री भीखाभाई : माला मुख्य मंत्री को पहिनने का अधिकार है और आपको भी पहिनने का अधिकार है।

श्री नत्थीसिंह : इस तरह से नहीं है। पब्लिक से पहिन सकते हैं।

श्री भीखाभाई : सारे राजस्थान के पंच और सरपंच का सम्मेलन होता है और उसमें यदि दो हजार रुपया खर्च हो जाता है उनके भोजन, पानी आदि की व्यवस्था के लिए तो इसमें नाराज होने की क्या बात है ?

श्री नत्थीसिंह : हम यही तो जानना चाहते हैं कि किस किस मद में खर्चा हुआ ?

श्री भीखाभाई : डिटेल्स मेरे पास नहीं है। जो मुझे मालूम है इस समय वह यह है कि पंच और सरपंच सम्मेलन में दो हजार रुपया खर्च हुआ वह भोजन, पानी आदि की व्यवस्था के लिए खर्च हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति अधिनियम के अनुसार १५) से अधिक पंचायत एन्टर्टेन्मेन्ट में नहीं खर्च कर सकती ?

श्री भीखाभाई : यह अलग सवाल है, इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली गई थी या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मुझे इसकी इस समय जानकारी नहीं है। इसलिए मैं नोटिस चाहता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपने जैसा फरमाया कि वहां पर पंच और सरपंच पधारे और उनके खाने आदि पर खर्च किया गया, तो क्या उनको पंचायत समिति की ओर से टी. ए. और डी. ए. नहीं दिया गया था या दिया गया था ? यह तो एक प्रकार से एक्सेस खर्चा है जो किया गया है और यह नहीं किया जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : ये सारी डिटेल्स की बातें तो माननीय सदस्य पंचायत समिति में पूछ सकते हैं। सरकार से ये सारी बातें पूछते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मुख्य मंत्री उद्घाटन के लिए जांय और तीन हजार रुपया एक पंचायत के खर्च हो जायं...........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य-एक सदस्य हैं उसके।

श्री नत्थीसिंह : नहीं हूं।

श्री मुरलीधर व्यास(बीकानेर) अध्यक्ष महोदय, डिटेल्स यहां पूछ सकते है।

श्री अध्यक्ष : यहां डिटेल्स पूछना आवश्यक नहीं है। जिस जगह जो खर्चा हुआ है उसके सम्बन्ध में इस प्रकार की डिटेल्स नहीं पूछी जा सकती हैं।

Page No. 21

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अफसोस तो यह है कि इस सारे जलसे में मुख्य मंत्री एक पार्टी बन जाते हैं।

श्री भीखाभाई : उनको संतुष्ट करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब पंच और सरपंच सम्मेलन होता है तो पंचायत का अलग सवाल नहीं उठता है। जिन लोगों को इन्वाइट किया वे आते हैं, भाषण देने वाले लोग आते हैं, उसमें क्या अन्दाज लगता है आप खुद ही बता दें। आने वालों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था तो करनी ही होती है।

श्री भैरोंसिंह : एक पोइन्ट का तो जवाब दिलवा दीजिये।

श्री नत्थीसिंह : सवाल मंजूरी का है कि ली या नहीं?

श्री अध्यक्ष : पहले आप बताइये कि किस कानून में ली जानी चाहिये और किस मद में मंजूरी नहीं ली गई?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : वे बतायें डिटेल्स तो।

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि हर एक सेमिनार के खर्चे की डिटेल्स का सवाल सदन में इस प्रकार से उठाया जाय। अगर माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में जानकारी करनी है तो वे जहां यह खर्चा किया गया है वहीं इसकी जानकारी कर सकते हैं। अमुक मद को लेकर माननीय सदस्य बहस कर सकते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित समझती है, सरकार एज सच, एन्टर्टेनमेंट वगैरह पर पंचायत समिति इतना खर्च करे?

श्री भीखाभाई : एन्टरटेन्मेंट का कहां खर्चा है? मेरे पास में यह उत्तर है कि जितने लोग वहां आते हैं, पंच-सरपंच वगैरह लोग होते हैं और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न संख्या ४५६

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४५७

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४५८

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद।

Page No. 22

वृक्षारोपण

४५९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में राजकीय सचिवालय के पीछे की जमीन पर वन महोत्सव के अवसर पर वृक्ष लगाये गये थे ?

(२) यदि हां, तो उनमें से कितने वृक्ष लग सके हैं और कितने जल गये ?

(३) क्या यह सही है कि यहां वृक्ष तीन बार लगाये गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्चा किया गया ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) कुल ६४ पौधे लगाये गये थे, उनमें से ४३ पौधे लग गये थे तथा २१ पौधे शीत लहर तथा मई ६४ में तेज तूफान व वर्षा के कारण नहीं लग सके ।

(३) मरे हुए पौधों की जगह नये पौधे लगाना एक सामान्य क्रिया है । जब भी कोई पौधा मर जाय और उस समय पौधे लगाने का समय हो तो उसके स्थान पर नया पौधा लगाया जाता है । पौधों के लगाने पर केवल ४०) रुपये खर्च हुए हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सबसे पहले वृक्षारोपण कब किया गया था ? और किस किस मन्त्री ने उद्घाटन किया था ?

श्री भीखाभाई : सन् १९६३ में वन महोत्सव मनाया गया ।

श्री हरिप्रसाद : वृक्षारोपण के बारे में राजस्थान में ढिंढोरा पीटते है और मंत्री लोग उद्घाटन करते फिरते हैं ! वहां पर एक पौधा भी नहीं पनपा है और दूसरे पौधे उनकी जगह पर रख दिये जाते हैं । मैं जानकारी करना चाहता हूं कि आपने जितने पौधे लगाये उनमें से कितने फल फूल रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : आपने कभी जाकर देखा है सचिवालय के पीछे ? कितने पौधे लग रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : आपने खुद ने पौधा लगाया वह सुरक्षित है या नहीं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने पौधा लगाया वह सुरक्षित हो तो बताइये ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

श्री हरिप्रसाद : बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं ! आपने अपना लगाया पौधा ही नहीं देखा ।

प्रश्न संख्या ४६०

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल ।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर

४६१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई माधोपुर का सालाना कितना खर्चा है और किस २ मद में होता है ?

(२) इस केन्द्र की सालाना आमदनी कितनी है और किस २ मद में ?

(३) उसके पास कितने एकड़ जमीन है जिसमें काश्त होती है और सन् १९६२ से १९६४ तक प्रत्येक साल में कितनी २ पैदावार हुई है तथा उस पर कितना २ खर्चा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई): प्लान व नोन प्लान मिलाकर कुल खर्चा लगभग १,६३,६२६.०० रु० होता है। यह खर्चा निम्न मदों पर होता है:—

(१) स्टाइपेण्ड

(३) पोल्ट्री

(४) मरम्मत गाड़ी

(५) फर्नीचर

(६) होस्टल का सामान

(७) सफाई

(८) अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन

(९) भत्ता व ऑनरेरिया, आदि।

(२) वार्षिक आमदनी लगभग ८,१४०) रु० है। यह आमदनी डेरी व पोल्ट्री के मद में होती है।

(३) केन्द्र के पास कोई काश्त की जमीन नहीं है।

प्रश्न संख्या ४६२

श्री अध्यक्ष: श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६३

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम।

उच्चतर कन्याशाला बांसवाड़ा में विज्ञान विषय

४६४. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूराम)

क्या उच्चतर कन्याशाला बांसवाड़ा में विज्ञान विषय प्रारम्भ करने के बारे में स्वीकृति हो चुकी है ? अगर हां तो प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ? कब तक विज्ञान विषय चालू हो जायगा ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां। जुलाई सन् १६६४ से उच्चतर कन्याशाला, बांसवाड़ा में विज्ञान विषय प्रारम्भ करने को स्वीकृति दी जा चुकी है। विज्ञान विषय को खोलने के लिये कम से कम १५ छात्राओं का होना आवश्यक है। परन्तु यहां छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या से बहुत कम होने के कारण यह विषय चालू नहीं किया जा सका। फिर से इस विषय को चालू करने के प्रश्न पर उसी समय विचार किया जा सकेगा जब कि इस विषय को पढ़ने वाली कम से कम १५ छात्रायें उपलब्ध हों।

श्री नाथूराम : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी संख्या सेशन के शुरुआत में थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५।

इटावा हायर सैकन्ड्री स्कूल

४६५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपलदा के इटावा ग्राम के हायर सेकण्ड्री स्कूल में निम्न कमियां हैं :

(अ) भवन पुराना और टूटा फूटा है।

(आ) कमरों की संख्या अपर्याप्त है।

(इ) अध्यापकों की संख्या कम है।

(ई) फर्नीचर की कमी है।

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इन कमियों को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१)(अ) भवन पुराना है, लेकिन टूटा फूटा नहीं है। पूर्णरूपेण मरम्मत की जा चुकी है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।

(आ) दोनों भवनों को मिलाकर स्थान की कमी नहीं है।

(इ) केवल एक ट्रेण्ड पी. टी आई. के सिवाय कोई कमी नहीं है। ट्रेन्ड पी. टी. आई. के लिये प्रयत्न जारी है।

(ई) फर्नीचर की कमी है जिसके लिये प्रयत्न जारी हैं।

(२) प्रयत्न जारी हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : किन से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही तो कहा गया है कि जहां जहां फर्नीचर की कमी है, सुव्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने ऐसे आदेश दे दिये हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं ये प्रयत्न जारी हैं। फिर डी. ई. को रिमाइन्डर दिया जावेगा। बाकी डी. ई. स्वयं सजग है और जानता है कि कहां फर्नीचर की कमी है।

श्री भैरोंसिंह : आपने फरमाया कि डी. ई. को कह दिया गया है; तो यह आपने जुबानी कहा है या आदेश दिये हैं लिखित में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश नहीं हैं। डी ई. के पास ज्ञान है कि फर्नीचर की कमी है। डी. ई. के स्तर पर प्रयत्न जारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने फरमाया कि डी. ई. को कह दिया गया है, क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा तो मैंने नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह : डी. ई. के नोटिस में कब आया कि फर्नीचर कम है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेशन के प्रारम्भ से ही।

श्री भैरोंसिंह : फिर प्रयत्न में कौन सी कमियां हैं कि प्रयत्न करने के बाद भी पूरा नहीं पड़ा वह ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्थाभाव के कारण। सारी व्यवस्थाओं में थोड़ा इधर से निकाला, थोड़ा उधर से निकाला। तो इस तरह की व्यवस्था अर्थाभाव के कारण हमें करनी पड़ती है। अर्थाभाव का कारण नहीं होता तो फर्नीचर सब जगह अच्छा रहता।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि टूट फूट पाई नहीं गई है। पर मेरा निवेदन करना है कि उसकी पट्टियां छत की टूटी हुई हैं बहुत सी और इस भय से कि ये गिर न जावें, बच्चे बाहर बैठते हैं पढ़ने को। तो उनका यह कहना कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है यह बिल्कुल असत्य है मन्त्री महोदय का कहना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह कहा है कि मदरसा पुराना है और पूर्ण रूपेण मरम्मत की जा चुकी है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कोई मरम्मत नहीं की गई है। टूटी हुई पट्टियां आज भी पड़ी हैं। कोई मरम्मत नहीं हुई है उनकी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा नहीं हुआ है जैसा मैंने कहा है और जैसा आप कहते हैं सब टूटी फूटी हैं तो मैं इसकी जांच करा लूंगा और अगर आपका कथन सच हुआ तो I would take the concerned persons to task.

Page No. 26

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या आप एक बार उसको अपनी आंखों से देखने की भी कृपा करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो पत्रों से ही देखा जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : पत्रों से तो इसी तरह से उल्टा दिखा दिया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, अच्छा देखते हैं, ट्रान्सपैरेन्ट देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपकी इन्सपेक्शन रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि पट्टियां टूटी फूटी हैं ? आपका डिपार्टमेंटल इन्सपेक्शन होता है, उसमें नहीं है ऐसा उल्लेख ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुरानी में होगा, नई इन्सपेक्शन रिपोर्ट में शायद हुआ या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि पट्टियां टूटी हुई हैं या नहीं, क्या इसका आपकी किसी इन्सपेक्शन रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पट्टियों के टूटी फूटी होने का प्रश्न नहीं है। भवन पुराना है, लेकिन टूटा फूटा नहीं है। और जो कुछ भी है जरूरी उसकी पूर्ण रूपेण मरम्मत हो गई है। आपको यह शंका है कि पट्टियां टूटी हुई हैं तो मैंने आपको यह विश्वास दिलाया है कि टूटी फूटी नहीं हैं। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि यदि यह उत्तर गलत हुआ तो I would take them to task; और अगर टूटी फूटी हुई तो उनको ठीक कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या ४८६

(२४–८–६४)

श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(१४–८–६४)

एस. टी. सी. स्कूल, करौली का परीक्षाफल

४३१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) एस. टी. सी. स्कूल करौली से सन् १९६२ में कितने विद्यार्थी परीक्षा के लिये बैठे थे ?

(२) उपरोक्त विद्यार्थियों में से कितनों की हाजरी कम थी, तथा क्या परीक्षा के पूर्व उनको इस बात की सूचना देकर परीक्षा में न बैठने का आदेश दिया गया था ?

(३) क्या यह सच है कि कुछ अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित हो जाने के पश्चात् जब वे प्रमाण-पत्र लेने के लिये गये तो उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा यह सूचना दी गई कि तुम्हारी हाजरी कम होने के कारण घोषित किया हुआ परीक्षाफल रद्द किया गया है।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १२० विद्यार्थी बैठे थे।

(२) ६ की हाजरी कम थी।

जी नहीं।

(३) जी हां।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न ३) में कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा यह सूचना दी गई कि तुम्हारी हाजरी कम होने से परीक्षाफल रद्द किया गया, तो कितने विद्यार्थी थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नौ विद्यार्थी।

श्री भैरोंसिंह : हाजरी कम थी तो परीक्षा में कैसे बैठने दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलती से हैडमास्टर ने भेज दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : कब से ले रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले प्रश्न आया था, उस पर इन्क्वायरी करा ली। इन्क्वायरी कम्पलीट हो गई। अब आगे कदम नियमानुसार ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी के बाद आगे का कदम क्या रह गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोनाफाइडी, मैलाफाइडी इन्टेन्शन था या नहीं, उसको शो कॉज़ नोटिस भी देना है। जो नियमों में है वह सभी करना है।

श्री भैरोंसिंह : आपने इन्क्वायरी फिर किस बात की करवाई है अगर अभी तक आप यह अहसास नहीं कर सके कि मैलाफाइडी इन्टेन्शन था या बोनाफाइडी था उसका एक्शन; फिर इन्क्वायरी क्या की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनियमिततायें क्या हैं, उनमें एग्ज़ामिनिंग हैड मास्टर का क्या रोल था ? अब इसके बाद दूसरे एक्शन लेंगे। यह तो इनिशियल स्टेज की बात थी। अब नियमानुसार शो कॉज़ नोटिस होगा। अनियमितता की बात प्राइमा-फेसी केस में हमने देख ली है रिपोर्ट पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या डी. ई. को आदेश दे दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब दे रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आपके पास प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट कब आई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक-दो महीने पहले आ गई थी।

Page No. 28

श्री भैरोंसिंह : फिर डी. ई. को आदेश क्यों नहीं दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दो महीने कोई ज्यादा समय नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या एक साल लेना चाहते हैं ? डी ई. को आदेश देने में क्या एतराज है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह कहा कि इसका तो क्या नौ आदमियों का नाम भेज दिया ; अब नाम भेजने में क्या सरकमस-टान्सेज़ हैं; ओवरलुक हुआ, इनएडवर्टेंट हुआ, मैलाफाइडी इन्टेन्शन फायदा देने का था या बोनाफाइडी मिस्टेक थी, क्रिमिनल इन्टेन्शन था या क्या था ; आखिर टीचर हैं, देखना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सूचना है सरकार को कि जिस तरह बताया कि नौ लड़कों की हाजरी कम का नोटिस दिया था तो क्या और भी लड़के हैं जो पास हो चुके हैं जिनके न नम्बर कम हैं, न और कुछ, पर जिनको जबर्दस्ती से फेल किया गया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, जबर्दस्ती से किसी को भी नहीं । कुल ६ का सम्बन्ध है इसमें । सात पहले थे ये दो बाद में किसी तरह से चले गये । बाकी कोई दूसरे लड़के नहीं हैं, रिकार्ड पर नहीं हैं ।

श्री श्रवणलाल : यह मन्त्री महोदय बिल्कुल साफ जवाब दें । आपका यह जवाब गलत है । अनेकों लड़कों के साथ ऐसा हुआ है मिस्टेक से । न नोटिस दिया परीक्षा काल में परीक्षा में बैठे हैं, और सभी पेपर्स उन्होने किये हैं, बाद में रिज़ल्ट आउट किया जाता है, उसमें वे पास किये जाते हैं, अखबारों में छपे हैं उनके रिज़ल्ट । यह सब हो जाता है तो फिर क्या बात है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । ये तो लड़के जो बैठ गये, ये ही हैं । वे पास भी हुए रिज़ल्ट भी उनका आउट हुआ । पर यह सब तो बाद में मालूम हुआ कि इनकी अटेन्डेन्स कम है । तभी उनके रिज़ल्ट को कैंसल किया मैं भी यही कह रहा हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : नौ के अलावा बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बाढ़दार ।

स्थगित प्रश्न

(२४–८–६४)

जयपुर व झुंझुनू जिलों के बी. टी. सी. अध्यापकों के हायर सिलेक्शन ग्रेड के मामले

४३३. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर व झुंझुनू जिलों में कितने बी टी. सी. अध्यापक हैं ?

(२) बी. टी. सी. अध्यापकों को हायर सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने का निर्णय कब

Page No. 29

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिया और क्या यह ग्रेड समस्त अध्यापकों को दी गई ?

(३) क्या कुछ अध्यापकों के इस प्रकार की ग्रेड प्राप्त करने के आवेदन-पत्र विभाग के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) जयपुर जिले के ऐसे कितने उपरोक्त अध्यापक हैं जिनके केस अब तक विचाराधीन हैं और किन कारणों से निर्णीत नहीं किये जा सके हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जयपुर जिले में ११० व झुंझुनू जिले में ५ बी. टी. सी. अध्यापक हैं।

(२) बी. टी. सी. अध्यापकों को हायर सिलेक्शन ग्रेड देने का राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

(३) जी हां, सरकार ने बी. टी. सी. टीचर्स के हार्ड केसेज़ की लिस्ट अध्यक्ष शिक्षा विभाग से मांगी है। यह लिस्ट उपलब्ध होने पर आगे विचार किया जावेगा।

(४) जयपुर जिले के बी. टी. सी. अध्यापकों के केसेज़ दूसरे जिलों के ऐसे अध्यापकों के साथ विचाराधीन हैं। कारण भाग (३) के उत्तर में दिया जा चुका है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार के सामने आवेदनपत्र कब से विचाराधीन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये काफी अर्से से विचाराधीन है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : काफी अर्से से बेचारे टीचर्स के आवेदनपत्र राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं और कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, फिर यह स्थगित प्रश्न है, इसकी पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिये थी। सरकार अध्यापकों के प्रति थोड़ी सद्भावना रखना चाहती है या नहीं व इनको कुछ देना चाहती है या नहीं और सरकार इनको शीघ्र रूप से कार्यान्वित करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे दुख है कि काफी अर्से से इनका प्रश्न विचाराधीन है, जो नहीं होना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य हमदर्दी रखते हैं ४०-४५ की तनख्वाह इस समय जो है उसके प्रति हमदर्दी ही नहीं बल्कि इसके लिए दुख प्रकट करता हूं और मेरा विश्वास है कि मैं कम से कम दो महीने में इस प्रश्न पर निर्णय लेने की आशा रखता हूं। हमारी यह गलती है, यह मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि बी० टी० सी० के अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड देने का विचार सरकार ने किया था और वह अभी तक कार्यान्वित नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही प्रश्न विचाराधीन है कि बी० टी० सी० की एक साल की ट्रैनिंग और मिडिल पास है या पुरानी कोवेनेन्टिग स्टेट के जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं उनके मुकाबले में इनको ट्रेण्ड मान लिया जाय या नहीं, यह प्रश्न एफ०डी० के विचारा-

Page No. 30

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

धीन है और इसका निर्णय शीघ्र ही किया जाय, यह मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिह : आप कहते हैं कि उनको ट्रेन्ड मैट्रिक मान लिया जाये या नहीं, और मेरा प्रश्न यह है कि बी०टी०सी० के अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड देने का फैसला राज्य सरकार ने आज से दो साल पहले कर लिया था और उसको आज तक कार्यान्वित नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा है कि ३ ग्रेड्स हैं। जो ट्रेन्ड नहीं होते हैं उनको इन इनीशियल सेलेरी मिलती है, उसके बाद में ट्रेन्ड होने पर पूरी हो जाती है। यही प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि मैट्रिक ग्रेड या ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड या सिलेक्शन ग्रेड दे दी जाये और यह एफ० डी० और हमारे बीच में प्रश्न चल रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय ४४६ प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन

४४६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच कि पंचायत समिति सांचोर व ग्राम पंचायत सांचोर ने सांचोर राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन के लिए ३०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की ? अगर हां, तो क्या सरकार इतनी ही धनराशि राज्यकोष से पाठशाला भवन के लिए मंजूर करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सच है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में बहुत अधिक लड़के हैं और मौजूदा पाठशाला भवन बिल्कुल अपर्याप्त हैं और क्या यह भी सच है कि डबल शिफ्ट करने पर भी स्थान पर्याप्त नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस ओर क्या शीघ्र कदम उठाना चाहती है ?

(३) क्या यह सच है कि बहुत पिछड़े इलाकों में सरकार खुद स्कूल भवन निर्माण कर ऐसे इलाकों में जनता को शिक्षा सुलभ करना सरकार अपना परम कर्तव्य मानती है ? अगर हां, तो ऐसे इलाकों में, सांचोर होते हुए, भी सरकार शीघ्र पर्याप्त मात्रा में धनराशि स्वीकृत कर स्कूल भवन बनाना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो सम्पूर्ण स्कूल भवन कब तक बना दिया जावेगा ?

Page No. 31

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ-आचार्य) : (१) जी हां, पंचायत से रकम प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा

(२) जी नहीं. केवल दो कमरों की कमी है। डबल शिफ्ट करने पर स्थान पर्याप्त हैं और कमरे वगैरह बनाने का निर्णय पंचायत समिति से धनराशि प्राप्त होने पर लिया जावेगा।

(३) सरकार अपने खर्चे पर सिर्फ उन्हीं स्थानों पर भवन निर्माण करती है जो उनकी योजना के अन्तर्गत हों। अन्य स्थानों पर स्कूलों के भवन का निर्माण जनता के आर्थिक सहयोग व सरकार को आर्थिक स्थिति को दृष्टिगोचर रखकर किया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह योजना में नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, पूर्णरूपेण इसको आर्थिक सहायता दी जाये, वैसी योजना में नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय इसके बारे में पहले २॥ लाख रुपये की मन्जूरी के बारे में जालोर, सांचोर की राशि पहले मुकर्रर की थी लेकिन अर्थाभाव के कारण कुछ रुपया उसमें से कम कर दिया था और मैंने कहा कि ३०,००० रुपया पंचायत समिति द्वारा मंजूर किया जा चुका है। अब राज्य सरकार इतनी ही धनराशि और दे तो यह कमी पूरी हो सकती है; अब क्या दिक्कत है आपको ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह २॥ लाख रुपये की योजना थी। १ लाख ७५ हजार का इसका प्रोजेक्ट हुआ और एक लाख एक्सपेन्डीचर सैंक्शन हुआ। उसके बाद इकोनोमी कट में इसका ७०,००० हो गया और फिर हमने ६६ हजार खर्च कर दिये। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति से या पब्लिक से हम डोनेशन चाहते थे ५०,००० के करीब। २० हजार खर्च हो चुका है, यह अगर मान लिया जाये तो इसको सम्पूर्ण करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने ७०,००० रुपया भी पूरा नहीं लगाया और ३०,००० की रकम पहले ही कम कर दी, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६९ ३०० रुपया अध्यक्ष महोदय, खर्च हो चुका है और ७०० रुपया बाकी रहा है। आप कहते हैं तो यह भी लगा देंगे, अगर कम मानते हैं तो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पंचायत समिति मंजूर कर चुकी है और इकोनोमी कट में आपने कम कर दिया था। अब वहां पर स्थान की बहुत समस्या है। आप जानकारी कर सकते हैं। एज़ ए स्पेशल केस इसका करें तो सारी पंचायत समिति में एक ही स्कूल है और लड़कों के बैठने की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३०,००० का जो अन्डरटेकिंग दिया है वह तो जमा करा दें कम से कम।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत भिरानी के सरपंच का चार्ज

४३५ **श्री हरदत्तसिंह नोहर** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बहुक्म अदालत हाई कोर्ट, जोधपुर द्वारा श्री रणधीरसिंह सरपच भिरानी (तह० भादरा, जिला गंगानगर) का चुनाव दि० १४–१०–६३ को अवैध घोषित किया जाकर श्री परमेश्वरीलाल को सरपंच, भिरानी पंचायत घोषित किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि कलेक्टर (पंचायत) गंगानगर ने दिनांक ८-११-६३ को तहसीलदार भादरा को आज्ञा दी कि श्री परमेश्वरीलाल को श्री रणधीरसिंह से पंचायत भिरानी की सरपंची का चार्ज दिला दिया जावे ?

(३) अगर हां, तो क्या यह सही है कि अब तक यह चार्ज नहीं दिलाया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(४) सरकार इस बारे में आइन्दा क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) चालू चार्ज दिलाया जा चुका है। पुराने कागजात के चार्ज बाबत कार्यवाही सबडिविज़नल मजिस्ट्रेट नोहर में चल रही है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी उच्च शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश नियमावली

४३६ **श्री शीशराम ओला** (खेतड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : —

(१) क्या शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में "बुनियादी उच्च शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश नियमावली" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस पुस्तिका में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नामों की सूची का प्रकाशन किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उन समस्त संस्थाओं के नाम हैं जिन्हें पुस्तिका छपने के लिए प्रेस में जाने तक मान्यता प्राप्त की है।

मुआवजा की राशि

४३७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ तहसील के गांव कानपुर, शोपुरा, जाटान तथा नानूवाली ढाणी सूरतगढ़ सेन्ट्रल मैकेनाइज़्ड फार्म के नीचे आ गये ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) क्या यह सही है कि गांवों के निवासियों को उनकी भूमि की एवज में २६ एस० टी० जी० तथा शोपुरा, तथा ३४ एस० टी० जी० में १६५५ से १६५७ तक के दौरान में भूमि की जगह भूमि अलॉट कर दी गयी ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुराने गांवों के तलाब कुए वगैरह के मुआवजे के रूप में क्रमशः ११,६४६) रु०, ७,७४६) रु० तथा ६,१००) रु० की राशि ३१-३-५८ को उस समय के तहसील सरपंच सूरतगढ़ को दी गई ताकि तहसील सरपंच इस राशि को उपरोक्त गांवों में लगा दें ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि ७-८-१६५८ तक तहसील सरपंच के व्यक्तिगत अधिकार में पड़ी रही ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि ७-८-१६५८ के बाद ऑफिस में जमा करा दी गई तथा समय समय अनुसार निकाली गई, लेकिन आज तक यह राशि उपरोक्त गांवों में उपयोग में नहीं लाई गई ?

(६) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में २६-६-१६६१ को प्रार्थना-पत्र सेन्ट्रल एन्टीकरप्शन, पुलिस स्टेशन, जयपुर में रजिस्टर्ड ए० डी० द्वारा इन गांवों की जनता द्वारा प्राप्त हुए तथा इस सम्बन्ध में कलेक्टर गंगानगर तथा अन्य मन्त्रीगण एवं अधिकारियों को भी प्रार्थना-पत्र भेजे गये ?

(७) क्या यह सही है कि कलेक्टर गंगानगर द्वारा एक प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० हनुमानगढ़ को इन्क्वायरी के लिए भेजा गया ?

(८) क्या यह सही है कि एस० डी० एम० हनुमानगढ़ ने तहसील पंचायत सूरतगढ़ की रोकड़ जब्त कर ली तथा रिपोर्ट कलेक्टर गंगानगर के पास भेज दी ?

(९) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में इसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हुई है, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त भारी राशि के गबन के इस काण्ड की तुरन्त जांच करवा कर सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड देने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) कानपुर को ११,६४६) रु० दिनांक ३१-३-५८ अमरपुरा, श्योपुरा, जाटान को १५,४६८) रु० दिनांक ३१-३-५८ तथा नूनावाली ढाणी १,५६८) रु० दिनांक ३१-३-५६ को मुआवजे के रूप में विकास कार्यों के लिए तहसील सरपंच को दिये गए।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां। ७-८-५८ को रकम पोस्ट ऑफिस में जमा करादी गई। किन्तु सन् १६६० के अन्त तक २०,२७६) रु० गांवों के उपयोग हेतु दिए गए।

(६) दिनांक ६-६-६१ को कलेक्टर गंगानगर के पास एक दरख्वास्त की प्रतिलिपि प्राप्त हुई जो इन्चार्ज सेन्ट्रल एन्टी करप्शन पुलिस स्टेशन जयपुर के नाम थी।

(७) जी हां।

(८) जी हां।

(९) पुलिस में छानबीन जारी है।

बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण

४३८. श्री रघुवीरसिंह चिसाऊ (मंडावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर से पिलानी व जयपुर से बीकानेर रूट का राष्ट्रीयकरण कब किया जावेगा।

उत्तर

अभी तक इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की कोई निश्चित योजना नहीं है।

उदयपुर रीजनल ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों की बकाया

४४०. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर रीजनल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में चलने वाली कितनी गाड़ियों का अब तक आर. पी. जी. टी. बाकी है तथा उनके मालिक कौन २ हैं और हर मालिक में किस किस साल का कितना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस बकाया को वसूल करने के लिए कुछ गाड़ियों को कुर्की में लिया गया ? यदि हां, तो किस किस गाड़ी को तथा उनको किस शर्त पर छोड़ा गया ?

(३) क्या यह सही है कि वित्त मन्त्री ने विधान सभा में सन् ६३ में यह आश्वासन दिया था कि वर्ष ६३--६४ में बकाया की वसूली की जायेगी और यह राशि जल्दी से जल्दी वसूल की जायेगी ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

हिन्डौन शहर में कॉलेज

४४८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन शहर में किसी प्रकार का कोई कॉलेज नहीं है जब कि वहां लड़कों की संख्या जिले में सबसे अधिक है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यहां की जनता ने स्कूल भवन के लिए १ लाख रुपये की बिल्डिंग बनाई थी ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार यहां किसी भी प्रकार का कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) १२ कमरे करीब ६०,०००) रुपये की लागत के बनवाये हैं।

(३) अभी कोई योजना नहीं है।

पंचायत समिति गंगापुर के प्रधान की कार्यवाहियां

४५०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति गंगापुर के प्रधान, श्री गुलाबचन्द पल्लीवाल की पंचायत समिति गंगापुर में अवैधानिकता व पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियों के खिलाफ २८ मार्च, १९६२ को जो शिकायत पेश की गयी थी उसकी इन्क्वायरी का क्या हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान ने २८–२–६२ को स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बरों का रिटायरमेंट मनमाने ढंग से किया है तथा उसकी शिकायत कलेक्टर, सवाई माधोपुर को की गई किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां। आवेदन पत्र माह अप्रैल सन् ६२ में प्राप्त हुआ है उसकी जांच कलेक्टर द्वारा करवाई गई।

(२) जी नहीं। दिनांक २८-२-६२ को स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों का रिटायरमेंट न होकर दिनांक २८-३-६२ को हुआ। जांच से शिकायत आंशिक रूप से सही प्रमाणित हुई।

कालिका माताजी के मन्दिर की मूर्ति

४५१. श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के पास ही खास ओदी से कुछ दूर बोली नाम के मगरे (पहाड़) पर जो कालिका माताजी का मन्दिर है उसकी मूर्ति की गरदन किसी ने तोड़ दी है ? यदि हां, तो कब और देवस्थान ने इसकी सूचना पुलिस को दी या नहीं ?

(२) क्या सरकार अब उस खण्डित मूर्ति के स्थान पर मन्दिर में नई मूर्ति लगवाने का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनांक ७–५–६४ को मूर्ति के मुंह का अगला हिस्सा किसी ने तोड़ डाला है सूचना पुलिस को समय पर दे दी गई थी।

(२) जी हां।

वेतन पुनर्निर्धारण समिति की रिपोर्ट

४५३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या मोटर यातायात, स्वायत्त शासन, सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य व निर्माण कार्य, चावल, आटा व दाल मीलों, पत्थर काटने व तोड़ने के उद्योगों के संबंध

(श्री माणकचन्द सुराणा)

में न्यूनतम वेतन कानून के तहत गठित "वेज रिवीज़न कमटी" (वेतन पुनःनिर्धारण समिति) की रिपोर्ट्स सरकार के समक्ष पेश हो चुकी है? यदि हां, तो किन तारीखों में व उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या वेतन पुनर्निर्धारण समिति की रिपोर्ट्स पर न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल की सिफारिश भी राज्य सरकार को मिल चुकी है?

(३) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट्स को अभी तक स्वीकार किया है? यदि नहीं, तो क्यों!

उत्तर

(१) मोटर यातायात, स्वायत्त शासन, सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य तथा पत्थर काटने व तोड़ने के उद्योगों के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन कानून के तहत गठित रिविज़न कमेटियों की सिफारिशें पेश हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स निम्न तारीखों को पेश हुई :

मोटर यातायात दिनांक २४ १२-६३
स्वायत शासन संस्थायें दि० २४-१२-६३
सड़क व भवन निर्माण
व मरम्मत कार्य दि० ११-१-६४
पत्थर तोड़ना व काटना दि० २२-१२-६३

इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

चावल, आटा व दाल मिल के उद्योग के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जी हां।

(३) उक्त रिपोर्ट्स सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(रिपोर्ट्स की प्रतियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म के मजदूरों की यूनियन

४१६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म में मजदूरों की कोई यूनियन काम कर रही है? यदि हां, तो उस यूनियन का एफीलियेशन किससे है? क्या यह सही है कि यूनियन में काम करने वाले सदस्यों पर प्रशासक की तरफ से नाजायज़ दबाव डाला जाता है और तंग (विक्टीमाइज़) किया जाता है!

उत्तर

(१) जी हां, इसका ऐफीलियेशन इन्टक से है। प्रशासकों द्वारा नाजायज़ दबाव डाले जाने के बारे में कोई सूचना राज्य के श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(२) चूंकि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय समझौता विभाग से है, अतः विशेष जानकारी दिये जाने में असमर्थता है।

पंचायत समिति मावली द्वारा निर्मित नहर पर व्यय की राशि का भुगतान

४०७. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति मावली ने आसना के पास एक नहर बनाई है?

(२) यदि हां, तो यह ठेका किस व्यक्ति को दिया गया था और पेमेन्ट किसका किया गया?

(३) क्या वह नहर पूरी हो गई है? यदि हां, तो क्या उसका पूरा चुकारा हो चुका है?

(४) क्या यह सच है कि उसमें पेमेन्ट अधिक कर दिया गया है और रकम बाकी लेनी निकल रही है?

(५) यदि हां, तो कितनी रकम बाकी है, किससे लेनी है, कब से बाकी है व कब तक रिकवर होगी?

उत्तर

(१) पंचायत समिति द्वारा पंचायत खेमली को नहर के निर्माण के लिए अनुदान दिया गया था।

(२) निर्माण कार्य ठेके द्वारा न कराकर आसना निवासी श्री नन्दराम डांगी व श्री माधोपुरी के माध्यम से कराया गया। सरपंच खेमली को १३७५) रु० का व सर्व श्री नन्दराम व माधोपुरी को क्रमशः ३८२५) रु० का व ९००) रु० का भुगतान किया गया।

(३) जी हां, कुल ६१००) रु० का भुगतान किया गया है।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

पे-स्केल्स सम्बन्धी कार्यवाही

४०८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में ऐसे कितने अध्यापक, हैड मास्टर्स, लेक्चरार्स व प्रोफेसर्स हैं जिनकी तनख्वाह के सम्बन्ध में निम्न पे-स्केल्स के सम्बन्ध में कार्यवाही अब तक नहीं हुई है:—

(क) युनिफिकेशन ऑफ पे-स्केल्स, १९५०

(ख) रेशनलाइजेशन ऑफ पे-स्केल्स, १९५६

(ग) रिविज़न ऑफ पे-स्केल्स, १९६१

(२) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के मामलों को तत्काल निपटाने हेतु कोई कदम उठा रही है?

Page No. 38

उत्तर

(१) शिक्षा विभाग के फिक्सेशन केसेज जिन पर कार्यवाही होना बाकी है इस प्रकार हैं:—

(क) यूनिफाइड पे स्केल्स ३८

(ख) रेशनलाइजेशन पे-स्केल्स १२४

(ग) रिवाइज्ड पे-स्केल्स ७,३२७

(२) जी हां।

उदयपुर देवस्थान विभाग द्वारा भूमि विक्रय

४६०. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत ३ सालों में उदयपुर देवस्थान विभाग ने किस किस को कौनसी देवस्थान की भूमि कितनी कितनी धनराशि में बेची या किराये पर दी ? क्या जमीन नीलाम से बेची गई ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह भूमि नीलाम द्वारा नहीं दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

चित्तौड़गढ़ के छात्रावास

४६२. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? अगर हां, तो कहां कहां पर ?

(२) ये सब छात्रावास सरकार द्वारा पूरा खर्चा देकर चलाये जाते हैं अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा भी खर्चा किया जाता है ? कितने छात्रावास सरकार द्वारा एवं कितने अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ़ खास में भी कोई छात्रावास है ? अगर हां, तो कितने विद्यार्थियों का और उसका वार्षिक बजट क्या है ?

(४) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले का हैड क्वार्टर होने के नाते तथा शिक्षा संबंधी जिले का प्रमुख स्थान होने की दृष्टि से यहां के छात्रावास में विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या कम है ? अगर हां, तो इसमें भविष्य में कब तक वृद्धि की जा सकेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। अनुसूचित जन-जाति के लिये राजकीय छात्रावास बेगूं व प्रतापगढ़ में और अनुसूचित जाति के लिये राजकीय छात्रावास चित्तौड़गढ़ में चलाये जा रहे हैं। राजकीय अनुदान से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जन जाति के लिये जोराव बड़ी सादड़ी, अचनेरा व अनुसूचित जाति के लिये कपासन

Page No. 39

में छात्रावास चलाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त गाडोलिया लोहार सेवा संघ द्वारा चित्तौड़ में एक छात्रावास अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति के लिये चलाया जाता है।

(२) उपरोक्त छात्रावासों में से ३ राजकीय छात्रावास हैं एवं ५ छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। राजकीय छात्रावासों का पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों के लिये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

(३) जी हां। उस छात्रावास में विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या ४० है, जिसका वार्षिक बजट १६००० रुपये है इसके अतिरिक्त गाडोलिया लोहार सेवा संघ द्वारा चित्तौड़ में एक छात्रावास अनुसूचित जन जाति एवं विमुक्त जाति के लिये चलाया जाता है जिसकी स्वीकृत संख्या १४१ है।

(४) इस वर्ष राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास चितौड़गढ़ की संख्या २५ से ४० तक बढ़ा दी गई है।

भवानीपुरा रेन्ज में प्लान्टेशन कार्य

४६३. **श्री भैरवलाल "कालाबादल"** (अकलेरा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) प्लान्टेशन भवानीपुरा, रेंज मनोहरथाना जि० झालावाड़ का कार्य किस तारीख को प्रारम्भ किया था और तब से अब तक इस प्लान्टेशन पर कितना खर्चा किया गया है?

(२) क्या इस प्लान्टेशन में ग्राम मान्याखेड़ी, गरवोल्या, आकाखेड़ी, आकोल्या के मवेशियों की चरणोटें भी शामिल कर ली गयी हैं? यदि नहीं, तो उपरोक्त ग्रामों के मवेशियों के चरने की जगह कहां है? नम्बर चरणोट बताने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उक्त चारों गांवों के लोगों से वन विभाग ने कई बार मवेशियों के प्लान्टेशन हद में घुसने मात्र से ही सैकड़ों रुपये वसूल किये जिनकी रसीदें तक नहीं दी गई? यदि हां, तो किन किन गांव वालों से कितना जुर्माना वसूल किया गया?

(४) ता० २६–१०–६३ को मान्याखेड़ी के लोगों से फी मवेशी १५ रु० के हिसाब से ५०० रु० के लगभग जो राशि ली गई उनकी रसीदें किस तारीख को काटी गई और उपरोक्त अपराध में मवेशियों को कितने दिन जंगलात के बाड़े में बन्द रखा गया और रेन्जर ने किन किन व्यक्तियों को जूतों और डंडों से पीटा?

(५) उपरोक्त गांवों के मवेशियों के चरने और पानी पीने की क्या व्यवस्था है तथा गरवोल्या के खाल पर पानी पीने जाने का कौनसा रास्ता छोड़ा है?

उत्तर

(१) ता० १-६-६१ को। कुल १०६५०) रु० खर्च हुये।

(२) जी नहीं, सारी भूमि नहीं ली गई है। प्लान्टेशन के बाहर पर्याप्त क्षेत्र चरनोट

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

के लिये उपलब्ध है। खसरा नं० ३६५ २८६ व ३७०।

(३) जी नहीं, केवल एक बार ता० २६—१०—६३ को रात में काफी तादाद में मान्याखेड़ी ग्राम की मवेशी प्लान्टेशन में घुस गई और काफी नुकसान किया। यह मवेशी तारीख ३०—१०—६३ को प्रातः ६ बजे पकड़ी गई और उनसे मावजा ४८८) रु० वसूल किया गया लेकिन बिना रसीद कोई रकम वसूल नहीं की गई। जिनके मवेशी पकड़े गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ता० ३०—१०—६३ को भी रात भर चोरी से मान्याखेड़ी ग्राम के लोगों की जो कुछ मवेशी पकड़ी गई उन व्यक्तियों की मवेशियों को ३०—१०—६३ को ही श्री हरिकिशनदास, सरपंच मनोहरथाना की जमानत पर सुपुर्द कर दी गई। व इसके पश्चात दि० १०—२—६४ को उपरोक्त आसामियों ने बखुशी खुद ४८०) तार तोड़ने पौधों को नुकसान पहुंचाने आदि के मुआवजे के जमा किये हैं। किसी भी व्यक्ति को न तो किसी बाड़े में बन्द रखा गया और न किसी व्यक्ति को जूतों या डण्डों से पीटा।

(५) उक्त ग्रामों की मवेशियां—घोड़ा पहाड़ नदी पर पानी पीने जाता है और गरबोलिया गांव की मवेशी गरबोलियां के खाल पर पानी पीती है। इन जगहों पर जाने के लिये कोई रोक नहीं है तथा इनके लिये पर्याप्त भूमि चरने के लिये उपलब्ध है जिसका रकबा ४,६६३ एकड़ है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२४—८—६४)

४०६. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या वन-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या संगरिया मंडी से मानकसर स्टेशन तक भाखरा नहर को सादूलसिंह ब्रांच और रेल्वे लाइन के मध्य में लगभग १० मील लम्बा फोरेस्ट है?

(२) यदि हां, तो क्या इस फोरेस्ट में वृक्ष लगाने शुरु कर दिये हैं? आज तक कितने पेड़ इस फोरेस्ट में लगे हैं और कब से लगाने शुरु किये हैं?

(३) क्या जितने भी पेड़ लगाये गये हैं वे सब लग चुके हैं? यदि नहीं, तो जितने नहीं लगे हैं उनका क्या कारण है?

(४) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में कृषि भूमि बहुत कीमती है? यदि हां, तो क्या ऐसी कीमती जमीन में फोरेस्ट लगाना जरूरी है?

(५) अगर इस भूमि में अभी तक फोरेस्ट नहीं लगा है तो सरकार बागात जैसी स्कीम इस जमीन पर लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी हां, इस क्षेत्र में नहर के दोनों ओर के मिट्टी के खड्डों में वृक्षों की कतारें लाने की योजना है।

(२) जी हां, सन् १९६२ से वृक्ष लगाना शुरू किया है, और अब तक १२५ एकड़ में लगभग ५४,००० वृक्ष लगाए गए हैं।

(३) जो पौधे लगाये गये हैं वे लग चुके हैं, लेकिन पिछले जाड़े में पाला पड़ने से करीब ३० प्रतिशत नुकसान हुआ; ये वापस लगाये जा रहे हैं।

(४) जी हां, नहर जिस पर काफी धन खर्च हुआ है उसकी सुरक्षा के लिये इस भूमि पर वृक्षों की कतारें लगाना आवश्यक है ताकि नहर में मिट्टी जाने से रुक सके।

(५) फलदार वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नाजायज़ शराब बनाने के मामले

१०१. श्री ललितमोहन : (गोगुन्दा-सु०) क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य में नाजायज़ शराब बनाने के कितने केस १९६१ से १९६३ तक कम्पाउन्ड किये गये ?

(२) कितने केस किस-किस डिवीज़न में पेन्डिंग हैं और उन्हें कब तक फैसल किया जायेगा ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य में नाजायज़ शराब बनाने के सन् १९६१ से १९६३ तक ६,०४८ केसेज कम्पाउन्ड किये गये।

(२) अजमेर डिवीज़न १७०३
बीकानेर डिवीज़न ५८८
उदयपुर डिवीज़न ७८०

विभागीय केसेज को जल्दी फैसल करने के लिये अधिकारियों को समय समय पर आदेश देते रहते हैं।

सीमेंट एवं चद्दरों का कोटा

१०२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पंचायत समिति धरियावद को गत दोनों वर्ष में कितने सीमेंट एवं कितनी चद्दरों का कोटा जिला उदयपुर से प्राप्त हुआ और वो किस-किस माह में किन-किन पंचायतों को कितना-कितना मिला ?

(२) क्या यह सत्य है कि कुछ पंचायतों को छोड़कर उक्त कोटा सारे क्षेत्र में नहीं दिया गया और कुछ व्यक्तियों ने ही उसका गोलमाल कर लिया है।

(३) क्या अब राज्य सरकार इसके वितरण की सुव्यवस्था का प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर

(१) कुल ७५० थैले सीमेन्ट व ८५६ चद्दरें दिये गये। इनमें से जुलाई १९६२ में पंचायत धरियावद को २०० थैले, पंचायत बांगल को ५० थैले व पचायत लसाड़िया को

५० थैले सीमेन्ट दिया गया। इसी प्रकार जनवरी १९६२ में पंचायत धरियावद को ६५ चद्दरों का, अप्रैल १९६२ में पंचायत लकुकालेवा को ७६ चद्दरों का तथा मई, १९६२ पंचायत में खुन्ता को १५० चद्दरों के परमिट दिये गये।

(२) जी नहीं। पंचायतों को कोटा उनकी मांग आने पर दिया जाता है।

(३) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पंचायतें अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र तस्दीक करके पंचायत समिति को भेजती है व पंचायत समिति की सम्बन्धित स्थाई समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

आदिवासियों एवं हरिजनों के लिये कार्य

१०३. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण के लिये तहसील सांचोर में पिछले पांच सालों में सरकार ने क्या कार्य किया है?

उत्तर

अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के लिये तहसील सांचोर में, जो पूरा पचायत क्षेत्र है, गत पांच वर्षों में जो धन-राशि पंचायत समिति को दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

उदयपुर डिविजन के मन्दिर

१०४. श्री जोरसिंह चौहान (गिर्वा): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिविज़न के राज्याधीन मन्दिरों में से प्रत्येक मन्दिर की सालाना आमद क्या है?

(२) क्या यह सही है कि इन मन्दिरों की हालत मरम्मत के अभाव में खराब हो रही है?

(३) इन मन्दिरों की मरम्मत पर गत दस वर्षों में कुल कितना व्यय किया गया है?

(४) क्या सरकार इन मन्दिरों की मरम्मत के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) वार्षिक आय की सूची मन्दिरवाइज़ सदन की मेज पर रख दी गई है; (क)।

(२) यह सही नहीं है।

(३) इन मन्दिरों की मरम्मत पर गत दस वर्षों में कुल रु० ६४,०८०.४६ पैसे व्यय

हुए हैं जिनकी मन्दिर वाइज़ सूची सदन की मेज पर रख दी गई है; (ख)।

(४) जी नहीं। आइटम नं २ व ३ के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए मरम्मत के लिये योजना बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर

१०५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई-माधोपुर में कितने ग्राम सेवक ट्रेनिंग पा रहे हैं?

(२) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र का नल व बिजली का कितना रुपया मासिक खर्च होता है?

(३) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये क्या क्या नियम बने हुए हैं?

(४) प्रत्येक ग्राम सेवक से नल व बिजली के लिये कितना पैसा काटा जाता है?

(५) केन्द्र के कितने कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में कितने कितने लड़के रहते हैं?

उत्तर

(१) १४५ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(२) ४५०) रु०

(३) निम्नलिखित नियम लागू हैं :

१) छात्रावास के नियम,

२) ग्रामसेवकों के अवकाश के नियम,

३) अन्य राजकीय नियम इस केन्द्र पर भी लागू होते हैं।

(४) १.७५ पैसे।

(५) कुल १२ कमरे हैं व प्रत्येक कमरे में १३-१३ लड़के रहते हैं।

(१२.०७ म. प.)

गांधी सागर बांध में पानी की कमी सम्बन्ध स्थगन प्रस्ताव

(क) गांधी सागर बांध में पानी कम होने के कारण बिजली में कटौती विषयक :

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है : जो इस प्रकार है कि गांधीसागर बांध में पानी कम होने के कारण बिजली में जो कटौती की गई है उसके संबंध में एक प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास व माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से जो अभी तक कदम उठाये गये हैं उसकी सूचना माननीय सदस्यों को एक वक्तव्य के द्वारा, जो वितरित किया जा चुका है, दी जा चुकी है और इस संबंध में सरकार और प्रयत्नशील है और जैसी स्थिति आयेगी और आगे पैदा होगी उसको ध्यान में रखते हुए और कोई कदम इस बारे में उठाये उस विषय में सरकार उपयुक्त समय में वक्तव्य देगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है कि इन प्रस्तावों पर इस समय

(श्री अध्यक्ष)

विचार किया जाये। अतः इन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया (वितरित किया) है उसमें जैसा कि उन्होंने माना है कि ८,८०० वर्गमील का जो एरिया है वह प्रभावित होगा। तो क्या सरकार उस एरिया के लिए उचित समझती है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जब तक आप इसके बारे में आगे नहीं सोचते हैं तो भविष्य में इस प्रकार की कमी रहेगी और जब कमी रहेगी तो बिजली कम मिलती रहेगी। इसलिए इसका स्पष्टीकरण नहीं है और इसके बारे में उनकी ओर से कुछ कहा जाना चाहिए।

दूसरे, आपने कहा है कि ६ लाख यूनिट्स का जो कन्ज़म्पशन प्रति दिन का था उसकी जगह अब बिजली ४.५ लाख यूनिट्स मिलेगा और इतनी बिजली मिलने पर भी आपने कहा है कि उसकी औद्योगिक कमी महसूस नहीं होगी। तो इस संबंध में ऐसा क्या कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र में इसकी कमी महसूस नहीं होगी। हमारी मान्यता है कि इसका असर जरूर पड़ेगा; प्रोडक्शन भी कम होगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो बेकारी की समस्या भी उसके साथ ही साथ खड़ी हो जायेगी। क्योंकि जितनी शिफ्ट चलनी चाहिए उतनी नहीं चल सकेंगी और लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसका स्पष्टीकरण नहीं है। मैं समझता हूं कि ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं कि अगर माननीय मंत्री महोदय इनका स्पष्टीकरण कर दें तो सफाई हो जायेगी: भविष्य में भी बिजली पूरी मिलेगी या नहीं क्योंकि ८००० वर्गमील का जो एरिया है वहां पानी कम रहता है, जो आपने केवल माना है तो कमी पूरी किस प्रकार से पूरी होगी और उसके साथ ही साथ जब आधी कटौती हो गई है और ऐसी परिस्थिति में आप कहते हैं कि औद्योगिक क्षमता में कमी नहीं होगी तो हमारी मान्यता है कि कमी होगी, प्रोडक्शन कम होगा और बेकारी भी होगी, तो इस संबंध में मंत्री महोदय को थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहिए ताकि औद्योगिक क्षेत्र में और मजदूरों और दूसरे क्षेत्रों में अशांति दूर हो सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन-प्रस्ताव के पीछे जो प्रश्न है मैं समझता हूं कि वह टेम्पोररी तरीके पर एक ब्रेकडाउन का प्रश्न नहीं है, बल्कि बेसिक तौर पर जो हमारी गवर्नमेंट की पॉवर के सम्बन्ध में पॉलिसी है और जो प्रोग्राम चल रहा है वे तमाम क्वेश्चन्स री ओपन हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर डिटेल्ड डिबेट के लिए आप समय निर्धारित करें जिसमें राजस्थान में पॉवर सप्लाई के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की नीति और प्रोग्राम है उन सब पर पुनर्विचार गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए, क्योंकि इससे तो जाहिर होता है कि गवर्नमैण्ट ने इस नेचुरल कॉज़ को कि पानी कभी ज्यादा आयेगा और कभी कम आयेगा इसके पहले कन्सीडरेशन में नहीं लिया जिसकी बुनियाद पर तमाम पॉवर सप्लाई का प्रोग्राम बनाया है। उसी बेसिस पर इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन का प्रोग्राम है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमारा एग्रीक्लचरल का प्रोग्राम भी उसी बेसिस पर बेस्ड है। इसका मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह है कि हमारा फाइव ईयर प्लान का जो ताल्लुक है और जो भविष्य हम देख रहे हैं राजस्थान का, अपने इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन और एग्रीक्लचरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का, जिसमें चम्बल, भाखरा और राजस्थान नहर, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है उन तमाम पर एक तरह से हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ गई है और उसको किस रूप में हम ठीक कर सकते है, ये तमाम प्रश्न ओपन हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए डिटेल्ड डिबेट के लिए समय निधारित करें और गवर्नमैंट इस बात पर एग्री करे। केवल अभी इसका उत्तर देकर सन्तुष्ट कर पायेंगे, मैं समझता हूं, वह मुमकिन भी नहीं है और मैं समझता हूं कि इसके लिए समय की आवश्यकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गांधी सागर के हाइडल पॉवर के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने सूचना दी थी और उसके सम्बन्ध मैं यह जो नोट राज्य सरकार की तरफ से प्रसारित किया गया है, इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे आंकड़े मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही ऐलामिंक हैं। गांधी सागर पर हाइडल पॉवर खड़ा किया गया, करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेट हमने वहां पर किया और इतने करोड़्स ऑफ रुपीज़ के इन्वेस्टेमेंट के बाद भी मैं समझता हूं जो आंकड़े, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिये हैं और जो बड़ा भारी कारण बताया है वह कारण यह है कि वहां पर बरसात की कमी हुई है. तो यह बहुत बड़ा गम्भीर मसला है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने एडजोर्नमेंट मोशन में यह संकेत किया है और सरकार से यह जानना चाहते थे कि क्या कोई ओरीजिनल प्लानिंग और ज़िनुआनिन डिफेक्ट है या केचमेंट एरिया में पानी जो आना चाहिए उसका डाइवर्शन हुआ है या केचमेंट एरिया में पानी आने पर लीकेज हुआ है। रैनफाल कितना, किस किस प्रकार से हुआ था उसके फीगर्स मांगे थे। और मैं सरकार से जानना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिजली में कटौती करने का अधिकार धारा २२ में जो दिया गया है उसके तहत राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी और एमलगेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, अजमेर को राजस्थान सरकार के द्वारा यह अधिकार दे दिया गया है कि वह इस प्रकार से बिजली में बहुत बड़ी कटौती कर दे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल इतने से ही यह सदन सन्तोष नहीं करना चाहता है। हम करोड़ों रुपया जिन प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान न करे लेकिन दुर्भाग्य से यदि अगले साल भी बरसात कम हुई तो कौन सा प्लानिंग है- कौन सा डिज़ाइनिंग है जिसके आधार पर राजस्थान को मिलने वाली ६ लाख यूनिट बिजली मार्च और अप्रेल में २.७६ लाख यूनिट रह जायगी; वन-फोर्थ यानी रुपये में चार आना बिजली रह जायगी, और दुर्भाग्य से कहीं इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो जाय,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो मैं नहीं चाहता कि हो, अगर यदि अगले साल भी रेनफाल कम हुआ तो अध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट केवल देखने के लिए मोन्युमेंट की तरह रह जायगा कि कांग्रेस सरकार ने जनता का करोड़ों रुपया खर्च करके एक हिस्टोरिकल मोन्युमेंट खड़ा किया है।

जो रेनफाल के बारे में सरकार कहती है उसके ऑफिशियल फीगर्स मेरे पास में हैं। ६१ में रेनफाल ३५ इंच हुई थी उस समय जो केचमेंट एरिया था उसमें पानी १ -१२ मिलियन एकड़ फीट था, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अब सन् ६४ में जो बरसात हुई है उसमें २२ इंच रेनफाल है। ३५ इंच रेनफाल में ११ मिलियन एकड़ फीट पानी था और २२ इंच रेनफाल में २ मिलियन एकड़ फीट पानी है। रेनफाल का प्रोपोर्शन देखिये और मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रोप्रोर्शन देखिये। तो निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसमें कहीं न कहीं ऐसा डिफेक्ट है, बरसात की कमी बड़ा भारी कारण नहीं है। यह गलत कारण है। बरसात अगर होती है ३५ इंच तो ११ मिलियन एकड़ फीट पानी था तो २२ इंच रेनफाल के आधार पर २ मिलियन एकड़ फीट पानी कैसे रह गया, केवल १५ हिस्सा। दुर्भाग्य से मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज पैदा हो गई तो कितना मुश्किल होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे दिल्ली जा रहे हैं और २६ तारीख को मीटिंग हो रही है तो इस बन्ध में एक कमीशन बिठाना चाहिए, एक एन्क्वायरी कराई जानी चाहिए कि आखिर बड़ा भारी हैवी प्रोजेक्ट है, जोइन्ट वेन्चर है दो स्टेटों का और अरबों रुपया इन्वेस्ट किया गया है! केवल बरसात के पानी का ही सवाल था तो क्यों नहीं इस प्रकार का प्रोवीज़न किया गया कि इतनी रेनफाल रहेगी तो इतना पानी रहेगा, और कम से कम दो साल बरसात नहीं हो एक इंच भी तो भी मैं निवेदन करना चाहता कि ऐसी हालत में भी हमारी पॉवर सप्लाई इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। यह प्लानिंग का बेसिक फन्डामेन्टल होना चाहिए। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कि सन् ६१ में पूरा पानी था, जरूरत से ज्यादा पानी था और सरकार ने खुद ने जो आंकड़े दिये हैं उनमें बताया गया है कि बांध का साधारण लेवल १३११ एम. एस. एल होना चाहिए, लेकिन इस बार १,२८५ और पिछले वर्ष १,३०७ था। इतना बड़ा भारी अन्तर नहीं है। आपका जो स्टेण्डर्ड लेवल है जिसके आधार पर जो आपने आंकड़े दिये हैं वे इतने कम नहीं हैं। दूसरे रेनफाल के जो फीगर्स हैं उसके हिसाब से केचमेंट एरिया में वाटर का स्टोरेज पूरा आना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा मसला है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आधार पर या स्टेट लेवल पर एक इन्क्वायरी कमीशन बिठाया जाय जो सारे डिज़ाइनिंग के बारे में जो बड़े बड़े इन्जीनियर्स हैं, इर्रिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं, हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं वे इस बात की जांच करें कि किसी प्रकार से डिज़ाइन में तो डिफेक्ट नहीं है, साइट के लोकेशन में गलती तो नहीं हुई है, या केचमेंट एरिया का कुछ किया है वह गलत तो नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, राजस्थान के पूर्वी भाग में कोटा जैसे शहर में जहां कि इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन इतना बढ़ता जा रहा है और लोगों ने वहां अरबों रुपया लगाया है वहां पर पॉवर सप्लाई की इतनी बड़ी कमी हुई है तो बहुत बड़ी राजस्थान में केटेस्ट्रोफी खड़ी हो सकती है ।

इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ६ लाख युनिट बिजली में से, अध्यक्ष महोदय, लगभग ४५ पर्सेन्ट केवल एक कन्सर्न को दी है सारी पॉवर सप्लाई में से । आप अन्दाज लगाइये कि जिसकी पॉवर पोटेन्शियेलिटी इतनी कम है कि राजस्थान के सारे टेक्सटाइल मिल्स का कन्ज़म्पशन ६० हजार युनिट्स है उसकी पॉवर पोटेंशियलिटी साढ़े तीन हजार है और जिसको ४५ पर्सेन्ट बिजली दी जाती है उसकी पोटेन्शियेलिटी २ हजार की है । इस तरह से पॉवर की सप्लाई में इम्बलेन्स किया गया है । आपको पॉवर सप्लाई में साइन्टिफिक और रेशनल बेसिस निर्धारित करना चाहिए । जिनसे करोड़ों रुपयों का इन्वेस्ट करवा कर एग्रीमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि बिजली सप्लाई करेंगे तो कानून के आधार पर बिजली बन्द कर देंगे तो नतीजा यह होगा कि राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की गति रुक जायगी; आपके इलाके में सुविधा देने का वायदा करने के बाद इस तरह से करेंगे तो राजस्थान में इन्डस्ट्रियलिस्ट्स नहीं आयेंगे और राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी इस प्रकार से आर्बिट्रेरी वे में सारी चीजें करेंगे तो । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच कमीशन बिठाया जाय और जांच कराये ।

इस सम्बन्ध में मैंने जो चार कारण बताये है और दूसरे कारण जिनको आप आवश्यक समझते हैं उनकी जांच करावें और सदन को जानकारी दें । जब आवश्यकता होगी तो समय पड़ने पर मैं आपसे और निवेदन करूंगा । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये समय निर्धारित करें । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर हम चर्चा नहीं करते है, लेकिन यह बहुत ही अहम ममला है जिसका सम्बन्ध जन जीवन से है । २६ तारीख को जो मीटिंग हो रही है उसमें सदन की भावना मंत्रीजी केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचायेंगे और उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन सदन में करेंगे, जिसके जरिये भविष्य में नीति निर्धारित कर सकें ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि भारत सरकार ने राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और शायद पंजाब भी उसमें शामिल है, इनका एक रीजनल बेस बनाया था जिसका पर्पज़ यह था कि जितनी बीजली जेनरेट होती है वह एक जगह जाकर रेशनल बेसिस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, रीजनल गिल्ड बनाकर भारत सरकार इन सब जगहों की "डिमान्ड को मीट कर सके ।"

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में थर्मल पॉवर जेनरेट करने के लिये कितने प्लान्ट्स हैं और उनसे कितनी पॉवर हम जेनरेट कर सकते हैं और कब तक कर लेंगे ? आपने कटौती १६ तारीख से शुरू कर दी

Page No. 48

(श्री भैरोंसिंह)

है लेकिन जो हमारे पास प्लान्ट्स हैं थरमल पॉवर जेनरेट करने के लिये वे कब से शुरू किये हैं और पूरी बिजली वे कब तक जेनरेट कर लेंगे, लोगों की कमी को पूरा करने के लिये।

इन दो बातों के साथ में तीसरी बात यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार दोनों के बीच भाखरा से बिजली लेने का जो समझौता हुआ है वह बिजली पिछले दो वर्षों से हम ले पाये हैं। उससे पहले हमको जितनी बिजली मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पाई। इन वर्षों में हमें कितनी कम बिजली मिली उसको प्राप्त करने का हमें अधिकार है। क्या राजस्थान सरकार उसके पेमेन्ट के लिये और उस शोर्टेज को मीट करने के लिये भारत सरकार की मार्फत पंजाब सरकार को मूव करेगी और उनको बतायेगी कि हमारी एग्रीमेन्ट के अनुसार हमें इतनी बिजली मिलनी चाहिये थी और इतनी कम मिली। जितना बैलेन्स रहा है वह भारत सरकार की मार्फत हम पंजाब से रिकवर करें और हमारी जो शार्टेज हैं उसको पूरा करने में मदद हो सके। इन तीन बातों को ध्यान में आप वक्तव्य देते समय रखें।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जब से बिजली की कमी की सूचना राजस्थान सरकार को मिली है उस वक्त से जो जो कदम सरकार ने उठाये हैं उनके बारे में मैंने यहां पर स्टेटमेन्ट माननीय सदस्यों के सामने इस वास्ते रखा कि यह मामला बड़ा अहम मामला है जिसका राजस्थान के औद्योगीकरण और राजस्थान की इकोनोमी के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। जो आकड़े मैंने इस वक्तव्य में रखे हैं वे जरूर एलार्मिंग हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा चंबल नदी के संबंध में, इस नतीजे पर आज पहुंच जाना कि डिज़ाइनिंग में फॉल्ट है या कुछ और चीज़ इसके पीछे है जिससे अपन इस नतीजे पर पहुंच जावें कि इसमें डिज़ाइनिंग को गलती है, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : आपका स्टेटमेन्ट अखबारों में छपा है। There was some lecuna which did not envisage such emergenct situation यह स्टेटमेन्ट आपके नाम से हिन्दुस्तान टाइम्स डेटेड १८.१०.६४ में छपा है।

श्री हरिश्चन्द्र : उन्होंने निकाला होगा, मैंने नहीं कहा। जो माननीय सदस्यों की राय है उस राय को जरूर मैं २६ तारीख को जब दिल्ली जाऊंगा तब रखूंगा और डाक्टर राव से भी यह निवेदन किया जायगा कि इसके बारे में जानकारी विशेष करें। सी. डब्ल्यु. पी. सी. के इंजीनियर हैं उनसे बात करने पर यदि इस बात की जरूरत हुई कि वहां पर इन्कवायरी की जाय, इन्वेस्टिगेशन किया जाय तो जरूर, मैं समझता हूं, डॉक्टर राव करेंगे। लेकिन जो आकड़े वर्षा के हैं वे भी बड़े एलार्मिंग हैं क्योंकि चम्बल नदी पर ३ डेम बनेंगे। आज गांधी सागर डेम कंपलीट हो गया है एक स्टेट में, राणा प्रतापसागर और कोटा बैरेज बांध नहीं बने हैं। उनके बन जाने पर वह पानी जो आज बिजली दे रहा है उसकी मात्रा बढ़ जायगी; क्योंकि दो बांध और आयेंगे

(श्री हरिश्चन्द्र)

और जो पानी आज इर्रिगेशन के लिये दे रहे हैं या वेस्ट जा रहा है वह सिर्फ गांधीसागर में पॉवर जनरेट कर रहा है, बाकी दो में नहीं कर रहा है इसलिये यह कहना कि हमारा पानी है वह पानी इस वक्त टोटल केपेसिटी को जेनरेट नहीं कर रहा है यह सही है क्योंकि हमारी केपेसिटी चंबल प्रोजेक्ट से तभी पूरी हो सकेगी जब दोनों बांध और बन जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो डाउन लेवल पर है उसका असर क्या होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जरूर होगा। आप समझ नहीं पाये है शायद। गांधीसागर से जो पानी निकलता है वह कोटा बैरेज में इर्रिगेशन के काम आ रहा है; बीच में दो बांध और बनेंगे तो वही पानी राणा प्रतापसागर और कोटा बैरेज में भी पॉवर जेनेरेट करेगा। You will have additional power with the same flow.

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह समझ रहे हैं कि ऊपर........

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जो पानी गांधीसागर से निकलने के बाद इर्रिगेशन में निकल जाता है वह एडीशनल पॉवर और जेनरेट करेगा। चंबल प्रोजेक्ट कम्प्लीट तभी कहा जायगा जब दो बांध और बंध जायेंगे।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रेन फाल के फिगर्स बताये। मेरे पास जो फिगर्स हैं वे इस प्रकार हैं :

सन् १९६१ में ३५" वर्षा हुई और १०.९२ मिलियन एकड़ फीट पानी गांधीसागर में आया।

सन् १९६२ में २८.८" एवरेज रैनफाल हुआ और ६.२२ मिलियन एकड़ पानी आया।

सन् ६३ में २१.४" एवरेज रैनफाल था और ४.३६ मिलियन एकड़ फीट पानी आया।

सन् ६४ में अपटू सैप्टैम्बर २२ वर्षा मानसून से हुई और १.६ मिलियन एकड़ पानी आया।

अब इसका मतलब यह है कि वर्षा की रफ्तार का बहुत सारा सम्बन्ध बढ़ता है; यदि वर्षा होती रहे, उसका कैचमैन्ट एरिया है, जैसा कि माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये है उन्होंने कहा कि कैचमैंट एरिया बढ़ाया जाय, मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे बढ़ाया जाय। न तो मैं उसको बढ़ा सकता हूं और न कोई इंजीनियर बढ़ा सकता है। फिक्स्ड कैचमैंट एरिया है, यह मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे बढ़ाया जाय। The river has a fixed catchment area.

The inflow of water into Chambal is a very significant phenomena which you have to reckon with.

अब सवाल यह है कि २२" रैनफाल होने पर सिर्फ १.९ मिलियन एकड़ फीट पानी आया उसका मतलब यह हुआ कि रन आप कम हुआ। सारा पानी बरसात का जज्ब होता रहा।

(श्री हरिश्चन्द्र)

उस इलाके के अन्दर, चम्बल के आस पास इलाके के अन्दर; जैसे झालावाड़ा है, कोटा है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है—इन एरियाज़ के अन्दर भी पानी अबके बहुत कम गिरा है और जो तालाब भर जाने चाहिए, इस वक्त उनमें करीब चार फीट पानी आया है। यह फिनोमिना केवल चम्बल तक ही सीमित नहीं है, उस एरिया में भी है। यहां तक तो कह सकते हैं कि क्रॉप पेटर्न के लिए बारिस ठीक हुई हैं लेकिन तालाबों के लिए, नदियों के लिए पानी बहुत कम आया है। अब पानी कम आने के कारण जो लेवल पानी का होना चाहिए था उस लेवल पर पानी नहीं पहुंचा और जो लेवल मैंने आपको बतलाया, इस वक्त लेवल है वह १२८५.६ के आस पास है। अब जो स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है उसको देखते हुए अगली बारिस तक पकड़ना बहुत निहायत जरूरी है कि अगली बारिस तक बिजली लेते हुए चले जायं। इसके लिए हमने दो-तीन फेजेज़ में डिवाइड किया है, वे आपके सामने मैंने रखे। अब क्वान्टम आफ पॉवर अवेलेबल होगी उस टाइम के अन्दर, उस पीरियड के अन्दर वह भी आपके सामने निवेदन कर कर दी है। इसको देखते हुए राजस्थान के अन्दर काफी सीरियस सिचुएशन एराइज़ होती है, इसमें दो राय नहीं है। इसका मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए दो बातें आपके सामने रखी हैं—एक २६ तारीख को दिल्ली जाऊंगा, तब यह जो रतनगढ़–जयपुर लाइन है इसके बारे में हालांकि उनसे टेलीफोन पर बात करने के बाद और पत्र–व्यवहार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको लिया जाय, लेकिन इसके लिए सी० पी० डब्ल्यू० डी० से फर्म कन्फर्मेशन उस लाइन का लेना है। उस लाइन को रेकॉर्ड पीरियड के ऊपर खड़ा कर सकें तो हमको भाखरा से एडीशनल पॉवर इस लाइन पर मिल सकती है। टोटल पॉवर इसके ऊपर जब १३२ की लाइन खड़ी होगी एमर्जेन्सी बेसिस पर, तो बारह से तेरह हजार किलोवाट बिजली ली है, अब भाखरा ग्रिड में पॉवर है उसको सप्लीमेंट करते हैं चम्बल ग्रिड के अन्दर तो नेचुरली यहां पर रिलीफ मिलता है।

दूसरा पोइन्ट है, यह जो थरमल के बारे में माननीय सदस्यों ने फर्माया, आज हम थरमल के ऊपर चल रहे हैं, हम दो दिनों से इस बात का एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं कि हमारा जितना भी कन्ज़म्प्शन हाइडल का है, वह कम हो। इसका कारण यह है जितना कम करेंगे, उतना पानी हम बचायेंगे और जितना पानी बचायेंगे उतना ही फायदा होगा गर्मी के दिनों में जब कि हमारी जेनरेटिंग केपेसिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस वास्ते जो कटौती के प्रस्ताव मैंने इस वक्त, या विद्युत मंडल ने रखे हैं, वे इस वजह से रखे हैं कि हम पानी को बचा सकें क्योंकि बिजली हमें मिलेगी उससे खर्च हमारा ज्यादा है, इसलिए हमारे जो सारे थरमल सेट्स और डीज़ल सेट्स हैं, वे आज चल रहे हैं और हम १.६१ लाख यूनिट जेनरेट करते हैं। जयपुर के अन्दर, कोटा के अन्दर थरमल सेट्स चल रहे हैं और दो दिनों से जितना हो सकता है उतना लोड ले रहे हैं। आज सुबह के फिगर्स हैं कि हमने सात लाख यूनिट कन्ज़्यूम किया है, यानी

(श्री हरिश्चन्द्र)

हम ६ लाख से सात लाख के ऊपर ले आये हैं, यानी दो लाख के आस–पास हमने जेनरेट किया है। सात लाख के फिगर्स आज सुबह के मैं दे रहा हूं। ताहम भी हमको....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कैपेसिटी कुल कितनी है; थरमल और डीज़ल सेट्स की ?

श्री हरिश्चन्द्र : १.६१ लाख यूनिट।

श्री भैरोंसिंह : वह कर ली है, कैपेसिटी कितनी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। अब इसमें क्योंकि हमारी लिमिटेड बायलर कैपेसिटी है, हमारी टर्बाइन कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए हमारे इन्जीनियर्स लगे हुए हैं कि हमारी बॉयलर कैपेसिटी में वृद्धि कर सकें। वह भी कम से कम दस हजार यूनिट और जेनरेट कर सकते हैं। इस वक्त इनीशियल शोक लेने के लिए, यानी आज रात को इनीशियल शोक लेने के लिए मैंने विद्युत् मंडल से कहा है कि हमारी थरमल कैपेसिटी है वह फुल कैपेसिटी पर चले ताकि इनीशियल शोक हमें लो हो जाता लगे तो हम रिव्यू कर सकें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। उसके बाद अगर यह सदन भी यह सोचेगा तो मैं देखूंगा कि आगे हमारी यूनिट्स, जो जेनरेट हो रही हैं उसमें और जो खर्चा हो रहा है उसमें ज्यादा अन्तर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें और कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि हमको पानी हर हालत में गांधीसागर में बचा कर चलना है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसका असर इन्डस्ट्रिलाइज़ेशन पर पड़ेगा। यह मैं मानता हूं। इसमें दो राय नहीं हैं कि जो कटौती राजस्थान के सामने है, क्योंकि हमारे पास थरमल कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है और मध्य प्रदेश के पास ज्यादा है क्योंकि उनके पास सेट्स पड़े हैं, ग्वालियर का ले लीजिये, उज्जेन का ले लीजिये जहां पर उनके पास स्पेयर थरमल कैपेसिटीज़ हैं। इसलिए वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के पॉवर मिनिस्टर को, चेअरमैन विद्युत् मंडल और सेन्ट्रल पॉवर मिनिस्टर डॉ. राव को निवेदन किया गया है कि उनके पास थोड़ी भी स्पेयर कैपेसिटी हो तो वह राजस्थान को दी जाय ताकि हम इस क्राइसिस को मीट कर सकें। मैं आशा करता हूं कि हमारे निवेदन को वे स्वीकार करेंगे और जब मीटिंग में आयेंगे तब उनसे इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस वक्त हालत है वह मैंने आपके सामने पेश की है।

जहां तक भाखरा का सवाल है, जिसके बारे में आपने कहा, इसके मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को, कितनी पॉवर हमने कन्ज़्यूम की है और कितना उसके बदले में पैसा मिला है, यह जानकारी पत्र लिख कर दे सकूंगा। बहरहाल, भाखरा बांध का जो बैड लेवल है, उस बैड लेवल को उन्होंने ऊंचा किया है, उससे एडीशनल कैपेसिटी भाखरा को मिली है, उस एडीशनल कैपेसिटी में जो राजस्थान के हिस्से में भी कुछ आती है, जो कि इस वक्त अनयूटिलाइज्ड पड़ी है। अगर हमारी लाइन

(श्री हरिश्चन्द्र)

खिंच जाती हैं, तो हम आशा करते हैं कि जो सरप्लस पॉवर जेनरेट हो रही हैं उस पॉवर को हम चम्बल की ग्रिड के अन्दर फीड कर सकते हैं ताकि चम्बल पॉवर की जो कमी है उसको थोड़े हद तक हम पूरा कर सकें। इसके साथ ही, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, २६ तारीख को मीटिंग होने के बाद जो चीजें होंगी वे मैं माननीय सदस्यों के सामने पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे इस स्थिति का कुछ स्पष्टीकरण अवश्य हुआ है। जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, २६ तारीख को दिल्ली में मीटिंग हो, उसके पश्चात् जो स्थिति होगी उसके सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हुआ इस सदन में और समय विचार करने के लिए रखा जाय। इस सम्बन्ध में एक बात की ओर और उनका ध्यान मैं आकर्षित कर दूं, क्योंकि सिंचाई मंत्री भी यहीं है कि चम्बल प्रोजेक्ट में इस सिंचाई का पोटेंशियल जो योजना में है वह चौदह लाख एकड़ का है और वह आज मुश्किल से दो-ढाई लाख एकड़ होता है, आगे चलकर इससे बढ़कर जब चौदह लाख एकड़ तक पहुंचेगा तब उस स्थिति का असर इस पॉवर जेनरेशन पर पड़ेगा, इस लिहाज से भी इस समस्या पर विचार किया जाय तो सम्पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी मिल सकेगी। यह बात मेरे ध्यान में आई, वह मैंने मंत्री महोदय के समक्ष रखी है।

(ख) खाद्यान्नों इत्यादि विषयक स्थगन-प्रस्ताव :

कुछ स्थगन प्रस्ताव और हैं, जो खाद्यान्नों के भाव से और अमुक नगर-जयपुर, बूंदी जिला इत्यादि से सम्बन्धित हैं। माननीय सदस्य, श्री रामकिशनजी ने, भारत सरकार ने जो भाव निर्धारित किये हैं उनको उपयुक्त न मानते हुए एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि हमारे राज्य में क्या भाव होंगे। इसलिए अभी इस पर विचार करना उचित नहीं है, जब तक राज्य सरकार स्वयं इस पर निर्णय न ले ले।

जयपुर नगर में खाद्यान्नों के वितरण के सम्बन्ध में श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। माननीय सदस्य श्री हरिप्रसाद शर्मा ने बूंदी जिले में अनाज के वितरण की व्यवस्था उचित न होने के बारे में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री भैरोंसिंह ने राज्य में खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। खाद्य व कृषि मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने वाली है। केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री भी हमारे नगर में हैं, उनसे विचार-विमर्श करने के बाद जो इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय करेगी उससे इस सदन को (सरकार) अवगत करायेगी, इसलिए मैं नहीं समझता कि इन प्रस्तावों पर इस समय विचार किया जाय। इसलिए ये प्रस्ताव अस्वीकार किये जाते हैं और मंत्री महोदय को निवेदन किया जाता है कि सरकार निश्चित नीति बना ले, उसके पश्चात् इस सदन में एक वक्तव्य दें ताकि माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो वे बहस में हिस्सा ले सकें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार निश्चित नीति इस सदन के चालू सैशन में बना लेगी या बाद में बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र बन जायेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : चालू अधिवेशन के अन्दर अन्दर बन जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि सारी फूड प्रोब्लम पर डिबेट कर लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इस पर पहले भी काफी बहस हो चुकी है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि बूंदी जिले में और उसके आस-पास के इलाकों में किसी किस्म का अनाज नहीं मिलता है। आस-पास में भंडार भरे हैं, मगर बूंदी जिले में बेचैनी फैल रही है। लोग भूखों मर रहे हैं और मैं समझता हूं कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको सस्ता अनाज नहीं दे सकते हैं तो किसी प्रकार का महंगा अनाज भी उनको आप दें। बूंदी जिले में अनाज की दूकानें खुली हैं किन्तु वहां पर अनाज नहीं है। लाखेरी वगैरह में चार दूकानें हैं, मगर उन दूकानों पर अनाज नहीं पहुंचता। मैंने कलेक्टर से कहा तो कलेक्टर ने कहा कि हम क्या करें, अनाज पूरा मिलता नहीं है।

इसके अलावा वहां पर इस काम में भी राजनीति अपनाई जाती है। कहा जाता है कि आप जन संघ के एम. एल. ए. हैं, कांग्रेस के एम. एल. ए. होते तो लाभ हो सकता था। समझ में नहीं आता कि गेहूं जैसी चीज के बारे में भी राजनीति बरती जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे किसी भी किस्म का नाज महंगा या सस्ता, भेजने का वहां इन्तजाम करें।

आप सारे सदन की कार्यवाही को रोक कर पहले उन लोगों को भूख से बचा लीजिये, यह आपकी (उनके प्रति) सबसे बड़ी सेवा होगी। आपके बातों के प्रपंच और खिलबाजी तो चलते रहेंगे। अगर जनता जिन्दा रहेगी तो सब करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यही निवेदन करना है.......

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह एक बहुत गंभीर बात है। इसमें हंसने की क्या बात है ? लोग भूखों मर रहे हैं और आप हंसते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी, वह इस आधार पर कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के खाद्य मंत्री ने घोषणा की है कि अनाजों के जो भाव अखिल भारतीय आधार पर किये गये हैं वे कृषि मंत्रियों की सलाह से तय किये गये हैं। उनकी सहमति है तो मैं जानना चाहूंगा कि भावों में यह बात दी गई है कि वे इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। जैसे बाजरा के भाव १४ रु० और १६ रु० रखे हैं। इससे ऊंचे भाव जाने का प्रश्न नहीं है। इसलिए वे स्पष्टीकरण करें कि क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भाव रखे हैं उनसे ऊपर जाने का है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं वे अंतिम हैं।

(ग) नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज में औद्योगिक अशांति विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह ने नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ में जो औद्योगिक अशांति चल रही है और जो हड़ताल हो रही है उस सम्बन्ध में स्थगन-

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वे उचित समझें तो आज या कल वक्तव्य दें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री): कल संभव होगा तो कल बता दूंगा और नहीं तो परसों बता दूंगा। मगर मैं समझता हूं कि परसों इस पर बताना बिलकुल ठीक होगा।

(१२. ४४ म०प०)

सदन की मेज पर रखे गये नियम

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मंत्री, विधि) अध्यक्ष महोदय, मैं

(क) Rules Compendium, 1962 under Rajasthan Acts.

(ख) Rajasthan Rules under Central Acts, Vol. I.

सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Shall the parties be supplied copies of these compendiums if not to all the members ?

(१२. ४५ म:प०)

पुरः स्थापित विधेयक

(क) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक, १९६४ :

श्री अध्यक्ष : पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(ख) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री दिनेशराय डांगी (उपमंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि एवं प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक,

Page No. 55

(श्री परसराम मदेरणा)

१६६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को १६ अक्टूबर, १६६४ तक और बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें संशोधन के लिए निवेदन करूंगा कि इसकी अवधि २६ अक्टूबर तक बढ़ा दी जाये। क्योंकि जिस समय प्रवर समिति की बैठकें चल रही थीं उस समय सदन में महत्वपूर्ण कार्यवाही चल रही थी, इसलिये मैं सूचना के बावजूद भी वहां पर जा नहीं सका। प्रवर समिति में जिन बातों पर विचार करने के लिए भेजा गया था उन पर अच्छी तरह से विचार नहीं हुआ और दुबारा पेश कर दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसको २६ अक्टूबर या वे चाहें तो २३, २४, २५ तारीख को जब छुट्टियें बीच में आ जावें तो आ जावें और इस पर विचार कर लें तो ठीक रहेगा, अन्यथा फिर समय लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। दो दफा कमेटी की मीटिंग इसीलिए रखी गई और आपको सूचना दी गई कि आप उसमें भाग ले लें। आपके लिए ही रखी गई थीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं समझता कि इस पर और विचार करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि The Rajasthan Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Bill, 1964 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को १६ अक्टूबर, १६६४ तक बढ़ा दिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं The Rajasthan Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Bill, 1964. पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमित पत्र सहित, उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

(१२.४८ म० प०)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६४

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६४ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव, प्रस्तुत हुआ।

(श्री दिनेशराय डांगी श्री राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ के लिए खड़े हुए)

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर) : दोनों साथ साथ चलें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (इस पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर)

२) श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद)

३) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह। में पन्द्रह दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : He is not ready.

श्री अध्यक्ष: He is ever ready.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक में संशोधन....

श्री भैरोंसिंह : क्या विधेयक है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: विधेयक है फाइनेन्शियल और उसके अन्दर कुछ और अधिकार लेने की बात आई है। जैसी कि बात माननीय सदस्य समझते हैं, वैसी बात नहीं है। यह बात जरूर है कि अचानक ही बात आई। फिर भी मैं अपने विचार इस पर रखूंगा।

पहली बात तो यह है कि उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से यह विधेयक यहां पास हुआ, उसके पास होने के बाद मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी का रूप इसे दे दिया गया। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कि उदयपुर में यूनिवर्सिटी हो। पर मैं इस बात को प्रोटेस्ट करना चाहूँगा कि अजमेर स्टेट थी, जो आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आज से नहीं वर्षों से फ़ीगर्स उठा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि एग्रीकल्चर का परसेंटेज़ हिन्दुस्तान में सेकिन्ड रहा है। अजमेर सेंट्रली एड्मिनिस्टर्ड एरिया था। इस तरह से गवर्नमेंट कालेज अजमेर, वहां का वातावरण, फिर भी अजमेर में यूनिवर्सिटी क़ायम नहीं की जा सकती, उदयपुर में यूनिवर्सिटी की जा सकती है, जोधपुर में यूनिवर्सिटी की जा सकती है। मैं यह नहीं कहता कि वहां नहीं होनी चाहिये, पर मैं यह जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के लिये उपयुक्त वातावरण जहां होना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहिये था वह अजमेर था, एजूकेशन के लिहाज से, एग्रीकल्चर के पर्सेंटेज के लिहाज से, राजस्थान में अजमेर का पहला नम्बर आना चाहिये था। सारे राजस्थान में एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं था, अजमेर में सबसे पहले का था। जहां गवर्नमेंट कॉलेज था, जिस गवर्नमेंट कॉलेज के स्कोलर्स आज यहां सदन में बैठे हैं। पर अजमेर में यूनिवर्सिटी नहीं की गई। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, इसमें जो सशोधन किये हैं, वे संशोधन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के कानून में नहीं हैं। आप चाहते हैं कि बजट के अलावा भी एमर्जेन्सी में भी कोई भी इसी तरह का खर्चा, जैसा मन में चाहें वैसा, करने का पॉवर देना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ओटोनोमस बॉडी है, उसके किसी काम में हम इन्टरफियर नहीं कर सकते, जो भी यूनिवर्सिटी करती है वह उसे करने में स्वतन्त्र है, उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ आप यह लाना चाहते हैं, इस लेजिस्लेचर के सामने यह बात लाकर ऐसे अधिकार देना चाहते हैं कि जिस कदर के अधिकार हिन्दुस्तान की किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं हैं। दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को जो अधिकार नहीं हैं उस तरह के अधिकार इस यूनिवर्सिटी को देना गलत होगा।

आप यह एक अधिकार देना चाहते हैं, जिससे दूसरी रेस्पेक्टिव बॉडीज़ के अधिकार कैंसेल करना चाहते हैं। पहले इस प्रकार का प्रोविज़न था कि दो महीने में एक मीटिंग हुआ करती थी, पर अब आप चाहते हैं कि साल भर में एक मीटिंग हुआ करेगी। तो फिर आप सारे ही अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दीजिये। जो सैंक्शन लेकर खर्चा करने की बात थी वह हटा रहे हैं, रेस्पेक्टिव बॉडीज़ के अधिकार कर्व करके अपने हाथ में लेकर दो महीने में एक मीटिंग बुलाने का प्रोविज़न था उसको एक साल का करना चाहते हैं, एक साल में एक मीटिंग हो और उसमें जो हो उसकी एक रिपोर्ट पेश कर दी जाय। आखिर क्या मंशा है इस तरह से अधिकार ले लेने की? आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस प्रकार से सारे अधिकार लेकर इस तरह के यूनिवर्सिटी बनाना चाहते है जिसमें जनता की जो पोजीशन है, उसकी पॉवर्स को कर्व करके डिक्टेटोरियल पॉवर्स एक ही व्यक्ति को देना चाहते हैं। इसलिये मैंने कहा कि इसके बारे में जनता की राय ली जाय, जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उनकी राय ली जाय।

आज राजस्थान में किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का स्टेन्डर्ड डिटीरियोरेट हो रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में चार २ तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिये। अगर सारी म्युनिसिपल बॉडीज़ का एक कानून हो सकता है तो क्यों नहीं सब यूनिवर्सिटीज़ के लिये एक तरह का कानून पास करते? तरह तरह के, अलग अलग कानून क्यों पास कर रहे हैं? सब यूनिवर्सिटीज़ को एक ही कानून के तहत क्यों नहीं चलाते? एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स को डिसिप्लिन के ५ नम्बर दे देंगे, यह जो इस तरह की बात कर रहे हैं यह तो दूसरी यूनिवर्सिटीज के ऊपर इसे हावी कर रहे हैं, यह तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेन्ट्स के ऊपर अन्याय होगा। इस लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ जो सदन में माननीय कृषि मन्त्री ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये एक प्रस्ताव मैंने रखा है। अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो यह एक अजीब बात स्वयं में लगती है कि शिक्षा का मसला हो और कृषि मन्त्रीजो उस बिल को पायलेट करें सदन में। यह ऐसी ही बात हुई कि जैसे कोई इन्सान बीमारी के कारण किसी वेटरनरी हॉस्पिटल में चला जाय, तो मैं यह नहीं समझता कि कितना भी योग्य डॉक्टर वहां होगा वह पशु चिकित्सालय का डॉक्टर किसी इन्सान को सिर दर्द की दवा दे सकता है, हां जानवर का बड़े से बड़ा ओपरेशन कर सकता है, पर इन्सान की छोटी से छोटी बीमारी का इलाज वह नहीं कर सकता।

तो मैं नहीं समझता कि कृषि मन्त्रीजी स्वयं में कितने ही काबिल होंगे, पर जहां शिक्षा का सवाल है, शिक्षा में भी जहां यूनिवर्सिटी का सवाल है, वहां उन मर्जों की तरफ, जिनकी तरफ कि मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान दिलाया, उनके सम्बन्ध में कुछ भी करने में समर्थ होंगे।

यूनिवर्सिटी का एक खास मसला है, अध्यक्ष महोदय। वैसे तो कई बार सदन में चर्चाएं हुई हैं, जब सदन के अनेक सदस्यों ने मांग की है कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यह बात मैं नहीं कहता, लेकिन पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट और सरकार की सेवाओं में भर्ती करते समय जो इन्टरव्यू होते हैं, उनमें विद्यार्थीयों द्वारा दिये जाने वाले उत्तर इस बात के गवाह हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। राजस्थान सरकार अपने बजट का १।४ भाग शिक्षा के ऊपर खर्च करके दुनिया में बड़ी भारी नामवरी कमाने की कोशिश करती होगी, पर मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थीयों का स्टैंडर्ड आज कितना गिरता जा रहा है, यह इस बात से स्पष्ट है कि किसी विद्यार्थी से इंटरव्यू में पूछा गया कि राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं तो उन्होंने विवेकानन्द का नाम बताया।

१.०० म० प०

हमारी ऑल इंडिया कम्पटीशन हुई थी। आज के समाचार पत्रों में आया है, किसी राजस्थान के विद्यार्थी ने उत्तर दिया होगा। उनसे पूछा कि मोहनलाल सुखाड़िया कौन हैं, कहने लगा भारत के राजदूत हैं। राजस्थान के मुख्य मन्त्री कौन हैं, जवाब मिला पाटस्कर हैं। एक बार किसी कॉलेज में पोलिटिकल साइन्स के पोस्ट-ग्रेजुएट्स की इंटव्यू लेना था। महीने भर पहले की बात है। वहां पूछा गया कि विधान सभा का हैड कौन है, जवाब मिला मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान की जुडियशरी का हैड इन्द्रनाथ मोदी, किसी ने कहा गजेन्द्रगडकर है। यह ज्ञान की बात है, दो शक्लें मिलती हों वह दूसरी बात है, जैसे विधान सभा के अध्यक्ष के लिए कोई कह सकता है कि भैरोंसिंह शेखावत है। यह राज्य के लिए बहुत भारी संकट का सवाल है। राज्य के शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कभी इस बात की चिंता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं की कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर को किस तरह से ऊंचा उठाएं। एक बार नहीं, अनेक बार इस सदन में इस बात की मांग की गई कि राजस्थान के अन्दर अध्यापकों का वेतन क्रम बढ़ाया जाय। अध्यापकों की हालत बहुत खराब है। यूनीवर्सिटी एजूकेशन में चलने वाली पोलिटिक्स को समाप्त किया जाय, राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाली धांधलियों की तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान इस सदन में आकर्षित किया गया और सरकार यह कह कर बच निकलती है कि वे ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं। यदि ये आटोनोमस बॉडीज़ हैं तो आप उनको और ऑटोनोमस बॉडीज़ बनाना चाहते हैं जिनको आप किसी प्रकार से रेग्यूलेट नहीं कर सकते।

वित्त मन्त्री जब मार्च के महीने में बजट प्रस्तुत करते हैं उसमें करोड़ों रुपयों के टैक्स लगाते हैं और उसमें से लाखों रुपयों की धन-राशि हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर खर्च करते हैं। तो इस सदन का यह मौलिक अधिकार है कि हम विचार करें। यूनिवर्सिटीज़ खोली जायं, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि अजमेर में भी, जो शिक्षा का बड़ा केन्द्र है, वहां पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वित्त-मन्त्री यदि उसका विरोध करें तो यह आपस का मामला है कि युनिवर्सिटीज़ ज्यादा कहां खोलें और किस तरह से खोलें। उस संबंध में एक रेशनल और सांइटिफिक थिंकिंग नहीं है।

आज राज्य सरकार रीजनल कन्सीडरेशन के आधार पर चलती है। जिस समय जोधपुर विश्वविद्यालय खोलने का सवाल था उस समय मैंने मांग की थी कि जल्दी से यह कानून न पास किया जाय, उसमें खामियां हैं लेकिन उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कानून बना दिया, उस पर कोई विचार नहीं किया और साल भर में ही संशोधन लाए और कहते हैं कि हमने स्टैचूट्स नहीं बनाए थे, गलती से कानून लगा दिया, हमारी गलती माफ कर दो, इसे वेलिडेट कर दो। यह जो परम्परा राजस्थान सरकार ने अपनाई है गल-तियों को माफ कराने की, यह इस तरह से नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ा भारी मुआ-वजा देना पड़ेगा। दुख है कि हिन्दुस्तान जो डेमोक्रेटिक कन्ट्री है, उस डेमोक्रेसी में शासन इतना अन्याय करे, इतना अत्याचार करे! जहां तानाशाही है वहां भी दस-दस साल के बाद नीतियों के आधार पर लोग सरकार को बदल सकते हैं या वे स्वयं भी जा सकते हैं। रूस जो तानाशाही का सूचक देश है, वह कॉम्युनिस्ट कन्ट्री है, वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के आधार पर बदली जाती है। लेकिन हिन्दुस्तान में अपने शासकों से कोई बात कहें, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापकों की बात, वेतन वृद्धि की बात कहें, युनीवर्सिटीज़ में इन्कवायरी की बात कहें, रेशनेलाइजेशन की कहें, यूनिवर्सिटीज़ को सांइटिफिक बेसिस पर बनाने की बात कहें, तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, मैं कई बार विचार करता हूं कि आखिर सरकार को क्या हो गया?

आज राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कानून हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं, लेकिन उनका कोई आधार होना चाहिए। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल उदयपुर यूनिवर्सिटी में बनाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई बोर्ड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऑफ कन्ट्रोल है ? राजस्थान और जोधपुर यूनिवर्सिटियों का कोई बिल आएगा तो पाइलोट करेंगे शिक्षा मंत्री और उदयपुर का आएगा तो पाइलेट करेंगे कृषि मन्त्री। हर चीज बांट रखी है; युनिवर्सिटीज़ बांट रखी हैं, मंत्रि-मण्डल में संख्या बांट रखी है, क्यों नहीं आप एक ही पैटर्न बनाते हैं, एक मॉडल बिल बनाकर। जोधपुर युनिवर्सिटी बिल के समय आपने एक मॉडल बिल सदन मेंपेश किया और कहा था कि यह मॉडल बिल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसी आधार पर आपने संशोधन किए थे तो इस तरह से उदयपुर यूनिवर्सिटी को आपने मॉडल क्यों नहीं बनाया, लेकिन आप यह बात नहीं मानने वाले, हरिभाऊजी की और बात है, आप उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सकते, वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे लेकिन ताकत आपकी ज्यादा है। परन्तु आपसी झगड़ों में राजस्थान का अहित मत कीजिए। ये आप अमेंडमेंट्स लाए हैं, आपने पीसमील अमेंडमेंट किये हैं। इसमें बोर्ड की मीटिंग एक बार होती है, अब साल में एक बार होगी। जब आपने तब क्यों नहीं देखा ? हिन्दुस्तान कानून बनाया में इतनी युनिवर्सिटीज़ हैं उनको आपने देखा होगा; लेकिन कोई फोरसाइट नहीं, हमारी सरकार अन्धी हैं, हुकुमत अन्धी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट में अन्धे बैठे हैं, ऐसे अन्धे हिन्दुस्तान में नहीं मिलेंगे। आपने हिन्दुस्तान की अन्य युनिवर्सिटीज़ के कानून पढ़े होंगे, उनकी व्यवस्था और धाराओं का ज्ञान किया होगा और उसके बाद में विधान सभा में यह कानून पेश किया होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कानून मौजूद था तो फिर क्या डिफीकल्टी आई ? यह सदन इस कानून को पास कर देगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे पीसमील अमेंडमेंट्स हैं, ये जो पीसमील लेजिस्लेशन हैं उनमें कितना समय बरबाद होता है, यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि अहम सवालों की ओर ध्यान देना, खाद्य नीति है, अकाल की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, वर्षा की स्थिति है, राज्य की आर्थिक स्थिति है, इकोनोमिक डेवलपमेंट का सवाल है, राजस्थान की फोर्थ फाइव ईयर प्लान बनाने का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का सवाल है, करप्शन मिटाने का सवाल है, इकोनोमिक ग्रोथ है उसमें सदन का ज्यादातर समय व्यतीत होना चाहिए, लेकिन ११ बैठकों में से १० दिन शासकीय कार्य के लिए रखे गए हैं।

अब आपने इस बिल के द्वारा वाइस-चांसलर महोदय को पॉवर दी है कि चाहे जैसा भी खर्चा करे, चाहे बजट में प्रोवीज़न हो या न हो, जितना चाहे उतना खर्च करे, बिना पूछे खर्च कर दें।

फिर आप जोधपुर युनिवर्सिटी में भी दीजिये। फिर डा० मोहनसिंह मेहता से क्या दुश्मनी है ? उनको क्यों नहीं देते ? उनका सवाल खड़ा होता है तो फिर उनका क्यों विरोध हो, उनको क्यों न दिया जाय ? कानून से खर्च करने का अधिकार जब दे रहे हैं तो उनको भी दे दीजिये। उदयपुर युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर हैं वे बड़े सद्भावना के पात्र हैं, उनके लिए नहीं कह सकते कि वे इसका दुरुपयोग करेंगे। उनको अधिकार भी होगा, लेकिन उस अधिकार का वे उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे आदमी भी हैं जिनको अधिकार न होते हुए भी अधिकार समझ कर खर्च कर लेते हैं। जब जयपुर की युनिवर्सिटी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में अधिकार नहीं है, जब जोधपुर युनिवर्सिटी में अधिकार नहीं है तो फिर उदयपुर युनिवर्सिटी में यह अधिकार क्यों दिया ?

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल, डीन्स और बाकी की फेकल्टीज़ हैं, उनके सिस्टम को भी बदला है। क्या दिक्कत आयी ? आपने डीन में और बोर्ड के कन्ट्रोल के सम्बन्ध में जो संशोधन किये हैं उसके क्या कारण हैं, क्या दिक्कत आ रही थी ? दो साल से कानून का इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा था तो डीन के अपॉइन्टमेंट्स नहीं हुए ? बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की मीटिंग्ज़ नहीं हुई ? साल भर में या दो साल में कोई मीटिंग नहीं हुई अगर मीटिंग नहीं हुई कानून में लिखने के बाद भी तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? कानून में लिख देने के बाद भी यदि उसका पालन नहीं हुआ तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसमें भी यदि संशोधन कर देंगे तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है ? कानून में लिखा हुआ है तो है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ? राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। कृषि मन्त्रीजी आप पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी से इजाजत ले लीजिये। यह उदयपुर क्षेत्र का मसला है, आपके क्षेत्र की बात नहीं है। दो साल में कितनी मीटिंगें कीं ? माननीय मंत्री महोदय आप फिर पूछें उदयपुर की युनिवर्सिटी से कि धारा ३० के तहत दो महीने में मीटिंग होनी चाहिये थी तो दो साल में १२ मीटिंग्ज़ होनी चाहिये थीं, तो कितनी मीटिंग्ज़ कीं ? ये मीटिंग्ज़ कीं या नहीं ? यदि नहीं कीं, तो सदन की मीटिंग्ज़ तो समाप्त हो जायगी इसलिए, अध्यक्ष महोदय को इजाजत दे दी जाय कि वे इस बिल की असेन्ट को रोक दें। यदि धारा ३० के अन्तर्गत मीटिंग्ज़ कीं तो इजाजत दे दें। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कानून को तोड़ने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(विराम)

कोई कार्यवाही नहीं की।

इसमें यह लिखा है कि युनिवर्सिटी के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट दी जाय। इस हाउस में वह रिपोर्ट पेश होनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आश्वासन दें सदन के अन्दर। यह हाउस सोवरिन है, यह हाउस सुप्रीम है और इसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाना चाहिये। यदि राजस्थान में एजूकेशन का स्टेन्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप राजस्थान में एजूकेशन को डेवलप करना चाहते हैं और यदि आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स का पालन करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर युनिवर्सिटी की बोर्ड के द्वारा एप्रूव्ड रिपोर्ट जो गवर्नमेन्ट को भेजी जावेगी उस रिपोर्ट को यह राज्य सरकार इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करेगी, इस प्रकार का स्पष्ट और केटेगोरिकल आश्वासन मन्त्री महोदय से हम चाहेंगे, उनको इस प्रकार का आश्वासन इस सदन के अन्दर देना चाहिये। जिससे इस सदन को यह मालूम हो सके कि हमारी युनिवर्सिटी एजूकेशन किधर और किस स्थिति में कहां जा रही है। हम कितने पानी में हैं ? हमारी शिक्षा का क्या स्टेन्डर्ड है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। आज युनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है? जहां तक मार्कशीट का सवाल है, वह इश्यू हो गयी। कोई लड़का फैल हो जाता है। वह रेल की पटरी पर लेट गया, जिन्दगी समाप्त हो गई और घर वाले रो लिये। पन्द्रह दिन बाद युनिवर्सिटी से नोटिस जाता है कि तुम पास हो गये हो। वह तो पहले ही पास हो गया, रेल उसके ऊपर से होकर गुजर गयी। एक नहीं अनेक लैटर्स की मेरे पास कॉपीज़ मौजूद हैं। जिनमें यह लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार से गलती हो गई। किसी लड़के ने अगली कक्षा में एड्मिशन ले लिया। तीन-चार महीने से पढ़ रहा है, उसने होस्टल में भी एड्मीशन ले लिया, किताबें खरीद लीं, सब कुछ आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर ली और दो–तीन महीने के बाद यह आता है कि टोटलिंग में गलती हो गई, आप नीचे की क्लास में वापिस जाइये। यह क्या हालत है? आज हम राजस्थान में शिक्षा पर १५ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, all these 15 Crores spent over Education, are going to gutters.--गटर में जा रहे हैं सारे के सारे, कोई उपयोग नहीं। १५ करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी होता क्या है राजस्थान में? इसके लिए एक नहीं अनेक उदाहरण हैं।

युनिवर्सिटी पर युनिवर्सिटी आप राजस्थान में खोलते जाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन युनिवर्सिटी का जो सारा पेटर्न है उस पर राजस्थान में गम्भीरता से विचार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप खुद युनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में आज राजस्थान में जो स्थिति है उस पर चिन्तित हैं। काश कृषि मंत्रीजी पर उसका असर होता, हालांकि ब्लड रिलेशन तो एक है, वे भी आप की तरह ही इस सम्बन्ध में चिन्तित होते और इस ओर अग्रसर होते, लेकिन उन पर इसका असर नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में जो इस प्रकार बिल पीस-मील में पेश किये जाते हैं वे कम से कम भविष्य में पेश नहीं किये जाने चाहिये। सदन में इस प्रकार पीस-मील में लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिये। युनिवर्सिटीज़ का एक पेटर्न होना चाहिये, एक पेटर्न बनाया जाना चाहिये। एक मॉडल बिल हों, सब युनिवर्सिटीज़ के प्रोवीज़न्स एकसा हो जिससे नित्य प्रति जो राजस्थान युनिवर्सिटी बिल में संशोधन करने पड़ते हैं उनकी आवश्यकता न हो। मंत्री महोदय इस पर विचार करें। युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हर रिपोर्ट इस सदन में पेश की जाय, इसका स्पष्ट और केटेगोरिकल आश्वासन मन्त्री महोदय दें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान युनिवर्सिटी एजूकेशन में दिलचस्पी लेने वाले अनेक लोग हैं, उन्होंने अनेक नोट बड़ी मेहनत करके तैयार किये हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वे नोट्स आपके पास हैं या नहीं, लेकिन युनिवर्सिटी एजूकेशन में ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो नोट्स तैयार किये हैं उसकी एक कॉपी मेरे पास है। मंत्री महोदय को उसकी कॉपी मिली होगी, मिली होगी तो खो गई होगी और खो गई तो वे मुझसे कॉपी ले लें। आखिर में

Page No. 63

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान में युनिवर्सिटी एजूकेशन का पेटर्न क्या होगा, ये वे लोग हैं जिनको यदि वाइस चान्सलर की पोस्ट भी ऑफर की जाय तो वे उसको ठोकर मार सकते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको राजस्थान सरकार ही नहीं मानती किन्तु सेन्टर भी मानती है, ऐसे एक्सपर्ट्स द्वारा रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। मैं तो एजूकेशन के माने में एक्सपर्ट नहीं हूं, उन रिपोर्ट्स पर राजस्थान सरकार विचार करे, उसके स्टेन्डर्ड की दृष्टि से, उसके उत्थान की दृष्टि से। सरकार उन प्रोमिनेन्ट एक्सपर्ट्स की एक एडवाइज़री कमेटी बनाये जो राजस्थान में शिक्षा के गिरते हुए स्टेन्डर्ड की जांच करे और सुझाव दे कि राजस्थान में किस प्रकार जो शिक्षा में गिरावट आ रही है वह दूर होकर उसमें किस प्रकार सुधार हो, किस प्रकार युनिवर्सिटीज़ में चलने वाली पोलिटिक्स को दूर किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में दो कॉलेजेज़ के लड़के आपस में लड़ते हैं, परस्पर लाठियां चलती हैं, जोधपुर युनिवर्सिटी में और बीकानेर में झगड़े होते है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान में शिक्षा के केन्द्र हैं या झगड़ों के केन्द्र हैं और कुछ हद तक मंत्री महोदय भी शामिल हो जाते हैं, यह बड़े दुख की बात है। इसलिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बिठाई जाय, इन सब कारणों की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे और राज्य सरकार राजस्थान में शिक्षा के केन्द्रों को उन्नत बनाये और शिक्षा के स्टेन्डर्ड को ऊंचा उठाये। इसी दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव किया है कि उदयपुर युनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल १९६४ को जनमत जानने के लिए प्रस्ताव पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(श्री मुरलीधर व्यास के सदन में आने के पश्चात्) आप बोलना चाहेंगे।

(विराम)

श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर युनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल हमारे सामने है। जिस समय राजस्थान में एक के बाद दूसरी युनिवर्सिटी खोलने का रवैया सरकार ने अख्तियार किया था उस समय भी मैंने, जब जोधपुर युनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था कहा था कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं है कि हम जल्दी जल्दी युनिवर्सिटी का निर्माण करें। हमें चाहिये यह था कि जो शिक्षा का आज स्तर है उसको पहले अच्छा बनाते और जब कि हमार पास काफी लड़के हो जाते तो युनिवर्सिटी और खोलने की बात सोचते। पर उस वक्त हमारे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इस कथन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और राजनैतिक पोइन्ट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए युनिवर्सिटियां खोल दी गई।

आज जो हालत जोधपुर युनिवर्सिटी की है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के प्रोफेसरों को और दूसरे एम्पलॉइयों को तीन–तीन महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। यह वहां की आर्थिक हालत है। एक पत्रकार महोदय अभी जो वाइस चान्सलर हैं, वहां उनसे मिलने गये। वहां उस समय रजिस्ट्रार महोदय भी वाइस चान्सलर साहब के पास बैठे थे। उन पत्रकार महोदय ने वाइस चान्सलर साहब से पूछा कि मैंने सुना है कि आपके यहां जो विश्व-विद्यालय है उसकी आर्थिक हालत खराब है, तो रजिस्ट्रार जो वहां बैठे थे उन्होंने इसका जवाब दिया कि हां, आर्थिक हालत विश्व-विद्यालय की जरूर खराब है, पर हम इस हालत को दिवालियापन की हालत अभी जरूर नहीं कह सकते। यह उनका जवाब था।

तो एक विश्वविद्यालय की जहां यह हालत हो कि तीन-तीन महीने की तनख्वाहें नहीं मिल सकें तो आप वहां की और व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं। इसकी यह हालत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां के वाइसचान्सलर जो भूतपूर्व झा साहब थे उन्होंने वहां पर जिन लोगों को एम्प्लोय किया, मैं यह, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को और मन्त्री महोदयों को कहना चाहता हूं कि ६७-६७, ६८-६८ और ७१-७१ वर्ष की उम्र के रिटायर्ड आदमी वहां भरती कर लिये हैं और उनमें से १८००), १८००) रूपये मासिक वेतन पर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बनाया गया है और जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लोय किया गया। एक टीचर और एक लेक्चरार के स्थान पर तीन-तीन और चार-चार टीचर्स और लेक्चरार्स एम्पलोय किये गये। जहां अन्यत्र २५-२४ घन्टे पढ़ाते हैं वे वहां जोधपुर में एक लेक्चरार सिर्फ १६-१७ घण्टे सप्ताह में पढ़ाई कराता है और वे भी मेजोरिटी में यू. पी. से आये हैं। परन्तु चूंकि वहां पर माथुरवाद का बोलबाला चला तो जितने सगे-सम्बन्धी रिश्तेदार थे उनको वहां भर लिया गया।

इसके अलावा वाइस चान्सलर ने अपने बंगले के लिये ४५ हजार का फर्नीचर बनवा लिया। रेफ्रीजरेटर, वाटर कूलर आदि इकट्ठे किये गये और इस तरह से बेरहमी से रुपया खर्च किया गया। इसका ऑपोज़ीशन रजिस्ट्रार ने भी नहीं किया और इसलिये नहीं किया कि आखिर यह सब खर्चा और फर्नीचर और बंगला उसको मिलने की उसको उम्मीद थी। वाइस चान्सलर ज्यों ही हटे वह बंगला रजिस्ट्रार साहब के हाथ में आ गया क्योंकि एक्टिंग वाइस चान्सलर बने।

यही नहीं, वहां पर उस युनिवर्सिटी में राजस्थान से जो लेक्चरार प्रोमोशन पर भेजे गये, जो संख्या में १०० से अधिक थे, उनको वहां जूनियर बना दिया गया यू. पी. से आने वालों के मुकाबले में। यह मानकर कि जो यू. पी. से आये उनका टीचिंग

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एक्सपीरियेन्स ज्यादा था इसलिये उनको हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बना दिया। उनके लिये कहा गया कि ये यू.पी. में हायर क्लॉसों को पढ़ाया करते थे। तो उनके मुकाबले में यहां वालों को दो-दो साल जूनियर बना दिया और आज भी उनके केस हमारे वाइस चान्सलर साहब के पास पेन्डिंग में पड़े हैं, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि कब उनके केस कन्सीडर किये जावेंगे।

इसके अलावा हिन्दी के डिपार्टमेंट का हाल यह है कि जिसमें जितने लेक्चरार और प्रोफेसरों की जरूरत है उनसे तीन गुना स्टाफ रख रखा है, उससे भी सिवाय तीन-चार प्रोफेसरों और लेक्चरारों को छोड़ कर यू. पी. के सारे लाकर रख दिये गये हैं। ७१ वर्ष की उम्र के सबसे बड़े हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं। हमारे यहां से उदयपुर कॉलेज से हिन्दी के प्रोफेसर मुकर्रर किये गये। इनका टीचिंग एक्सपीरियेन्स १२ वर्ष का है। पर इनको स्केल में १२ वें नम्बर पर लिया गया है जब कि सीनियोरिटी के हिसाब से उनको हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट होना चाहिये, पर चूंकि सीनेट में वाइस चान्सलर के समर्थक लोगों की मेजोरिटी होने के कारण राजस्थान के अच्छे क्वालिफाइड लोगों को जूनियर कर दिया गया और मनमानी वे चला रहे हैं वहां।

इसी तरह से अभी ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके अन्दर यह साफ तौर से बताया गया है कि दो सालों का बैलेन्स शीट युनिवर्सिटी का तैयार नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह अमेन्डमेंट है दूसरी युनिवर्सिटी का और आप बोल रहे हैं जोधपुर की युनिवर्सिटी के बारे में। कुछ तो रिलेवन्सी होनी चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं वही तो कह रहा हूँ जो रिलेवेन्ट है। आप किस तरह से पेटर्न बनाते हैं, उसका नमूना यह है कि किस तरह से आप युनिवर्सिटियों में अपने अपने लोग भरते हैं और वहां अपने अपने लोगों को तरजीह देते हैं, योग्य आदमी ठुकराये जाते हैं और किस तरह से गुटबाजी के कारण फाइनेन्स का दुरुपयोग करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप अलग अलग चीजें अलग अलग मौकों पर कहें तो अच्छा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये सारी बातें आपके इलाके से ताल्लुक रखती हैं, इस लिये बुरी लगती होंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका दुख मुझे नहीं है, पर रिलेवेन्सी तो कुछ होनी चाहिये। परम्पराएँ सदन में अगर अच्छी डालें तो डेलीबेरेशन्स अच्छे हो सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप हाउस में, हम राय देते हैं उस वक्त उसकी कद्र करते नहीं हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय खोलने के समय हमने कहा था इसमें जल्दी मत करिये, अभी एक ही युनिवर्सिटी चलने दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो रिलेवेन्सी के लिये कह रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वही तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो हाल है वही यहां होगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि इनका यहां इस समय उल्लेख करने से न तो इन बातों का उत्तर मिल सकेगा न इनका प्रतिवाद हो सकेगा। सदन के समक्ष केवल एक बात आकर रह जावेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जोधपुर में ही क्या, उदयपुर में भी क्या हुआ है, वे सब एक ही तरह की बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय की बात ठीक है कि आपको फिर जोधपुर के बारे में कहने से मतलब क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के बारे में भी कहना चाहता हूं। जोधपुर की एक बात और कह दूं। ६३-६४ में ७२ लाख का घाटा है उसको।

उदयपुर की युनिवर्सिटी पहले एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी के नाम से स्थापित की थी। उस वक्त भी हमने कहा था कि एक पर्टीक्यूलर सब्जेक्ट को लेकर युनिवर्सिटी मत बनाइये। पर आपने बनाई। नतीजा यह हुआ कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने भी यही कहा कि एग्रीकल्चर के नाम से अलग युनिवर्सिटी नहीं चलाई जा सकती। हमने उस वक्त भी कहा था कि इसका महाराणा प्रताप युनिवर्सिटी नाम दीजिये और सब सब्जेक्ट की रखिये। पर आज आपको वही काम अमेन्डमेन्ट के रूप में करना पड़ रहा है।

आज उदयपुर की हालत यह है कि जितना युनिवर्सिटी की एग्रीकल्चरल ब्रांच के लिये आपको मैदान चाहिये उतना फील्ड आपके पास नहीं है। अब उदयपुर युनिवर्सिटी के लिये उदयपुर से १७ मील दूर जाकर जहां नया उदयपुर सिटी स्टेशन बन रहा है वहां जाकर फील्ड अलॉट करने की नौबत आई है। युनिवर्सिटी से लगे हुए एग्रीकल्चर के बड़े बड़े फार्म बड़े बड़े लोगों के मौजूद हैं, पर उनको एक्वायर करने की आपकी हिम्मत नहीं है, इस सरकार की हिम्मत नहीं है। मुख्य मन्त्री का बंगला, नर्सरी फार्म युनिवर्सिटी से लगा हुआ है। एक दीवार बीच में है। यह बीस बीघा जमीन युनिवर्सिटी के काम आ सकती थी। मैं जब गया उदयपुर और जांच की तो मालूम हुआ कि उदयपुर एग्रीकल्चरल कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना रिसर्च का काम मुख्य मन्त्री के बंगले में जो जमीन है वहां पर किया। वहां पर सारा का सारा फार्म लगाया, अनेक प्रकार के पौधे लगाये, फलदार दरख्त लगाये जो युनिवर्सिटी में दो दो साल से बड़े हो रहे थे उनको वहां से उखाड़ उखाड़ कर रिसर्च के नाम से मुख्य मन्त्रीजी के बंगले की जमीन में उगाये और इस नाम से भी लगाये कि हमारे यहां पर जमीन नहीं है और यह जमीन पास में है। तो इस खूबी के साथ काम किया गया है जिससे मुख्य मन्त्रीजी को बना बनाया फार्म मिल गया, मुफ्त में रिसर्च के नाम से और इस तरह से १५ हजार से भी ज्यादा का फायदा उनको मिला है जो उनके बगीचे में युनिवर्सिटी के लोगों ने आकर काम किया है और पौधे वगैरह लगाये हैं।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

अभी अभी उदयपुर में एग्रीकल्चर के लड़कों में और मैडिकल के छात्रों में झगड़ा हुआ। उसकी सारी कहानी हमने वहां के सरकारी अधिकारियों से सुनी। मैडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चरल कॉलेज और पुलिस के अधिकारियों से हमने जानकारी की और हमने देखा कि उसमें यह था कि उन में कोई आपस में समन्वय नहीं है। जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं चाहे वाइस चान्सलर हों युनिवर्सिटी के या चाहे प्रोफेसर्स हों, लेक्चरार्स हों और चाहे वे मेडिकल कॉलेज के हों, चाहे एग्रीकल्चरल कॉलेज के हों, उनमें आपस में समन्वय नहीं हैं, न सहयोग का वातावरण है। मैडिकल कॉलेज के छात्रों को उस कॉलेज के प्रोफेसर व लेक्चरारों ने भड़काया और एग्रीकल्चरल कॉलेज के छात्रों को उस कॉलेज के प्रोफेसर और टीचरों ने भड़काया। एक तरफ कहा गया मैडिकल के छात्रों को कि तुम, चाकू, छुरी चलाने वाले, देश का क्या उद्धार कर सकते हो, तो दूसरी तरफ यह कहकर भड़काया गया कि तुम, कन्धे पर फावड़ा लेकर कौनसा देश का उद्धार कर रहे हो। जहां इस प्रकार की भावनाएं युनिवर्सिटी स्टेण्डर्ड के लोग लाते हों और भड़काते हों, जहां ऊंचे से ऊंचे लोग वाइस चान्सलर सरीखे रहते हों उनके दिलों में अगर यही भावनाएं हैं तो वे क्या देश का और क्या देश की इस भावी पीढ़ी का भला कर सकते हैं? उनसे क्या आशा की जा सकती है कि इनकी संचालित युनिवर्सिटियों में से और कॉलेजों में से देश सेवक और राष्ट्रीयता के रंग से ओतप्रोत छात्र देश को प्राप्त हो सकेंगे और वे क्या देश का निर्माण कर सकेंगे?

जरूरी यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये बल्कि वहां की जो सबसे बड़ी प्रबन्धक कमेटी है उसके अन्दर ऐसे लोग भी होने चाहिए कि जो वहीं के रहने वाले भी हों और उसके प्रति वफादारी से काम करने वाले हों, यह नहीं हो कि उसी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उन्हीं का बहुमत हो। अगर उनका बहुमत होगा तो नेचुरली यह होगा कि जो वी० सी० इनको डेप्यूट करता है उसी के पक्ष के लोग सीनेट में ज्यादा से ज्यादा होंगे और जब उसके पक्ष में लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे तो उस यूनिवर्सिटी में जितने कार्य वी० सी० की तरफ से होते हैं, जितनी नीतियां होती हैं उनकी मुखालफत करने वाला कोई नहीं होगा, जैसा कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। आज यहां इस तरह के भी चुने हुए लोग हैं जो वी० सी० के खिलाफ भी हैं। हमें यहां इस प्रकार से भी सुनने को मिला कि यहां के वाइस चांसलर ने हमारे स्पीकर महोदय को और यहां सदन के कुछ सदस्यों को भी वहां बुलाया और क्लेरीफिकेशन का हमको मौका दिया गया, इसकी हमें खुशी है। तो जो यूनिवर्सिटी आपके यहां बनती है उसके अन्दर अच्छे से अच्छे आदमी रखे जायें, उसमें अच्छे से अच्छे एजूकेशनिस्ट्स हों उनको रखा जाय न कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ पोलिटीकल सेन्टर्स हो जायें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी वाइस चान्सलर हो, जो उसके अधिकारी हों, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग हों उसमें कम से कम ऐसे लोग भी रखे जाने चाहिये जो कि वहीं के रहने वाले हों और उसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर जो यूनिवर्सिटी में पार्टीबाजी हो और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वाइस चांसलर का जो एकत्व होता है उसको भी वह खत्म कर सकें, और अच्छा वातावरण यूनिवर्सिटी के अन्दर बना सकें, इस तरह के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आने का मौका दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें दो वाइस-चांसलर बाहर के हैं। यह ठीक है कि उनके ऊपर यूनिवर्सिटी का सारा दारोमदार है और वे जिसको चाहें उसको रख सकते हैं। यह हमारे राजस्थान का सौभाग्य था कि जोधपुर में जो इन्जीनियरिंग कॉलेज था उसके जो प्रिन्सिपल थे वे इतने काबिल थे कि जिनका मुकाबिला भारतवर्ष के बहुत कम इन्जीनियर्स कर सकते थे और अब जोधपुर यूनिवर्सिटी के बनने के बाद वाइस चांसलर का और उनका झगड़ा हो जाने के कारण वे जोधपुर के इन्जीनियरिंग कॉलेज को छोड़कर चले गये और नतीजा यह हुआ कि जो जोधपुर का अच्छा इन्जीनियरिंग कॉलेज माना जाता था उसका स्टेन्डर्ड घट गया। आप उसके ऊपर निगाह तो उठाकर देखो। जो हैड ऑफ दी इन्सटीट्यूशन्स थे उनका झगड़ा होने के कारण

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो लड़के हैं उनको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनका कितना स्टैंडर्ड नीचा हो गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी को जो भी बॉडी गवर्न करती है वह इतनी सुप्रीम होनी चाहिए और पार्टी पोलिटिक्स से परे होनी चाहिए कि जिस से जो भी लोग आयें वह यूनिवर्सिटी के लिए और एजूकेशन के लिए और जो लड़के हैं उनके प्रति वफादार और अच्छे हों। यही मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अभी कुछ बातें कहीं, मैं इसके सम्बन्ध में सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो विधेयक हैं, जबकि एक ओर जोधपुर युनिवर्सिटी है, दूसरी ओर उदयपुर युनिवर्सिटी है और तीसरी राजस्थान युनिवर्सिटी है, इन तीन युनिवर्सिटीज़ के सम्बन्ध में जो बार-बार संशोधन आते हैं तो इसमें ही एकता लाने की दृष्टिकोण से कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था हो जाये कि तीनों युनिवर्सिटीज़ के जो भी नियम हों, कानून होंवे एक से हों। इससे एक लाभ तो यह होगा कि एक दूसरी युनिवर्सिटी की व्यवस्था के अन्दर परस्पर जो प्रतिस्पर्धा होती है और जो आपसी मतभेद होते हैं वे दूर हो सकते हैं और राजस्थान के अन्दर जितनी भी युनिवर्सिटीज़ हैं—वे आज ३ जगह हैं—बीकानेर में भी कल खोलने की व्यवस्था हो तो इस मामले में जब तक एकता की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमेशा इस तरह की स्थिति राजस्थान में होती रहेगी। इसलिए सबसे पहले तो मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं।

दूसरी बात जब मैं देखता हूं कि इसके अन्दर जितने उद्देश्य आपने संशोधन में रखे हैं इस प्रकार के हैं कि उदयपुर विश्वविद्यालय

(श्री मुरलीधर व्यास)

अधिनियम, १९६२ की क्रियान्विति के संबंध में कतिपय कठिनाइयां अनुभव की गई हैं जो विशेषतया बोर्ड की बैठकों की संख्या, उनकी गणपूर्ति, संचालकों तथा डीनों का चुनाव, पाठ्यक्रम के बोर्ड का निर्माण तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में है। अब यह विषय है कि जो कि परस्पर एक दूसरे के अन्दर कोई फर्क नहीं आता। सबके लिए एक सा कानून बन सकता है। परन्तु जब एक युनिवर्सिटी है और दूसरी बनते समय इसका ख्याल रखा नहीं जाये और फिर इसके ऊपर संशोधन लायें तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे मंत्री महोदय किसी दृष्टिकोण से सोचते हैं या नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि यह इस प्रकार की चीज है जिसके अन्दर कम से कम एकता आनी चाहिए।

उदयपुर युनिवर्सिटी के संबंध में जो भी संशोधन है इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी तक जो भी काम हुए हैं या तो नियमों के अन्तर्गत नहीं हुए हैं और अब क्योंकि उनको नियमों के अन्तर्गत करना है तो इस पर मंत्री महोदय की तरह से सदन में इतना तो स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जो इस प्रकार की कमियां रह गई थे, किन-किन कारणों से पैदा हुई, इसके अन्दर ऐसे कौन-कौन से काम हो गये जो कि नियमों के अनुकूल नहीं हैं और उसके अन्दर बड़ी बड़ी खामियां रह गई, उनको कम से कम सदन के अन्दर रखना चाहिए और अगर नहीं रखते हैं तो आप सदन को विश्वास में नहीं लाते हैं। यह मंत्री महोदय का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि इन चीज़ों के साथ ही साथ जो संशोधन रखे जाते हैं तो वे कौन सी कठिनाइयां उपस्थित हुई, कम से कम वे तो सदन में रखते तो सदन के अन्दर अच्छे विचार रखे जा सकते थे।

अभी माननीय सदस्य ने उदयपुर युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में रखा वह यह रखा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक जमीन उदयपुर में खरीदी और उसके अन्दर ही युनिवर्सिटी के लोग प्रयोग करते हैं और उसका लाभ भी मंत्री महोदय को मिलता है। कितने हजार का मिला, कितने का नहीं यह प्रश्न पहले भी आया था सदन में। मैं इस को बहुत महत्व देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले एक प्रश्न आया कि उदयपुर युनिवर्सिटी के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय ने एक १३ एकड़ जमीन खरीदी और दूसरी ७ एकड़ खरीदी, यह युनिवर्सिटी के एरिया के बीच में है जबकि उदयपुर युनिवर्सिटी के आसपास के अन्दर प्रोफेसर्स के क्वार्टर्स, दूसरे विभाग, सारे मैदान के अन्दर यह हिस्सा मुख्य मंत्रीजी की जमीन का आया और उस जमीन को भी जब कि युनिवर्सिटी की ओर से एक्वायर करने की बात थी और प्रोफेसर्स भी उस जमीन को लेना चाहते थे उसके ऊपर उनके मकान बनाने की बात चल रही थी, अब इस प्रकार एक चीज सार्वजनिक हित की चले और उस जमीन को राजस्थान के मुख्य मन्त्री खरीद लें और फिर उस जमीन को खरीदने के बाद उसी जमीन के ऊपर कृषि विश्व-विद्यालय के छात्र प्रयोग के लिए यहां पर आयें, उसका लाभ

(श्री मुरलीधर व्यास)

मुख्य मन्त्री को मिले, तो मैं यह समझता हूं यह बड़ा ही अहम सवाल है। इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिए। गत समय इस बात को लेकर एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था कि जमीन मुख्य मन्त्रीजी ने प्राप्त की और उसके बाद बंगला बनाया उस जमीन के ऊपर। आज भी जिस प्रकार से मैंने देखा है कि उसके ऊपर अंगूरों का फार्म वहां पर लगा हुआ है और उसके अन्दर हमारे कृषि-विशेषज्ञ हैं उन्होंने और युनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा और पी. डब्ल्यू. डी. के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा वहां पर काम हुआ और उसका लाभ किस प्रकार से मन्त्री महोदय उठाते हैं, वह वहां पर मैंने देखा है। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि वहां पर अंगूरों की बेलें लग रही हैं और उसके ऊपर हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो मैंने इस बात का भी पता लगाया कि आपके विश्व-विद्यालय, युनिवर्सिटी, का कोई व्यक्ति हैदराबाद अंगूरों की खेती सीखने के लिए गया कि किस प्रकार से बेलें लगायें। सरकार के खर्चे पर वहां पर गया और सरकारी खर्चे से सीखकर जब वह आता है तो उसका सबसे पहला प्रयोग उसने वहां पर किया। मैं यह समझता हूँ कि शिक्षा देने के दृष्टि कोण से प्रयोग करें भी तो कम से कम किसान के घर पर करें, जो एक किसान का बेटा या दूसरा इस प्रकार से काम करने वाला, बाग लगाने वाला, सीखने वाला हो उसे सिखाकर लाभ दिलायें। राजस्थान का मुख्य मंत्री अंगूर की बेल लगाने व दूसरों को सिखाने के लिए तो है नहीं। आप ऐसे प्रयोग वहां पर करते हैं और आपका ध्यान इस बात की ओर खींचा जाता है तो उसके बावजूद भी आप मौन रहते हैं, उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के मुख्य मंत्री के लिए ठीक नहीं है और खास तौर से कृषि मंत्री के लिए....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपने यह कैसे मान लिया कि उत्तर नहीं दिया जायगा जो कि आप बेबुनियाद और गलत बात कहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक है, जवाब आप देंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारे धन का दुरुपयोग उदयपुर में हो रहा है और इस प्रकार से जमीन अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री खरीदते हैं और खरीदकर उसके ऊपर इस प्रकार का फार्म बनाते हैं। उस समय कहा गया था और यहां पर बोली चल गई, बोली में कहा गया कि १ लाख में देते हैं और उन्होंने दो लाख की बात कही। मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूं कि उस जमीन के बारे में उस समय मुख्य मंत्रीजी के सामने १३ बीघा का ही सवाल था, उसके बाद में ७ बीघा जमीन और ली गई, उसी क्षेत्र के अन्दर ली गई। उसके आस-पास आबादी के दृष्टिकोण से लोगों ने जमीनें ली हैं वह ६–७ रूपये पर गज के हिसाब से है और उस हिसाब से सारी जमीन की कीमत ४-५ लाख रुपये होती है। उस जमीन को मुख्य मन्त्री ले लें और उस पर बंगला बना लें और वह जमीन युनिवर्सिटी के काम में नहीं आये। उसके लिए रिक्वीज़िशन की कार्यवाही चले और उसको अलग कर दिया जाय, इतना ही

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं इस जमीन को जिस पानरिया से ली उस पानरिया को इन्डाइरेक्ट वे में उसका मामला जागीर के अन्दर मुआवजे का था और मुआवजे का पैसा देना था, उसके अन्दर रेवन्यू बोर्ड की तरफ से मुआवजा फिक्स्ड किया गया था उस फाइल को मुआवजे की को मुख्य मन्त्रीजी ने अपने पास मंगाकर ज्यादा मुआवजा दिया और इस प्रकार से जमीन से जो नुकसान पहुंचा....

श्री नाथूराम मिर्धा : रिलेवेन्सी विषय की रखी जाय। इस बात के बारे में जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है, बिल के बारे में उस पर ज्यादा कह जाय और बिल के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाय, और एक ही बात बिल्कुल गलत तथ्यों पर आधारित करके सिर्फ राजनैतिक दृष्टिकोण से इतना लम्बा बनाते हैं, लेकिन कुछ रिलेवेन्सी भी प्रदान करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें और सारी बहस यहां पर लाने की कोशिश न करें, उसके लिए अवसर आयेंगे और भी आ सकते हैं। विधेयक के संशोधन पर बोलें और अपने आपको उस पर सीमित रखें, नहीं तो बहस लम्बी हो जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : साहब, मैं जाकर आया था....

श्री अध्यक्ष : आप जाकर आये हैं, लेकिन विधेयक का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री मुरलीधर व्यास : युनिवर्सिटी के लिए जमीन ली जाय....

श्री अध्यक्ष : यहां पर इसका भी सम्बन्ध नहीं है। आप बहस करते हैं तो दूसरे तरीके से करें। आप ५ मिनट में समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें या नहीं करना चाहें....

श्री अध्यक्ष : करने या न करने का प्रश्न नहीं है। जो इससे सम्बन्ध रखता हो उसी को स्पष्ट करेंगे। आप बहस कर रहे हैं, कहीं जागीर का मामला ले आये और कहीं रेवेन्यू का मामला ले आये तो कैसे सम्बन्ध हो सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्ध है तो दूसरे विभाग से है, विधेयक से सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : युनिवर्सिटी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : किस तरह से है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्रीजी ने जमीन ली है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन करूंगा कि आप जरा ध्यान रखें तो बहस का क्रम ठीक तरह से चल सकेगा और आपको उत्तर मिल सकेगा और सदन को संतोष हो सकेगा और समस्या का निराकरण

(श्री अध्यक्ष)

हो सकेगा। आप कहते हैं कि सरकार की तरफ से उत्तर नहीं मिलता है और इस तरह से बहस बढ़ेगी और इस तरीके से इन चीजों में उतर जायेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : युनिवर्सिटी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं फिर दोहराऊंगा कि इसमें रिलेवेन्सी नहीं है। श्री बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६४ के विषय के ऊपर मैं प्रस्ताव जो रख रहा हूं इसके कुछ कारण हैं। शिक्षा का सम्बन्ध राज्य सरकार को साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस विषय पर बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए। इस विधेयक में जो लाया जा रहा है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस संशोधन से कौन सी ऐसी विशेषता राज्य सरकार प्राप्त कर लेना चाहती है इस दृष्टि-कोण से भी विचार करें और इसी दृष्टिकोण से मेरा निवेदन करना यह था कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय कि जिससे राज-स्थान सरकार के ऊपर तीन विश्वविद्यालयों को चलाने का बड़ा भारी आर्थिक भार उनके कन्धों पर चला आ रहा है और अगर राज-स्थान सरकार ने यही विचार कर रखा है कि देश में शिक्षा की प्रगति-एक मात्र इसी तरीके से हो जायगी, लेकिन हम तीन क्या ३० भी ऐसे विश्वविद्यालय खोल दें तो शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती है। युनिवर्सिटी खोल देने और युनिवर्सिटी को बढ़ाने की प्रतिस्पर्द्धा मात्र से ही शिक्षा की प्रगति हो तो मैं सम-झता हूं कि ३० युनिवर्सिटीज़ खोल देने से भी नहीं होगी। आप राष्ट्र निर्माण, देश के युवकों का निर्माण, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, ऊंची ऊंची इमारतों और उनमें बहुत अच्छा फर्नीचर देने के बाद भी नहीं कर सके। अफ-लातून के शब्दों में, प्लाटो के शब्दों में, "nations are made not from rocks and trees but from the character of citizens of the country."

आप यदि युवकों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, यदि आप युवकों को सद्शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तो उसके कारण अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। करोड़ों रुपयों की लागत के बाद भी, एक नहीं ३ विश्व-विद्यालय खोलने के पश्चात् भी अपने देश को तैयार नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कितना बड़ा आर्थिक भार ३ विश्वविद्यालयों का राज्य सरकार के कन्धों पर लादे चले जा रहे हैं, लेकिन इन विश्व-विद्यालयों का आर्थिक भार उठाने के पश्चात् भी क्या आपने सोचा कि इन १५-१७ साल की आजादी के जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह प्रगति क्या हुई है ?

अभी एक दूसरे माननीय सदस्य ने आपको बताया कि आपके विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र जब इन्टरव्यूज में जाते हैं तो किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जो कॉमन सेन्स और जनरल नॉलेज की साधारण सी बात है उनका भी उनको ज्ञान नहीं हो पाता है, यह आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ तो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आप प्लानिंग का सिस्टम लेकर चलते हैं, योजनाबद्ध सारे कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं और दुनिया के सामने इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे पास खाने की कमी इसलिए है कि खाने वाले आदमी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसलिए फैमिली प्लानिंग की बात कहते हैं। फैमिली प्लानिंग की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाय, तीन के बजाय एक ही युनिवर्सिटी रखें और जो करोड़ों रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपया बिल्डिंगों के निर्माण पर खर्च करते हैं, फर्नीचर प्रदान करने में खर्च करते हैं उस सारे रुपये को अच्छे स्टेण्डर्ड के टीचर्स पर खर्च करें और जो गरीब विद्यार्थी उन्नति कर सकते हैं और आगे बढ़ाने की जिन्हें आवश्यकता है उनको आगे बढ़ाकर देश की प्रगति कर सकते हैं, लेकिन साधन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसे विद्यार्थियों को वजीफे दिये जायं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनको प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ायें। ऐसी योजना को लेकर आप चलते हैं तो इससे आप देश का कल्याण कर सकेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रकार से आप कल्याण नहीं कर सकते। आप चाहे ज्यादा से ज्यादा युनिवर्सिटीज़ कायम कर दें। मैं क्षेत्रीय भावना से आलोचना नहीं करना चाहता। मैं इसलिये नहीं कि उदयपुर में है इसलिये इसका विरोध करता हूं या जोधपुर में है इसलिये विरोध करता हूं। मैं राजस्थानी होने के नाते सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, ३ के बजाय ३० खोलें, खूब खर्च करें लेकिन लक्ष्य यह रखें कि शिक्षा की उन्नति हो। लेकिन आप जो तरीका अपना रहे हैं उससे देश की तरक्की नहीं हो सकती।

मैं यह अर्ज करूंगा कि आपने अलग अलग फेकल्टीज़ कायम करने की कोशिश की, लेकिन आपको स्वयं को अनुभव है कि आपकी विश्व विद्यालयों में कितने परसेन्ट विद्यार्थी आपकी स्कूलों कॉलेजों से निकले हुए ऊंची हायर फेकल्टीज़ में स्थान पाते हैं बमुकाबले दूसरे प्रान्तों से आने वाले विद्यार्थियों के। कॉम्पीटिशन में बैठने का मौका आता है तो आपके यहां के विद्यार्थियों को अच्छे नंबर नहीं मिलते है। इसका उत्तरदायित्व किसको दिया जाय, उनके शिक्षकों को दिया जाय? इसका सारा भार सरकार के कंधों पर है, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली आप पर है। आप यह नहीं कह सकते कि आज के पढ़ाने वालों का दिमाग खोखला हो गया है या उनको टीचिंग का ढंग मालूम नहीं है। ये वे ही टीचर्स हैं जिन्होंने स्पीकर को पढ़ाया है या जिन्होंने मंत्रियों को पढ़ाया है और दूसरे सदस्यों को पढ़ाया है। लेकिन आपके इन्तजाम के तरीके में फर्क आया है। आपको जब पूछा जाता है कि आप उन टीचर्स को तनख्वाह समय पर देते हैं या नहीं, या आप उनकी उन्नति करते हैं या नहीं तो जवाब यह दिया जाता है कि उसके लिये कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी फाइनेन्स की आती है, रुपये का अभाव आता है और इस कारण व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अभाव पैदा करने वाले कौन हैं, इस अभाव का मूल कारण क्या है, इस पर विचार करिये। इसका मूल कारण है, आप लोगों की योजना इस

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रकार की बनती है कि जो रुपये जिस स्थान पर खर्च करने चाहिये वे उस स्थान पर खर्च नहीं होते लेकिन वे दूसरी जगह खर्च कर देते हैं तो कमी बढ़ती जाती है और ऐसा समझते हैं कि कहीं सही तरीके से खर्च न हो जाय।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस संशोधन द्वारा आप क्या तरमीम में चाहते हैं ? आपके सामने समस्या पैदा हो गई कि बोर्ड की मीटिंग कैसे हो, कितने आदमी हों, कोरम कितनों से पूरा किया जाय, टैक्स्ट बुक्स, कोर्स की किताबें चयन करने के लिए कितने आदमियों को नियुक्त किया जाय, यह समस्या पैदा हो गई है। इस छोटी सी समस्या को लेकर आप युनिवर्सिटी के कानून को तरमीम करना चाहते है, जब आप जानते हैं कि तीन विश्वविद्यालय चलाने का भार राजस्थान सरकार के कंधों पर है। यह मैं मानता हूँ कि युनिवर्सिटीज़ को एड युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से मिलती होगी, लेकिन राज्य सरकार अपने खजाने से भी खर्च करती है। तो एक ही राज्य में तीन विश्वविद्यालयों के लिए एकीकरण की भावना लेकर एक ही कानून क्यों नहीं बनाते हैं जिससे कि अच्छी तरह से उन पर नियंत्रण कर सकें।

मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करता हूं कि सारे राजस्थान की नगरपालिकाओं को चलाने के लिए एक ही कानून बना हुआ है और उस एक ही कानून से नियंत्रण कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में तीन प्रकार के कानून बनाकर तीन प्रकार से नियंत्रण करने के खर्च का वजन जबर्दस्ती अपने कन्धों पर डाल रहे हैं। इस भार को अपने कन्धों पर लेकर शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्य प्रगति होने वाली है उसमें बाधा डालते हैं। मैं कहूंगा कि इससे आपसी प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी, उच्च अधिकारियों के बीच, उपकुलपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एक को आप अधिकार देना चाहते हैं कि वह चाहे जितना खर्च कर सकता है, चाहे बजट में सैंक्शन हो या नहीं, आप उस उपकुलपति को अधिकार देते हैं कि वह जितना रुपया चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है ? आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो बताया है उससे प्रतीत नहीं होता कि यह आवश्यकता किसलिए हुई। क्या युनिवर्सिटी को प्रगतिशील कार्य करने के लिए कठिनाई उठानी पड़ती है जिसके कारण परमावश्यक हो गया कि मूल कानून में परिवर्तन करें ?

मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर शांतिपूर्वक विचार करें, इसमें जल्दबाजी न करें। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करदें, उसकी रिपोर्ट ले लें। सारे आंकड़ों को देख कर जानकारी लेने के पश्चात् जो रिपोर्ट वह पेश करे उस पर विचार करें, फिर कानून पास करें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक बात आप और सोचें और वह यह कि तीनों पृथक कानून हैं उनको एक ही कैसे किया जाय ? आपका लॉ डिपार्टमेंट है, अच्छे कानून के निर्माण करने वाले हैं, दूसरे जो एजूकेशनिस्ट्स है उनमें से अच्छे लोगों को लेकर एक कमेटी बनाकर उनके

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सुपुर्द कीजिये और उनकी राय लीजिये और फिर निष्कर्ष पर पहुँचिये कि एक ही कानून में सारी व्यवस्था करनी है या नहीं।

(१.५६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करते हैं तो उसका हल ढूंढना चाहिए वरना इस प्रकार की कठिनाइयें आपके सामने आती रहेंगी और आप किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकेंगे। जो रुपये विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के लिये, उनको शिक्षा देने और उनकी उन्नति करने के लिए राज्य सरकार को खर्च करने चाहिये उसमें खर्च नहीं कर पायेंगे और उसको वेस्ट करेंगे, ऊपरी आडंबर और दिखावे में।

मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी समझ में यह आता है कि राजस्थान राज्य सरकार और खास तौर से मंत्रियों को यह आदत पड़ गई है कि आंकड़ों में किसी प्रकार से उन्नति दिखा दें, वास्तव में उन्नति हो या न हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कागज पर तरक्की दिखा कर दुनियां की आंखों में धूल झोंकना आप अपना काम समझते हैं। आपने तीन विश्वविद्यालय बना दिये। दुनिया की आंखों में धूल डालने के लिए यह कह दिया कि एक एक युनिवर्सिटी में हजारों विद्यार्थी निकलते हैं, लेकिन सब्स्टेन्शियल रूप में जानकारी चाहता हूं कि जो हजारों विद्यार्थी निकलते हैं वे कैसे है? वे दूसरे विद्यार्थियों के कॉम्पीटिशन में कैसे निकलते हैं? हजारों निकलने के बजाय एक ही पंडित निकाल सकें तो आप देश का कल्याण कर सकते हैं:

"एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि"

रात्रि के अन्धकार को दूर करने के लिये एक हजार तारे भी प्रकाश नहीं कर सकते, केवल चन्द्रमा का प्रकाश रात्रि के अन्धकार को दूर कर सकता है। आपके हजार हजार स्टूडेन्टस राजस्थान के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते, लेकिन यदि एक भी विद्यार्थी दूसरी विश्वविद्यालयों के कॉम्पीटीशन में आगे आ सकता है तो वह राजस्थान के नाम को उजागर कर सकता है, राजस्थान को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है।

(१.५८ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

केवल आंकड़ोंपर काम करने वाले यह दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने विद्यार्थी निकाल दिये, आप करोड़ों रुपये बेकार खर्च करते हैं। उनका सदुपयोग करने का विचार नहीं करते हैं। एक्ट में अमेन्डमेन्ट लाने से ही देश का भला नहीं होगा। राजस्थान सरकार का और जनता का भला इसमें है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें। इन्तजाम करने का भार आप लोगों के कन्धों पर है। आपका भला इसमें है कि जनता के रुपयों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिये। एक ही कानून बनाकर एकीकरण किया जाय ताकि तीनों में वैमनस्य न रहे, प्रतिस्पर्धा न रहे, एक प्रकार की यूनिफोर्मिटी से बराबर काम करते जायें।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस दृष्टिकोण से सही कानून लाने की चेष्टा की जाये तो मैं समझता हूँ इसमें राजस्थान की जनता का हित हो सकता है, इससे विद्यार्थियों को उन्नति करने का मौका मिल सकता है। इस प्रकार से करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद सही माने में विचार की स्थिति मिलनी चाहिये। अर्थाभाव की समस्या हमारे सामने आप प्रकट करते हैं, लेकिन यह समस्या केवल दिखावे की है। सही माने में यह कहा जाता है कि काम करने का तरीका ऐसा है, लापरवाह हो घर का मुखिया यदि लापरवाही से रुपये खर्च कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो सारी मुसीबत घर के लोगों पर, परिवार के लोगों पर आती है। इसी प्रकार हमारी किस्मत है कि जो लोग हुकूमत करने वाले हैं, मंत्रीगण उनमें गलत खर्च करने वाले मंत्री आ गये हैं, बेकायदा खर्च करने वाले मंत्री आ गये हैं, लेकिन कष्ट उठाना पड़ता है जनता को, राजस्थान के लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। आप ध्यान दीजिये, इस तरह की नालायकी अपने घर के इन्सानों के साथ करना उचित नहीं है। आप अगर सही रास्ते पर। असके तो हो सकता है कि हमारे देश का कल्याण हो सके और देश की प्रगति हो सके और सही मायने में शिक्षा की प्रगति के रास्ते पर चलाने के लिए सही तरीके को अपना सकें।

श्री **सभापति** : Hon'ble Minister.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर युनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल के सिलसिले में जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे या दूसरे माननीय सदस्यों ने उन पर बहस में हिस्सा लिया, उनके साथ जो मुद्दे इस बिल से सम्बन्धित हैं या कुछ दूसरे मुद्दे रखे गये जिनके लिए मैं सोचता हूँ कुछ जवाब मुझे माननीय सदस्यों को देना चाहिए। मैं, माननीय सदस्यों को गलतफहमी नहीं हो, इस दृष्टिकोण से उनका स्पष्टीकरण करना जरूरी समझता हूँ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल को पायलेट करते हैं कृषि मंत्री महोदय जब कि पायलोट करना चाहिए दूसरे मंत्री महोदय को क्योंकि यह जनरल युनिवर्सिटी बन चुकी है। मैं सभापति महोदय, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो बिल पहले हमारे इस सदन में पेश हुवा और जिसके जरिये से युनिवर्सिटी उदयपुर के अन्दर कायम हुई, उसमें काफी परिवर्तन आये हैं उस बिल के पास होने के बाद। वैसे सारे राजस्थान के जितने भी विश्व विद्यालय हैं, वे जिस प्रकार से इस राजस्थान में एग्जिस्टेन्स में आये हैं, उनमें हर विश्व विद्यालय के पीछे अपनी अलग अलग हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को हम ख्याल में रखें तो जैसा सदन के एक-दो माननीय सदस्यों ने कहा, हमें एक कॉमन बिल, समस्त राजस्थान के सारे विश्व विद्यालयों का एक पेटर्न का बना देना चाहिए और उसके नीचे एक प्रकार के स्टेच्यूट्स, एक प्रकार की सारी चीजें होनी चाहिए। अभी इनमें इतनी विभिन्नता क्यों है?

मैं आपकी मार्फत, सभापतिजी, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में एजूकेशन के कुछ स्टेन्डर्ड

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की बातें कही गईं, एजूकेशन स्टेन्डर्ड के अन्दर गिरावट के बारे में बातें बताई गई। मैं नहीं कहता कि जो कुछ उन्होंने कहा, बच्चों के सामने रखे गये सवालों के बारे में कहा, वह गलत था। बच्चों के सामने जैसे सवाल आयेंगे, वैसा ही वे जवाब देंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, उसके साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम राजस्थान से आज से दस साल पहले कहां खड़े थे शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर कहां खड़े थे, हमारे यहां शिक्षण संस्थाओं की क्या तादाद थी और किस प्रकार की शिक्षा की किस्म थी? राजस्थान का जो बैकग्राउन्ड है, राजस्थान का जो इतिहास है उसके अनुसार राजस्थान अलग अलग बाईस रियासतों से बना हुआ है, जिनमें अलग-अलग राजा-महाराजा थे, वे सब रियासतें १६४६ में एक हुई। उस समय राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं की तादाद के बारे में विचार कीजिये तो मालूम होगा कि उस समय ३२ हजार गांवों में दो हजार प्राइमरी स्कूलें थी, १६५१-५२ तक मिडिल स्कूलों की संख्या ७०-८० के लगभग थी और राजस्थान में कॉलेजों की संख्या चार-पांच थी, हाई स्कूल केवल शहरों तक ही सीमित थे, जिनकी संख्या पच्चीस-तीस से ज्यादा नहीं थी। तो १६५१-५२ की राजस्थान की हालत यह है। राजस्थान में, जब १६५३ में मैं शिक्षा मन्त्री था, मुझे याद है, उस समय राजस्थान का शिक्षा का बजट १ करोड़ ४८ लाख का था। जिस राजस्थान में कॉलेज चार-पांच की गिनती में थे, जिस राजस्थान में स्कूल गिनती में थे, मिडल स्कूलों की संख्या भी काफी नीचे थी और प्राइमरी स्कूल केवल दो हजार थे, उस राजस्थान की पिछले आठ-दस सालों की शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के हिसाब को थोड़ा ध्यान में लायें तो मालूम होगा कि राजस्थान में २३-२४ हजार गांवों में प्राइमरी स्कूलें हैं, इस राजस्थान में १७०० गांवों में मिडल स्कूलें हैं, इस राजस्थान में करीब साढ़े सात सौ हाई स्कूलें हैं और इस राजस्थान में चार-पांच कॉलेजों के बजाय २५-२६ कॉलेजें हैं और जिस राजस्थान में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था वहां तीन विश्वविद्यालय हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में स्कूलें हों, शिक्षा का इतना फैलाव हो, वहां बहुत बड़ी तादाद में ट्रेण्ड शिक्षक और पढ़े-लिखे शिक्षक चाहिए। शिक्षकों की तादाद में जहां हजारों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इतने बड़े स्टाफ में सब एक प्रकार के दक्ष और अच्छे लोग हों जो स्टेन्डर्ड को और दूसरी बातों को कायम रख सकें—इस सम्बन्ध में इस सदन के जितने बुद्धिमान सदस्य हैं वे विचार करेंगे तो पायेंगे कि जहां शिक्षा के इतने व्यापक फैलाव के साथ साथ इतने अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसा कि राजस्थान के बजट के बारे में मैंने कहा कि १६५३ में १ करोड़ ४८ लाख का बजट था, वह सोलह करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा कई कॉलेज हैं, जिनका खर्चा बजट के अलग मदों से जुड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर सतरह-अठारह करोड़ से वह कम नहीं है। जहां इतने करोड़ रुपयों की आवश्यकता हो, जहां इतना क्वालिफाइड स्टाफ चाहिये, जहां शिक्षा का इतना विकास हुआ हो, वहां यह मान कर चलें कि जो कुछ हुआ है वह सब ठीक हुआ है और उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है—इस प्रकार का दावा न तो सरकार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करती है और न ही मैं इस प्रकार की मान्यता रखता हूं। जो स्टेन्डर्ड की बात करते हैं वे यह समझें कि स्टेन्डर्ड के बारे में वे ही कॉन्शियस हैं और स्टेन्डर्ड के बारे में राजस्थान की सरकार या मन्त्री और विश्वविद्यालयों को चलाने वाले लोग नहीं सोचते तो मैं सोचता हूं कि यह उनकी गलती है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वे कह रहे थे कि इस बिल को पायलोट शिक्षा-मन्त्री को करना चाहिये था क्योंकि वे शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं। अच्छा होता वे पायलेट करते, मुझे कोई बिल पायलोट करने का शौक नहीं था। लेकिन क्योंकि इस बिल के बेकग्राउन्ड की मुझे ज्यादा जानकारी थी और क्योंकि सरकार का कोई भी मन्त्री बिल को पायलोट कर सकता है इसलिये मैंने किया। मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस विश्व-विद्यालय की हिस्ट्री यह है कि जिस वक्त यह बना, उस समय वैसे तो राजस्थान में जयपुर विश्व विद्यालय था और राजस्थान की सभी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स उससे एफीलियेटेड थीं। लेकिन एक विचारधारा पैदा हुई कि जोधपुर में जो इन्जीनियरिंग कॉलेज है, दूसरे कॉलेज हैं, साइन्स के कॉलेज हैं, आर्ट्स के कॉलेज हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि जोधपुर में अलग युनिवर्सिटी बनाई जाय, जिसका आगे चलकर स्वरूप रेज़िडेंशियल यूनिवर्सिटी का हो। तो यह एक भूमिका सरकार के सामने आई और नये रूप से जोधपुर युनिवर्सिटी को जन्म दिया। इस भूमिका के अन्दर एक एक्सपेरिमेंट के रूप में वे कॉलेज इस विश्वविद्यालय से निकाल कर नई युनिवर्सिटी की आशा और कल्पनायें लेकर इस युनिवर्सिटी का बिल इस सदन के सामने रखा गया था।

इसके साथ-साथ सैकण्ड फाइव ईयर प्लान के एण्ड तक विचार हुआ कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी के पेटर्न पर हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर में मजबूती लाने के लिये, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से ऐसी एक संस्था का गठन किया जाय जिसको एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी नाम दे सकें। उसके अन्दर एग्रीकल्चर की शिक्षा के साथ-साथ एग्रीकल्चर रिसर्च का काम और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का वर्क—इन तीनों कामों को लिंक किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर आगे आने वाली योजनाओं में योग दे सके। इस दृष्टिकोण से सैकन्ड प्लान की लास्ट ईयर में उदयपुर में इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और हिन्दुस्तान के चार-पांच स्टेट्स बने, जिनमें से राजस्थान भी एक था। और राजस्थान का एग्रीकल्चर कॉलेज, जो सुचारु रूप में उदयपुर में चल रहा था, उसी तरह से वैटरनरी कॉलेज जो एग्रीकल्चर की ब्रांच है, बीकानेर में चल रहा था और एक पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर में चल रहा था—इन सब को मिलाकर एक इस प्रकार का विश्वविद्यालय कायम करने के लिये विचार किया गया, जिसके लिये १६६२ में में एक युनिवर्सिटी कानून रखा। उस भूमिका के अन्दर और इस प्रकार के कानून के जरिये इस युनिवर्सिटी का जन्म हुआ जो युनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में काम करती जाय, इस प्रकार की युनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय अमेरिका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में बनी, उनके पेटर्न पर इसका निर्माण हुआ।

उसके बाद फिर मान्यता में परिवर्तन आया और सोचा गया कि एग्रीकल्चर का अलग प्रकार का विश्वविद्यालय चले जिसके साथ में होम साइन्स, ह्यूमेनिटीज़ और दूसरे विषय हों।

जैसा अभी ढाबरियाजी कह रहे थे वहां विद्यार्थियों में लड़ाई चल रही थी, तुम फावड़े चलाने वाले क्या कर सकते हो और तुम चाकू चलाने वाले क्या कर सकते हो ? यह वातावरण अलग-अलग संस्थायें रखने से बहुत ज्यादा रहने की गुंजाइश है। इसलिए ऐसा विश्वविद्यालय, जिसके अन्दर सब प्रकार के विषयों का समन्वय हो, जिसके अन्दर सब लोग साथ साथ बैठ कर शिक्षा पायें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। इस प्रकार की विचारधारा को लेकर इस युनिवर्सिटी का नाम १९६३ में बदल कर उदयपुर युनिवर्सिटी, उदयपुर विश्वविद्यालय, रख दिया। इस विश्वविद्यालय को रखने के बाद उस एक्ट में बहुत तरमीमें आई जो १९६३ में पास किया था। उसके बावजूद भी इस युनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चरल, वेटरनरी, ह्यूमेनिटीज़ एण्ड होम साइन्स की संस्थायें जो उदयपुर में हैं उन सबको इसके साथ-साथ जोड़ दिया जावे क्योंकि इससे दायरा और बढ़ा रहता है। इसलिये इसको इसके साथ जोड़ दिया जावे इसके अलावा दूसरे कारणों से भी, जिसके लिये अभी भी यह कहा गया है और युनिवर्सिटी कहती है कि एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेन्डरी आदि जो इसके साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं वे इसके साथ रहेंगे और उसका रिसर्च, एक्सटेन्शन और शिक्षा का काम यदि उन सब्जेक्टों पर किया जावे तो ठीक होगा। यह उदयपुर युनिवर्सिटी की स्पष्ट दिशा है। इसलिये माननीय सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक पेटर्न पर चलाना इसके लिये न तो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड है न रिवोल्यूशन हुआ है। हम क्रांति लाना चाहते हैं, इसके लिये एक पेटर्न पर बात करना, राजस्थान किस भूमिका से गुजर रहा है उसको देखते हुए यह जरूरी नहीं है। हमें अलग-अलग एक्ट्स के जरिये दायरे और अलग-अलग दृष्टि से हमें सोचना होगा। इसलिये हमारे सब एक्ट्स और स्टेटस एक से हो जायें, ये न जरूरी हैं, न मैं इनको जरूरी समझता हूँ कि राजस्थान के लिये जरूरी हैं।

जो अमेन्डमेन्ट सदन के सामने रखा है उसके बारे में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उदयपुर से पहले अजमेर में युनिवर्सिटी होना जरूरी था। जैसा मैंने कहा, उदयपुर में इसके होने का बेस था। उदयपुर में इसका बेक ग्राउन्ड पहले से था। अजमेर में और युनिवर्सिटी बने और आने वाले वर्षों में और युनिवर्सिटी हो सकती हैं क्योंकि कई स्टेटों में दस और बारह २ युनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे राजस्थान में एक भी युनिवर्सिटी नहीं थी, मगर आज हमारे यहां पर तीन हैं। हम चाहते हैं कि और भी जगह युनिवर्सिटीज़ बनें और अजमेर में भी बनें। हमारे माननीय सदस्यों को खुशी होगी जब हमारे यहां और भी विश्वविद्यालय खुलेंगे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और अजमेर और उदयपुर के प्रश्न को जोड़ने की बात कहते हैं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

इसके साथ साथ जोधपुर युनिवर्सिटी के स्टाफ और उसकी पे, वहां के घाटे और उसके ठीक नहीं चलने की बातों को लेकर बहुत कुछ कह डाला। मैंने माननीय सदस्य से पहले भी कहा कि उसकी बहुत सी बातों की जानकारी मेरे पास नहीं है इसलिये उन बातों पर बहस करना ठीक नहीं है। चुंकि मेरे पास जानकारी नहीं है इसलिये मैं उनकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता, जब खासकर मैंने बहुत जोर दिया तो उदयपुर युनिवर्सिटी के बारे में कहने लगे और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उस सुर में सुर मिलाया यह कहा गया कि एक्विज़िशन जमीन का सवाल है, उसमें ढ़िलाई की जा रही है क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर ने वह जमीन खरीद ली है, उनकी दिलचस्पी है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं वहां पर गया और मैंने उस जमीन को देखा है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अगर वे वहां पर जाकर आये हैं और अगर उनकी यह जानकारी है तो मैं यह कहूंगा कि उनकी जानकारी को और दिमाग को दुरूस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि १३ एकड़ एक और ८–६ एकड़ और जमीन बताई। कुल २१ या २२ एकड़ जमीन चीफ मिनिस्टर के पास है। मैं यह कहूंगा कि या तो उन्होंने उसको देखा नहीं है या उन्होंने मेज़रमेंट आंखों का और कर लिया है। मैंने उस फ़ार्म को देखा है, एक दफा नहीं चार दफा मैंने उस फार्म को देखा है और विज़ीट किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिये माननीय सदस्य और राजस्थान की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को एग्रीकल्चर में इस प्रकार से नया इन्ट्रेस्ट पैदा होना और स्वयं काम को आगे बढ़ाने की बात, मैं राजस्थान के लिये एक सौभाग्य की बात समझता हूं। एग्रीकल्चर में हमारे यहां के हाइएस्ट हैड हैं वे किस तरह जमीन में काश्त करके जमीन को कामयाब बनाकर किसानों को लीड दे सकते हैं और देते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी एक्टीविटी होगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनको बना बनाया मिलता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो राजनैतिक प्रचार करें। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर स्पीच देकर राजनीति में जोर लगावें।

(श्री नाथूराम मिर्धा और श्री उमरावसिंह ढाबरिया के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

आप सुनें तो सही। मैं अभी सब कह दूंगा। आप तो प्रचार करते रहें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह प्रचार नहीं है, मैं जानता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। आप नहीं जानते हैं। ८ बीघा जमीन है। एक टुकड़ा ६ बीघा का है और एक दो बीघा का टुकड़ा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १३ बीघा के लिये चीफ मिनिस्टर ने पहले कहा और ७ बीघा बाद में खरीदी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप झूठे हैं। मैं खुद वहां जाकर आया हूं और सारी उम्र मैंने जमीने नापी हैं। आप नपवाना चाहें तो नाप सकता हूं।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया के और श्री नाथूराम मिर्धा के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कांग्रेस को बदनाम करें, उसके साथ साथ अपना राजनैतिक भाषण करें। मगर इसके साथ साथ फैक्ट्स गलत न रखें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उनको खुद की प्रोसीडिंग्ज़ उटा कर देखी जावें। चीफ मिनिस्टर ने खुद ने मंजूर किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुख्य मंत्रीजी क्या स्वीकार करेंगे ? मैंने देखा है उस फार्म को। ८ या ६ बीघा से ज्यादा नहीं है। अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो वे इसके बारे में और कोई शर्त रख लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर इससे ज़्यादा हो तो आप इस्तीफा देने को तैयार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। नहीं तो आप इस्तीफा देने को तैयार हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम आपको रजिस्टर्ड खत बता देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो कहते हैं लेकिन मैंने जाकर जमीन देखी है।

(शोरगुल; श्री उमरावसिंह ढाबरिया व श्री ज्वालाप्रसाद के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप गलत कहते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस जमीन के बारे में गलत बातें न करें। युनिवर्सिटी बीच में आ गई है। इसमें युनिवर्सिटी के एक्वीज़िशन का सवाल न पहले था न अब है और अगर विश्वविद्यालय के वेलफेअर के लिये जमीन की जरूरत होगी तो वह भी ली जावेगी।

इसलिये सारे प्रश्नों को इसमें जोड़ कर कह देना कि युनिवर्सिटी के लड़के सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के उपकरणों को वहां आकर लगाते हैं और युनिवर्सिटी का १५ हजार रुपया उस फार्म पर खर्च हो गया, यह बिलकुल गलत बात है। १५ दिन पहले मैंने खुद ने वहां जाकर देखा है, मुख्य मंत्रीजी के फार्म पर युनिवर्सिटी के कोई डिमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंटल फार्म नहीं हैं। केवल उनकी जमीन पर जाते हैं……………

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : केवल उन्हीं की जमीन पर क्यों जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन पर अंगूर मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने लगाये हैं, उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है, अपना लेबर लगाया है। अंगूर पैदा करके मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे तो आपके लिये, हमारे लिये मिसाल होगी, बहुत अच्छी बात होगी। एग्रीक्ल्चरल युनिवर्सिटी थोड़े ही लगा रही है।

एक माननीय सदस्य : उनको तो अपने फार्म पर धतूरा पैदा करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अंगूर पैदा होंगे तो आप लोग भी खायेंगे।

तो इस प्रकार गलत भ्रमात्मक प्रचार करते हैं, वे करें उनको अधिकार है, पर सही बात रखना मेरा भी कर्त्तव्य है, इसलिये मैंने सारे तथ्य सदन के समक्ष रखे। सही तथ्य क्या हैं, यह सब माननीय सभापति महोदय, मैंने आपकी मार्फत निवेदन किया, हालांकि इनका इससे सम्बन्ध नहीं। पर एक गलत बात कही गई उसका जवाब नहीं देता तो आप कहते कि जवाब नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य : आप वहां फार्म पर देखने को पधारे तो आपको पता चला कि पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी जगदम्बालालजी वहां फार्म की देख-भाल करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : देख-भाल करने का क्या मतलब, चीफ मिनिस्टर साहब फार्म पर गये हों तो वे भी वहां मिलने आ गये होंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या जगदम्बालाल को बुला कर आपने पूछा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कितना लेबर वहां लगाया है ? मुझे भी कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इतना लेबर लगा है उस फार्म पर।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप मजदूरों पर आ गये। मजदूर तो वहां काम करते हैं, आप छोटी छोटी बातों को कहां से पकड़ते हैं, मजदूर तो काम करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है या और है। आप बड़ा पहाड़ खोदने की कोशिश करते हैं और अन्दर से ऊंदरा निकालते हैं। माननीय सदस्य पहाड़ खोद कर चूहा निकालते हैं इन चीजों का अमेंडमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर उन्होंने बात खड़ी कर दी और मैं उत्तर नहीं देता तो लोग समझते कि सही बात है। इसी दृष्टि से मैंने स्पष्टीकरण किया है।

इन अमेंडमेंट के बारे में एक बात यह कही गई कि वाइस चांसलर साहब को अख्त्यार दिये जा रहे हैं उनके द्वारा उन्हें बजट के अलावा और खर्च करने की खुली छूट दी जा रही है। ओरीजिनल एक्ट की धारा देखिये ऑर्डीनरी पॉवर्स नहीं हैं, एमर्जेन्सी के समय में वाइस चान्सलर साहब को यदि कोई काम को, कोई ड्यूटी को अदा करने में धन को खर्च करना पड़े, जो बजट में प्रोवाइडेड नहीं है तो ऐसे धन को ऐसे काम में खर्च करके बोर्ड के सामने वाइस चान्सलर साहब रखें।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अब हम पिछली पूंछ को काटना चाहते हैं। हमें वाइस चान्सलर साहब पर भरोसा करना पड़ेगा कि जो वाजिब खर्चा था वह कर दिया तो उसको बोर्ड के सामने रखने की क्या आवश्यकता ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, आपने बताया कि पूंछ कटना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूंछ काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? पहले खर्च कर लेंवे, ठीक है, पर खर्च करने के बाद बोर्ड के सामने रख दिया जाय इसमें क्या दिक्कत है ? तो इस पूंछ को काटने की आवश्यकता क्यों पैदा हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनिये, मैं बताता हूं। इसमें वर्ड 'एमर्जेन्सी' है, वह कितनी दफा पैदा होती है। मेरे ख्याल से आज तक एक भी एमर्जेन्सी पैदा नहीं हुई। पर कभी एमर्जेन्सी पैदा होगी और खर्चा कर देंगे तो इसमें वाइस चान्सलर साहब को एक तरह की भावना पैदा हो सकती थी। एमर्जेन्सी के समय में वाइस चान्सलर साहब को इस प्रकार की भावना नहीं हो इसलिये यह पूंछ काट रहे हैं। एमर्जेन्सी की बात रेयरली होती है। बजट के अलावा और खर्चा करना पड़े, इसके बहुत थोड़े अवसर आते हैं, इसलिये यह पूंछ काट दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह का प्रोवीज़न करने की और जगह है, कोई नाजायज़ बात नहीं हो जाय इसलिये ऐसा रखना आवश्यक भी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी युनिवर्सिटीज़ में ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यू. पी. में हैं, और जगह है............

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं राजस्थान की युनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एमर्जेन्सी पैदा हो गई हैं या नहीं हो गई है, इस बात को तय करने का अधिकार भी वाइस चान्सलर को है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खर्च भी वही करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बड़ा जनतान्त्रिक तरीका मानते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़ा जनतान्त्रिक मानते हैं जी, चलिये।

दूसरे अमेंडमेंट्स के बारे में कहा गया कि वह पहले ६ था, कोरम, अब २० कर दिया। बीच के अमेंडमेंट को माननीय सदस्य भूल गये; पहला बोर्ड था वह छोटा था, सीधा बोर्ड ही इन मामलों को देखता था, युनिवर्सिटी ३ कॉलेजेज़ की रहेगी, कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी बोर्ड होगा, वाइस चान्सलर को पॉवर रहेंगे पहले यह था, पर ६३ के अमेंडमेंट के बाद दूसरी फेकल्टीज़ का समावेश हो गया। इन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

परिवर्तनों के कारण इसका जो संचालक मंडल था उसमें भी परिवर्तन हुए। पहले १२-१३ आदमियों का बोर्ड था अब ६०-७० का बोर्ड है ; हर दो-दो महीने के अन्तर से मीटिंग हो तो यह संभव नहीं हो सकता, अगर हों भी तो बड़ा खर्चा युनिवर्सिटी पर पड़ेगा। इसलिये नया प्रोसीजर रखा है। एग्जीक्यूटिव कमेटी डे टू डे सारी बातों की जानकारी रखेगी। ऐसे बोर्ड की साल में एक मीटिंग हो, उसके सामने सारी बातें आयें। इसलिये ६३ के अमेंडमेंट के बाद कई अमेंडमेंट और परिवर्तन हुए और इतने बड़े बोर्ड की मीटिंग साल में ६ दफा बुलाई जाए तो संभव नहीं था। दो महीने में एक मीटिंग की कल्पना तब की है जब की तीन कॉलेजेज़ की युनिवर्सिटी थी, छोटा सा दायरा, छोटा सा बोर्ड, डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन उस इनिशियल स्टेज में अत्यन्त आवश्यक था, उस दृष्टिकोण से छोटे बोर्ड की साल में ६ मीटिंगों का प्रोविज़न रखा। वे सब चीजें अब पूरी हो चुकी हैं। ऐसी दशा में बार बार मीटिंगें करना कतई वाजिब नहीं हैं। इसलिये यह कम किया, कोरम को भी कम किया।

प्रोसीजरल अमेंडमेंट इसमें १० के करीब रखे हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ बेक ग्राउन्डस हैं, जिनमें शिक्षा का विकास, उदयपुर युनिवर्सिटी का इवोल्युशन, बोर्ड का गठन, आदि पर पूरी तरह से विचार करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य, अब इस बिल पर कोई अमेंडमेंट क्लॉज़ बाई क्लॉज़ नहीं है तो इस बिल को जल्दी ही पास करेंगे।

श्री सभापति : Order please! Now I put the motion moved in the House.

प्रश्न यह है कि जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उदयपुर युनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि उदयपुर युनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

(२·३२ म० प०)

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६४

(विचार–विमर्श)

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :–

(१) **श्री हरिप्रसाद शर्मा** : (पाटन)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"

(२) **श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)

"राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिवस में / एक सप्ताह में/ पन्द्रह दिवस में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें; (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।"]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ जो सदन के सामने अभी उप मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उस संबंध में मैंने प्रस्ताव रखा है । मेरा प्रस्ताव, सभापति महोदय, इस प्रकार से है :—

खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड (अमेंडमेट) बिल, १६६४ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ।

सभापति महोदय, यह खादी का मामला इस सदन में कई बार आ चुका है और इस सदन में इस संबंध में एक बार नहीं, अनेक बार विचार किए गए हैं । इस खादी के नाम पर जो धन का अपव्यय और अनेक अनियमतताएं हो रही हैं उनको तुरन्त समाप्त किया जाय । हमें आशा तो यही थी कि शासक दल जो खादी को अपने जीवन का एक अंग मान कर चलता है और जो खादी की आड़ में हिन्दुस्तान की भोली भाली–जनता को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ठगने का प्रयास किया है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं यह तो मानता हूं कि सभी खादी पहनने वाले बेईमान नहीं हैं, यह भी मानता हूं कि हर खादी के अंदर पाप नहीं छिपा है, लेकिन खादी के नाम पर हुकूमत चलाने वाली संस्था को अब गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि शुद्ध और श्वेत खादी में जो पाप के धब्बे दिखते हैं वे अब सन्लाइट और हमाम से साफ होने वाले नहीं हैं, उन धब्बों को साफ करने के लिये कोई केमीकल ऐसा उपयोग में लाना पड़ेगा जिसके आधार पर ये धब्बे दूर किए जा सकते हैं। और सभापति महोदय, मैं तो यही मानता हूं कि राजस्थान में खादी के नाम पर होने वाले घोटालों को यदि दूर करना है तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वह यह है कि जो इन खादी के मामलात में दिलचस्पी नहीं रखते, जो खादी की पवित्रता को बचाने के लिए कृतसंकल्प नहीं दिखाई देते उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए।

इस सदन में जिस दिन खादी पर विचार हो उस दिन इस सदन में उपस्थित होना है, इतनी भी चिंता जिनको नहीं है और ऐसे मंत्री के पास खादी का विभाग रहे तो मुझे तो अधिक चिंता नहीं इस बात की, लेकिन मेरे जो मित्र हैं कांग्रेस....

श्री दिनेशराय डांगी (उप–मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : उप–मंत्री तो है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उन्होंने तो खादी पहिनना अब शुरू किया है।

श्री दिनेशराय डांगी : आपको मालूम नहीं कि खादी बनाना हमारे बाप–दादों का काम है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बियाना): तो आप बता दीजिए कि खादी के पीछे क्या क्या भाव हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने खादी दो साल से पहिनना शुरू किया है, उससे पहले खादी नहीं पहिनते थे।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के प्रवेश करने पर)

'दा' साहब, मुझे हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हाथ तो श्री ज्वालाप्रसाद को जोड़िए जो मेरे बाद बोलने वाले हैं। मैं तो केवल भूमिका बना रहा हूं, इसलिए आप तैयार हो जाइए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने हाजिरी की सूचना दी है आपको।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि इस खादी बोर्ड के संशोधन का विधेयक जो इस सदन में पेश किया जा रहा है, इस विधेयक में बड़े ही निराले ढंग से ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिनके बारे में कम से कम इस सदन में पिछले ८ सालों में मैंने कोई कानून नहीं देखा जिसके द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया हो कि जो बकाया रकम हो वह वसूल न होने पर बट्टे-खाते लिख दी जाय। ऐसा निकम्मा कानून पेश करने का सौभाग्य इन मंत्री महोदय को प्राप्त हुआ। मुझे खुशी होती इस बात

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की कि जिन खादी की संस्थाओं पर करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं उन खादी की संस्थाओं का करोड़ों रुपया जो लोगों में बकाया है, उस बकाया को वसूल करने की व्यवस्था की होती, लेकिन सरकार ने व्यवस्था की है कि बाकी रकम जो वसूल न हो सके उसे बट्टे-खाते में डाल दिया जाय। ८ साल में ऐसा कोई कानून नहीं आया जहां कानून में इस प्रकार का अधिकार दिया हो या इस सदन ने इस प्रकार का अधिकार दिया हो।

सरकार ने अपने आदेश दे दिये हों लेकिन इस सदन की मोहर उस कानून में नहीं लगी। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की मोहर कानून में न लगायें और सरकार को अधिकार न दें कि लाखों रुपया खादी बोर्ड के लोगों में हैं, चाहे पांच सौ हो, या पांच हजार हो, उसको बट्टे—खाते में डाल दे। इस प्रकार का अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिए। खादी बोर्ड है, खादी जिनका क्रीड है, खादी ही जिनका जीवन का आधार है, खादी ही जिनका कार्यक्रम है, खादी जिस संस्था के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, उनको मैं समझता हूं, गम्भीरता से विचार करना चाहिए। खादी की जो पूछ, खादी की जो इज्जत और उसका आदर और सम्मान जो आज से बीस साल पहले थी इस देश में वह आज न खादी की है और न आज खादी पहिनने वालों की है। खादी में इसलिए नहीं कि उसमें पाप दिखायी देता है और उन्हें विचार करना चाहिए कि वह क्यों है।

खादी की टोपी पहिन ली तो चोर हैं और टोपी उतार ली तो साहूकार है। उसके कारण है, सभापति महोदया।

(२.४१ म. पू.)

(श्रीमती लक्ष्मी कु० चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

चारों तरफ हम शिकायत करते हैं कि देश में हर चीज में मिलावट हो रही है। हम में से कई सारे लोग बड़े शौक से खाने की सामग्रियां खाते हैं। कई लोगों को ठंडाई का शौक होता है। बाजार में जाकर ठंडाई घोटने के लिए काली मिर्च लाते हैं और ठंडाई घोटने पर पीने से मालूम होता है कि काली मिर्च नहीं, ये तो पपीते के बीज हैं। कई लोगों का शौक होता है दाल में अच्छा मसाला खाने का। कई खाते हैं तो बाद में मालूम पड़ता है कि धनिया नहीं वह तो घोड़े की लीद है। अफसोस होता है कि घोड़े की लीद धनिया में क्यों मिली हुई है। दिल्ली के समाचार पत्रों में पढ़ा था। दिल्ली में घंटाघर दूध पीने हलवाई के यहां जाते थे और दूध बड़े शौक से पीया करते थे और कहते थे कि अच्छी मलाई का दूध मिलता है। मलाई दूध में पीने वाले शौकीनों ने जब अखबारों में एक दिन पढ़ा कि जिसे मलाई समझते थे वह ब्लोटिंग पेपर, स्याही चूसने वाला है, स्याही सोख्ता है, उस हलवाई ने लाखों रुपया का दूध ब्लॉटिंग पेपर मिलाकर बेच दिया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। दूध खरीदने जायं तो ब्लॉटिंग पेपर मिला हुआ, काली मिर्च की जगह पपीते के बीज, धनिये की जगह घोड़े की लीद! कई लोगों को सुपारी का शौक होता है। हमारे शिक्षा उपमन्त्री जी सुपारी खाते हैं, बड़ा शौक है उनको, सुपारी नहीं गुठली मिलती है। चारों तरफ आज हर चीज में मिलावट है। कानून

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

बना रखे हैं फूड में एडल्ट्रेशन रोकने के लिए, खादी में मिल का सूत मिलाने की रोक के लिए कानून है, लेकिन सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खादी जैसी चीज को जहां पवित्र मानते हैं उसमें इस प्रकार मिल के सूत की मिलावट करें तो उसके लिए क्या कठोर दंड है, क्या कठोर सजा है ? उसके लिए प्रमोशन है। उसके लिए तो ज्यादा पॉवर्स हैं, वाइड फाइ-न्शियल पॉवर्स हैं और उसका यह धन्धा हमेशा के लिए स्थायी बना कर लाइसेन्स।

करौली में ग्राम सेवा मंडल है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। उस करौली ग्राम सेवा मंडल में खादी में मिल का सूत मिलाया गया। खादी मेंजब मिल का सूत मिलाते थे तो मिल का सूत मिलने के कारण लाखों रुपये का मामला आगे बढ़ा। मैं यह करौली ग्राम सेवा मंडल का उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपको अजमेर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। स्वयं मंत्री महोदय को वहां का मालूम है; अजमेर की खादी संस्थाओं के बारे में कि उन संस्थाओं के देशपांडेजी के द्वारा लाइ-सेन्स कैंसिल कर दिये गये क्योंकि वे संस्थायें मिल का सूत मिलाती थीं। करौली के ग्राम सेवा मंडल के द्वारा खादी में मिल का सूत मिलाया गया। कांग्रेस के कोई मित्र कहेंगे कि शायद ऐसी बात बना कर कह रहे हैं, खादी को और खादी की संस्थाओं को बद-नाम करना चाहते हैं, खादी मंत्रीजी को बदनाम करना चाहते हैं। जब खादी मंत्री जी के सम्बन्धी विभागों का मामला हो तो खादी मंत्रीजी पर बड़ा रहम आता है, उनके बारे में बड़ा रहम आता है। यह उनकी कुशलता है कि सब घोटाले करने के बाद भी रहम मांग लेते हैं। उनके विभागों में आज जितने घोटाले हैं, जितनी अनियमिततायें हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं वे सब करने के बाद भी सारे मंत्रिमंडल में वे ही एक मंत्री ऐसे हैं कि अरे इनको माफ करो। यह सबसे बड़ी कुश-लता है आदमी की कि पाप भी करते जांय और रहम भी मांगते जाय और लोगों से रहम कराते जांय। रहम की जरूरत नहीं है इसमें। खादी की इज्जत को बचाना है, उसकी पवित्रता को बचाना है, खादी के पहिनने वालों की इज्जत को बचाना है।

सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हुं, खादी में मिलावट की बात, वह करौली ग्राम सेवा मंडल की बात कह रहा हूँ। अदालत में मुकदमा गया। खुद खादी वालों ने दावा किया कि अखबारों में गलत समा-चार छपे हैं कि हम मिल का सूत खादी में मिलाते है, हम मिल का सूत नहीं मिलाते ; शुद्ध खादी बेचते हैं, अनएडल्टरेटेड खादी वेंचते हैं। मामला अदालत में गया और अदालत में जाने के बाद, सभापति महोदया, सदन को सुनकर प्रसन्नता होगी कि मामले की छानबीन हुई और उसके बाद अदालत ने फैसला दिया और यह कहा कि करौली ग्राम सेवा मंडल के मंत्रियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि खादी में मिल का सूत मिलाया जाता था। यह फैसला छोटे से, तीन सौ रुपये पाने वाले मुन्सिफ का नहीं है, यह फैसला किसी मजिस्ट्रेट का नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उस फैसले पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सैशन का फैसला हो गया हो; किन्तु यह फैसला ऐसी न्याय संस्था का है जो सारे राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, यह फैसला उस हाईकोर्ट का फैसला है जिसने इस मामले में जांच करके फैसला दिया, उसके कुछ अंश मैं पढ़कर सदन को सुनाना चाहता हूं और यह सदन के माननीय सदस्यों पर छोड़ना चाहता हूं कि खादी के ऐसे मंत्री हैं, खादी में जहां मिलावट की जाय, उनके हाथों में इस प्रकार के अधिकार छोड़े जांय, यह कहां तक वाजिब है ?

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : ये सारी बातें आपने बजट भाषण में कह दीं और उनको आप यहां फिर रिपीट कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह तब तक कहूंगा जब तक आप जैसे गेंडों की खाल पर असर नहीं होगा । जब तक आप लोगों के ऊपर असर नहीं हो जायगा, मैं यह कहता जाऊंगा और डेमोक्रेसी में कहता जाऊंगा और जब तक मैं आप लोगों को मजबूर नहीं कर दूंगा कि आप हाईकोर्ट के फैसलों की इज्जत करो जिसने खादी जैसी पवित्र संस्थाओं के विषय में यह सर्टिफिकेट दिया है कि ये संस्थायें खादी में मिल का सूत मिलावट करती हैं, मैं तब तक कहता जाऊंगा । मंत्री महोदय स्वयं खड़े होकर बतायें कि इस हाईकोर्ट फैसले के बाद उन्होंने इसकी तामील में क्या कार्यवाही की ?

(विराम)

नशे में हैं आप ?

श्री दिनेशराय डांगी : नशे में तो आप ज्यादा हैं, जनसंघ वाले ज्यादा हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विराजिये आप ।

सभापति महोदया, यह हाईकोर्ट का फैसला है ।

"Ram Singh Versus Sudhakar Shastri and the State S. B. Criminal Appeal No. 59 of 1962.

Against the judgment of Shri M. J. Mardia, Additional Sessions Judge No. 2, Jaipur City, Dated August 31, 1961 in case No. 49/61/Cr. App.-"

इसमें केवल एक रिलेवेन्ट पोर्शन इतना सा है कि समाचार छपा था जैसा मैंने निवेदन किया करौली ग्राम सेवा मण्डल में । तीन चार्जेज़ थे । उसमें से एक चार्ज यह था :

'that the mill made yarn is mixed with khadi and such mixed cloth is sold,'

दूसरा चार्ज था :

'there are irregularties (ghotala) in the institution, and'

और तीसरा चार्ज था :

'the Secretary and Chairman of the institution have mis-appropriated the money of the institution.'

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सभापति महोदया, इसके बारे में उन्होंने लिखा है आगे :

'As regards allegations Nos.1 & 2 i.e. mixing of Mill made yarn in the Khadi and 'Ghotala' in the accounts of Gram Seva Mandal, it has been admitted by the complainant himself in his cross examination that from the various enquiries Khadi 'Thans' were recovered in which Mill made yarn was found mixed and that the auditor had found certain irregularities of accounts. He, however, alleged that one Hazur Singh who was a disgruntled employee of the institution was responsible for it. It is immaterial as to who was respoasible for it, as there is no allegation in the imputation that the complainant had himself done so. In the light of the evidence on record the learned counsel for the complainant at the time of arguments conceded that the allegations Nos. 1 and 2 had been substantially proved to be true.'

यह कम्प्लेनेन्ट के वकील,मुस्तगीस वकील, खादी ग्राम सेवा मंडल, करौली की तरफ से दावा हुआ, हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और यह कहा कि एलिगेशन नं० १ और २, दोनों सही साबित हुए।

एक है खादी में मिल का सूत मिलाना।

दूसरा है हिसाब किताब में घोटाले।

ये दोनों तथ्य स्वीकार हुए माने गये। पर सभापति महोदया, नम्बर तीन। कौन ? चेयरमेन और सेक्रेट्री, मैं इसलिये कह रहा हूँ कौन चेयरमेन थे। आपको आगे मालूम पड़ेगा। एलिगेशन नंबर तीन के बारे में कहा :

'This leaves for consideration item No. 3. As there was admittedly no complaint on behalf of the Chairman of the Karauli Gram Seva Mandal, the sole question for consideration is whether the imputation that the complainant, as Secretary of the institution is defamatory. As has already been mentioned, news letter Ex. P. 1 is not at all defamatory of the complainant. In news letter Ex. P. 2 there is a reference of Secretary..."

दा साहब, जिसको आप यह अधिकार देने जा रहे हैं।

'There is a reference to the Secretary of the Rajasthan Khadi Gram Udyog Board as well as to the Secretary of the Karauli Gram Seva Mandal. We are not concerned with the Secretary of the Rajasthan Khadi Gram Udyog Board for he is not a complainant in the case."

उन्हें तो यह भी साहस नहीं हुआ। कम्पलेन्ट फाइल नहीं की। सारे आरोपों को स्वीकार किया। जिसने कम्पलेन्ट्स फाइल कीं, वे सारी चीजें साबित हो गईं। इसलिए लिखा है :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

'Complainant Ram Singh being the Secretary of the Karauli Gram Seva Mandal, the questiou is whether the publication Ex. P. 2 is defamatory of him."

आगे। लिखते-लिखते लिखा है। हाई कोर्ट यह कहता है, मैं नहीं कहता। हाई कोर्ट कहता है :

"It has to be remembered that a great sentimental value is attached to pure khadi in this country and it is considered by many to be a symbol of the country's struggle for freedom. The admixture of Mill made yarn in pure khadi as well as the irregularities in the keeping of accounts and the misuse of the funds of an institution concerned with the production of pure khadi are obviously matters of public interest. A newspaper can justifiably claim that it is its duty to publicise irregularities of the nature committed in the instant case in respect of an important public institution and relating to the corrupt practices in the production of Khadi the purity of which is a matter of great importance to a large number of citizens. If the accused exposed the malpractices which came to his notice and many of which have been admitted to be true, it cannot be said that his intention was only to harm the reputation of the complainant."

तो सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन श्रीमानजी के खिलाफ यह सब कहा गया है। जो खुद खादी बोर्ड के, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सेक्रेट्री साहब तो यही हैं जो आजकल वर्तमान में भी जिनको आप पॉवर देने जा रहे हैं। यही हैं न दा साहब ? जिनके बारे में हाई कोर्ट ने लिखा है और जिनको इसके बावजूद भी आप पावर देने जा रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री) : वही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्दौर में कोर्ट ने एक के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये और कामराज ने कह दिया कि इसको निकाल बाहर फेंको और उस आदमी को अध्यक्ष पद से, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, हटा दिया। आपने क्या किया दा साहब ? आपमें वह हिम्मत नहीं है। आप तो उल्टे उसे गले लगावेंगे। उसे कहेंगे कि एसेम्बली में तेरे को ज्यादा अधिकार दिलाऊंगा। तू ज्यादा पैसे खाना और मेरी चलने वाली संस्थाओं का भी इन्तजाम कर देना। क्यों ? यही है न ? नहीं है, तो क्या एक्शन आपने लिया इसमें ? बताएं ? क्या कार्यवाही की आपने ? यह जजमेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ वह पढ़ा आपने ? नहीं पढ़ा, तो पाप है और पढ़कर कार्यवाही नहीं की अभी तक आपने कोई, तो महापाप है। गंगा-स्नान भी आपको इस पाप से मुक्त नहीं कर सकती, दा साहब !

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इतना ही नहीं माननीय सदस्य और उपमन्त्री महोदय यह कहें कि यह तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पुराना मामला है। वे शायद यह चाहते है हैं कि नये मामले बताऊं।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मन्त्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : यह जजमेंट रिलेवेन्ट तो नहीं है। सामने हो तो पता लगे कि सही कितना बोल रहे हैं और झूठ कितना बोल रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, अभी उपमन्त्री महोदय ने कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह ऑब्जक्शनेबल बात है। झूठ शब्द ही प्रयुक्त नहीं होना चाहिये।

(उप-मन्त्री महोदय के बोलने के लिये उठने पर)

आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं समझ रहा हूँ आपको। आपका यह झूठ शब्द का प्रयोग गलत है। आपका यह मतलब है क्या कि गलत क्वोट किया जा रहा है हाई कोर्ट को यहां पर? हाई कोर्ट का यह फैसला आपके ऑफिस में भी होना चाहिये। आपको देखना चाहिये कि जब वह आपके किसी विभाग के आदमी के बारे में हुआ है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये। गलत, झूठ बतलाना चाहते हैं तो क्वोट करिये आप कि क्या झूठ बात है? पढ़ा भी है आपने इसे?

श्री दिनेशराय डांगी : यह कहां तक सच है या झूठ है, यह कहा मैंने; आप कान से बराबर सुना करिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रोसीडिंग्ज़ दिखाऊंगा आपको। आपको अगर रेफर करना है तो जजमेंट रेफर करिए। आप अपने दिमाग को सुधारा करिये। आपको याद नहीं रहता। आपकी पसन्दगी की बात क्या है क्या नहीं; यह रखो जावे यह नहीं चलेगा, आप कुछ कह देते हैं और फिर इन्कार करते हैं। मैं सदन से अपील करूंगा कि मैंने जजमेंट को समझने की कोशिश की है, और आप उसको पसन्द नहीं करते, आप गलत आदमी का समर्थन करते है; यह नहीं बर्दाश्त होगा।

श्री दिनेशराय डांगी : जोर से मत बोलिये

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे आपसे शिक्षा नहीं लेनी है। आपकी डाइरेक्शन मुझे नहीं चाहिये, मैं परवाह नहीं करता इसकी। मैं तो और अधिक जोर से बोलूंगा। आप कहते हैं धीरे बोलिये, धीरे बोलने की बात आपके लिये हो सकती है, ऐसे मामलों में धीरे बोलने की बात मेरे लिये नहीं है। मैं इस तरह की कोई इन्स्ट्रक्शन नहीं मानने वाला आपकी।

श्री दिनेशराय डांगी : आप प्रोसिडिंग्ज़ देख लीजिए, क्या बोला हूँ। कान से बराबर सुना करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप कह दीजिये कि झूठ नहीं बोला। क्या आपने नहीं कहा 'झूठ' शब्द?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने ये शब्द कहे हैं कि यह फाइन्डिंग कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, ताकि रिलेवेन्सी का पता लगे। आप उसे टेबिल पर रखिये।

श्री भैरोंसिंह : आज तक आपने और मन्त्री महोदय ने हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, उसे नहीं पढ़ा ? आप वह कह देंगे कि नहीं पढ़ा है; तो हम टेबल पर रख देंगे। आप यह कह दीजिये कि हमने नहीं पढ़ा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह सेक्रेट्री से पूछकर बताऊंगा कि हमारे पास क्यों नहीं भेजी ?

श्री भैरोंसिंह : टेबल पर रख दी जावे या नहीं, यह भी सेक्रेट्री से पूछ लें।

एक माननीय सदस्य : मजमा जमे रात को तब तय कर लेना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका कुसूर नहीं है यह । आप तो वही बात याद रखिये कि मैं शराबी नहीं हूँ; मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है।

श्री दिनेशराय डांगी : आप एडमिट तो कर रहे हैं कि आपको पिलाई गई है। कोई बात नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे मालूम है, आप पीते नहीं हैं, पिलाई जाती है आपको।

तो हाल का फैसला बताऊं। ऐसा ही मामला और हुआ और उसमें कम्लेन्ट फाइल की थी। करौली ग्राम सेवा मण्डल के सेक्रेट्री रामसिंह ने और हाई कोर्ट ने लिखा है कि खादी बोर्ड के सेक्रेट्री श्री चिरन्जीलाल शर्मा ने कम्प्लेन्ट नहीं की थी। सारी बातें सही मानली थीं। खुद शिकायत की है और शिकायत की है विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड के नाम से।

"Rajasthan Khadi and Village Industries Board through its Secretary, Shri Chiranji Lal Sharma Vs. Shri Sudhakar Shastri, Chief Editor Dainik Lokwani, Jaipur-offence u/s 500 IPC."

और इस पर फैसला है २६-६-६४ का। सभापति महोदया, इसमें क्या था ? लोकवाणी में समाचार छपा, राजस्थान खादी बोर्ड पर भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातें छापीं, मैं बताता हूं हेडिंग थे उसमें इस तरह के कि राजस्थान खादी बोर्ड के सेक्रेट्री चिरन्जीलाल शर्मा पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप फाइलों और वाउचरों की जांच शुरू, लाखों का घोटाला, अधिक मामले सामने आने की आशा; इत्यादि, इत्यादि समाचार उसमें छपे थे।

सभापति महोदया, यह समाचार गलत मान कर सेक्रेटरी खादी बोर्ड ने दावा किया लोकवाणी पर मानहानि का। केस चला। बयानात हुए और उसके बाद चिरन्जीलाल शर्मा जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, जो आज भी हैं उनके बयान हुए इसमें क्रोस एग्ज़ामिनेशन्स हुए। मैं सारे इन तथ्यों की विगत में सदन को नहीं ले जाना चाहता कि किस तरह से हाउस रेन्ट उन्होंने क्लेम किया बोर्ड की बिल्डिंग में रहते हुए। इन बातों को मैं बहुत बार रख चुका हूँ सदन में। पर सवाल इस बात का है कि इस कम्पलेन्ट पर बयान हुए और यह कम्पलेन्ट खारिज हुई अदालत से। सारी बातें जो अखबार में छपी सही मानी गई। सारे एलीगेशन्स ट्रू माने गये। राजस्थान खादी बोर्ड, जिसके डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर यहां बैठे हैं उनमें हिम्मत और साहस नहीं कि वे इसकी अपील करें सैशन्स जज की कोर्ट में या अपील करें हाई कोर्ट में।

Page No. 94

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्योंकि उनको डर लग रहा था कि स्ट्रिकचर्स पास होंगे, इस पर मुहर लगेगी हाई कोर्ट का फैसला बनेगा तो मुसीबत हो जायेगी ; इसलिए, सभापति महोदया, इसकी कोई अपील अभी तक नहीं हो रही है। यह फैसला अभी तक फाइनल है और इस फैसले के आधार पर ये सारे एलीगेशन्स सच्चे माने गये हैं, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं इस संबंध में।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इस मामले में एक डी० एस० पी० एन्टी-करप्शन का बयान हुआ और उसने बयान में सारी बातों को साबित भी किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या अदालत में चलने वाले मुकदमे में, मुकदमे के सही फैसले के लिए कोई सरकार की फाइल मंगाई जाये, कोई मिसल तलब कराई जाये तो सरकार उसको भेजने के लिए मना कर देती है। मैं डिप्टी होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े भारी क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, सभापति महोदया, इस केस में डिफेन्स के एक्यूज़्ड की तरफ से एप्लीकेशन पेश की गई इस बात की कि एन्टी-करप्शन में जो इन्क्वायरी चल रही है उसकी फाइल कोर्ट में तलब की जाये कि कौन कौन से चार्जेज़ करप्शन के श्री चिरंजीलाल शर्मा के ऊपर हैं और इन्क्वायरी की रिपोर्ट मंगवाई जाये। यह कम्पलेनेन्ट ने दरख्वास्त पेश नहीं की, करनी चाहिए थी उनको, लेकिन एक्यूज़्ड ने पेश की तो हमारी सरकार का एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट कहता है कि यह हमारा प्रिविलेज है। कि हम जनहित में इस फाइल को पेश नहीं करते। तो कोर्ट में मांगने पर भी इसकी फाइल नहीं आई और उसके बावजूद भी डी० एस० पी० श्री मोतीलाल के बयानों को सही माना और सही मानकर देखा कि ये एलीगेशन्स अखबार में जो छपे हैं वे सही हैं और कोई डिफेमेटरी नहीं हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक रामनारायणजी कोई जनसंघ पार्टी के मेम्बर नहीं हैं, अपोज़ीशन पार्टी के मेम्बर नहीं हैं और हरिभाऊजी के समझे जाने वाले विरोधी कांग्रेसी एम० एल० ए० या मेम्बर भी नहीं हैं, ये हैं खादी ग्रामोद्योग भवन जो पांचबत्ती पर है, जहां आजकल कटौती और छूट मिल रही है, उसके मैनेजर हैं। वे गवाह के रूप में पेश हुए पी० डब्ल्यू० २ श्री रामनारायण जी, मैनेजर ऑफ खादी एवं ग्रामोद्योग भवन। यह मेरी राय नहीं है, मैं मैनेजर खादी एवं ग्रामोद्योग भवन की बात कहता हूँ। वह कहते हैं :

"P.W- 2 is Ram Narain, Manager of Khadi Gramodyog Bhavan, Panch Batti, Jaipur. He has deposed that the news item Ex- P-1 was read by him and that his reaction was that Shri Chiranji Lal, who was the Secretary of the Board, had also turned corrupt and that if it was so, he (the witness) should leave the services of the Board."

खादी की संस्था छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि श्री चिरंजीलालजी शर्मा भी करप्ट हो गये हैं; तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि इसका कांग्रेस के आदमियों पर भी रीएक्शन होता है। खादी संस्थाओं से पैसा लेकर जीवन निर्वाह करने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वालों का सिर भी लज्जा से झुक जाता है। लेकिन खादी में पाप है, मील का सूत मिला हुआ है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने फैसला पढ़ा या नहीं या आप कोई फैसले पढ़ते ही नहीं हैं ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री) : आप यह बता दें कि श्री चिरंजीलाल शर्मा के खिलाफ कोई व्यक्तिगत स्ट्रिक्चर्स हैं क्या ? आपने कन्हैयालालजी खादीवालों के लिए कहा, उनके लिए व्यक्तिगत स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं। यह करौली की संस्था और अलवर के केन्द्र के बारे में है। श्री चिरंजीलाल शर्मा के खिलाफ कोई पर्सनल स्ट्रिक्चर नहीं हैं। जहां गड़बड़ियां हुई थीं और जिन्होंने गड़बड़ियां की थीं, संस्था ने उस आदमी को उसी समय निकाल दिया और गड़बड़ी भी साबित नहीं हुई थी बल्कि शक था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो आपने ५० रुपये पाने वाले कर्मचारी को निकाला होगा। श्री चिरंजीलाल शर्मा को निकालने का साहस कहां ? क्योंकि उनको निकाल दिया तो हुंडी में संस्था चलती है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : साहस तो बहुतों को निकालने का होगा, लेकिन जो बात न्याय की होगी वही की जायेगी, जो वाजिब होगी ? वही की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और वाजिब वह होगी जो कि आपके दिमाग में वाजिब होगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो न्याय मुझे करना होगा वही करूंगा, किसी के कहने से नहीं करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'दा साहब' आपकी कहां चलाती है; आपको पता नहीं श्री खुश्चेव जो अपने को सारे संसार का मालिक समझते थे वे भी आज हाउस अरेस्ट में पड़े हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कोई बात नहीं है कि खुश्चेव आज हैं, कल नहीं हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह दम्भ की बात क्यों करते हैं ? आपको वह करना होगा जो कि यह हाउस कहेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर कैसे कहा ? यह भी ठीक है, वह भी ठीक है, मैं कहता हूं वह भी ठीक है और आप कहते हैं वह भी ठीक है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जगह आपके हाथ में न्याय हो तो आप वही करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर मेरे पास न्याय हो तो आप जैसों को जेल में भेज दूं। मैं सुखाड़िया नहीं हूं कि डिप्टी लीडर के लिए 'दा साहब' बूढ़े हैं इसलिए इन्हीं को बना दो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'दा साहब' किसी की दया पर नहीं बैठे हैं, किसी की दया पर मिनिस्टर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो यह बता दें कि जो हाईकोर्ट से जजमेंट है उसमें चिरंजीलाल को एग्ज़ोनरेट किया गया है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : व्यक्तिगत चिरंजीलाल के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर्स हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : श्री चिरंजीलाल वहाँ पर पदाधिकारी हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह करौली की संस्था के लिए झगड़ा था, उसके बाद वह अधिकारी नहीं रहे । अगर कोई शिकायत है तो संस्था से है, न कि चिरंजीलाल शर्मा से है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने का मतलब यह है कि चिरंजीलाल शर्मा उसके पदाधिकारी नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उस समय रहे थे, लेकिन अब नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उस समय चिरंजीलाल जी शर्मा उसके अध्यक्ष थे । उस संस्था के नाते कोई हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण, लोअर कोर्ट के जजमेंट में संस्था को या अध्यक्ष को एग्ज़ोनरेट किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लेकिन उस संस्था के अध्यक्ष अब नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय घोटाले हुए उस समय थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उस समय थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और क्या चाहिए आपको ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर आप न्याय चाहते हैं, मैं भी अध्यक्ष रहा हूं और आप भी किसी न किसी संस्था के अध्यक्ष रहे होंगे..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं छोटी संस्थाओं का अध्यक्ष नहीं हूं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिन्होंने कुसूर किया होगा उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही की गई और उनको हटा दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बता दें कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने जो इस मामले की जांच की है क्या उसमें चिरंजीलाल शर्मा को एग्जोनरेट किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट तो जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजता है । उसको फैसला करने का अधिकार नहीं है । एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को जो कुछ लिखा था उसकी इन्क्वायरी की गई और उसमें वे बरी हुए ।

श्री भैरोंसिंह : एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने इसको एग्ज़ोनरेट किया या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ बातों की तरफ एन्टी-करप्शन ने सरकार का ध्यान

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

दिलाया और सरकार ने विचार किया और हर एक पोइन्ट पर इनको बरी किया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि एन्टी करप्शान डिपार्टमेन्ट ने इनके खिलाफ जो चार्जेज़ लगाये वे थे प्रूव किये। श्री चिरंजीलाल शर्मा के खिलाफ एन्टीकरप्शान ने यह चार्ज लगाया कि मील का सूत मिलाने के अन्दर चिरंजीलालजी शर्मा का हाथ है। बाकी जो कम्प्लेन्ट्स थीं उसमें चिरंजीलाल शर्मा को दोषी बताया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : व्यक्तिगत चिरंजीलाल शर्मा के खिलाफ नहीं था। आप कहते हैं तो मैं और देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट क्यों माना? आपने उसे प्रिविलेज्ड डॉयूक्मेंट मानकर कोर्ट से उसको क्यों छिपा रखा है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे मुद्दे की बात कहें तो मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा और हर बात का उनको जवाब दिया जायगा और सन्तोष कराया जायगा। यहां पर हम लोग बैठे ही इसलिए हैं कि कहीं पर जुआ, चोरी या बेईमानी हुई है तो उसको समाप्त करें। इस लिए इत्मिनान से, जो भी फेक्ट्स हैं वे बतलायें, उन पर विचार करूंगा और जिन पर एक्शन ले लिया होगा वह भी बता दूंगा और नहीं लिया होगा तो ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कहने के लिए तो यह बहुत अच्छी बात है और आपने कहा इसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कहने की ही बात नहीं, एक्शन लिया गया है। दूसरा कोई खादी का मिनिस्टर होता तो एक्शन नहीं लेता।

श्री भैरोंसिंह : एक्शन की बात कह रहे हैं तो चुनौती देता हूँ कि इस तरह की कोई खादी की संस्था बता दें जिस संस्था के एकाउन्ट्स में घोटाले न हों। एक भी संस्था का नाम ले दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : घोटाले की बात है तो कमेटी बैठी हुई है वह फैसला कर देगी।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान का यही दुर्भाग्य है कि आप नहीं जानते हैं कि कमेटी बैठी हुई है या कैसी स्थिति है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपको शक है कि घोटाले हुए हैं तो कमेटी बन गई है, उसके सामने मामलों की रिपोर्ट आ जाने दें और जहां घोटाले पाये जायेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपका एक्शन यही है? आप कहते हैं, हम एक्शन लेते हैं। आप राजस्थान खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो एक भी खादी की संस्था राजस्थान की ऐसी बता दें कि जिस संस्था के अन्दर एकाउन्टस के घोटाले

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं हों, जिन्होंने अनुदान और ऋण का दुरुपयोग नहीं किया हो, रकम का मिसएप्रोप्रियेशन नहीं किया हो ? एक संस्था भी राजस्थान की बता दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप एक भी मिसाल बता दें, कोई शिकायत हो और हमने कार्यवाही न की हो।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर–मेरवाड़ा ग्राम सेवा मंडल जिसके आप अध्यक्ष हो, उसकी शिकायत मेरे पास है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसकी जांच हुई है और जांच होने के बाद बरी पाये गये हैं। उसके बाद थोड़े दिन के लिए उनका प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया था, यह प्रमाण-पत्र उनको वापिस दे दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जांच हुई है और जांच के कारण आपको अध्यक्षता का पद छोड़ना पड़ा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह गलत बात है। इस कारण से नहीं छोड़ना पड़ा। अगर उस कारण की बात आप कहें तो वापिस अध्यक्ष हो जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : वापिस आपको बनने नहीं देंगे, बड़ी मजबूरी से आप और गर्ग साहब निकले हैं और डिप्टी स्पीकर साहब को उसका अध्यक्ष बनाया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं किसी लोभ-लालच से नहीं बनता हूं। थोड़ी बहुत सेवा है मेरी उसके कारण बना। हटा हूं तो अपनी मर्जी से हटा हूं। किसी ने नहीं हटाया है और न हटा सकता है। मैंने कभी जान-बूझ कर ऐसा काम नहीं किया है कि कोई मुझको मन्त्री पद या अध्यक्ष के पद से हटाये।

श्री भैरोंसिंह : अब आपकी अध्यक्षता में कोई संस्था चल रही है और उसमें गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार कौन है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिम्मेदार तो मैं हूं।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप जिम्मेदार हैं तो यह नहीं कहते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिम्मेदारी का मतलब यह कि जो कल्प्रिट पकड़ा गया है उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। नैतिक जिम्मेदारी है अध्यक्ष की कि उसमें कोई गड़बड़ होती है तो वह उसको देखे। मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें और मैं बराबर उसको कर रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : यह क्वेश्चन अवर हो गया, साहब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था और अभी दा साहब को एक पैरेग्राफ और पढ़कर सुना देता हूं आपकी अनुमति से इस हाईकोर्ट के जजमेंट में से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

" It follows, therefore, that item No. 3 of the charge sheet....

जो मैंने दूसरे दो आइटम्स बतलाये उन दोनों को एडमिट कर लिया था :

"...relates to the first paragraph of newsletter Exp.2 in which the allegation is that the complainant made an attempt to earn money improperly by mixing mill-made yarn in pure Khadi. So far as admixture of mill-made yarn in the Khadi is concerned, it has been proved by over-whelming evidence on the record that this was so and Ram Singh also admitted that allegation to be correct."

और यह वह संस्था है जिसके चेयरमेन थे चिरन्जीलालजी। इतना ही मैं कह रहा था कि उस आधार पर उस संस्था ने खादी में मिल का सूत मिलाया था, हाईकोर्ट ने इस बात को साबित माना और साबित मानने के आधार पर स्वस्थ परम्परा तो यह है कि रेलवे का एक्सीडेन्ट कहीं हो जाय तो लालबहादुर शास्त्री इस्तिफा दे दें, स्वस्थ परम्परा गांधीवाद की यह है। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है कि गली-कूचे निकाल कर उनका नाम लेकर कि उन्होंने खाया है और ऐसा खाया है, यह इसमें नहीं लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब चीजें इस सम्बन्ध में हैं और अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो इसके बारे में जांच हो जायगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्वस्थ परम्परा की दृष्टि से देखो तो लालबहादुर शास्त्री ने जिस ऊंचे स्टेण्डर्ड को ख्याल में रखकर इस्तीफा दिया तो चिरन्जीलालजी वहां से हट गये। स्वस्थ परम्परा को निभाना है तो उन्होंने निभाया है। चिरन्जीलालजी ने बोर्ड के सेक्रेट्री की हैसियत से कोई ऐसा गुनाह नहीं किया.......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): हट गये या हटा दिये गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आप आज के देश के प्रधान मन्त्री के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं जिसने खादी में मिल का सूत मिलाया। उस पाप से पेट भरने वाले आदमी का मुकाबला लालबहादुर शास्त्री से करते हुए दा, साहब आपको लज्जा नहीं आई। जो उसके पैरों की धूलि के बराबर भी नहीं है, आप उसके नाखून के बराबर भी नहीं हैं, उसका मुकाबला उनसे कर रहे हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। लालबहादुर शास्त्री का मुकाबला चिरन्जीलाल से कर रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे है उन शब्दों में तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास जवाब है भी क्या ? हो भी नहीं सकता। मैं अर्ज कर रहा था कि डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट, एन्टी-करपशन ने इसकी जांच की है। इसके बारे में कोर्ट ने लिखा है :

Page No. 100

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"D.W.I. is Motilal Dabi, Dy.S.P. of the Anti-Corruption Department, who has deposed that in1959he was posted as Dy. S. P. in Anti-Corruption Department in Jaipur City. He has further stated that he had conducted a confidential enquiry against Shri Chiranji Lal Sharma, Secretary, Khadi Board in connection with certain reports against him......"

और कौनसी रिपोर्ट्स ?

"He has stated that the allegation mentioned in Exp. 1......"

जिसमें गड़बड़-घोटाले, मिल का सूत मिलने की अनियमितताएं वह सारा चार्ज है :

"He has stated that allegations mentioned in Exp. 1 are the same as were mentioned in the report on which he had conducted the enquiry.

अब और क्या चाहिए ।

"In his cross-examination also he has maintained that the allegations in Exp. 1 were included in the report with him which had some other allegations also.

He has also deposed that he had gone to the office of the Board and had seized some files there. In his cross-examination he has stated that he could not disclose his findings since the enquiry was confidential. The enquiry report was submitted by him to his superior officers for necessary action."

क्या हुआ नैसेसरी एक्शन ?

"It may be worthwhile to mention here that the file was called from the Anti-Corruption Department by the accused in defence, but the Additional I. G., Anti Corruption Department, claimed privilege..."

मैं पूछना चाहता हूं इस डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस के बयान में वही एलीगेशन्स हैं और उसकी रिपोर्ट में भी वही एलिगेशन्स है और न्यूज़ आइटम में भी वे ही एलीगेशन्स हैं और एन्क्वायरी ने जो फाइंडिंग्स दीं वे आपको सबमिट कर दीं, और मैं दावे के साथ इस सदन में कहता हूं कि इस संस्था के खिलाफ डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस एन्टीकरपशन ने जो चार्ज किये है चिरन्जीलाल के एलिगेशन्स के बारे में और वह फाइंडिंग्स चिरन्जीलाल के खिलाफ हैं और सब एलिगेशन्स साबित हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। वह बस्ता-ए-खामोशी में रखा है। उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए है, दा साहब, क्योंकि आप सोचते है कि राजस्थान का बिजू पटनायक, बीरेन मित्र कब जायगा, कब सुखाड़ियाजी जायेंगे और कब मेरा नम्बर आयेगा। यह स्वप्न आप देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री का। उनको फुरसत कहां है राजस्थान की खादी की पवित्रता के बारे में सोचने की ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनकी तो गद्दी बरकरार है, जब तक ऐसा है वे बैठे रहेंगे। मुझे अफसोस है कि ताना-शाह देश में भी ताकतवर लोगों को हटाया जा सकता है, लेकिन राजस्थान के कांग्रेसी एम.एल. एज़. दिल में घुटते हैं, घुटन होती है लेकिन हिम्मत नहीं है। उड़ीसा की कांग्रेस की तरह राजस्थान की कांग्रेस...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप चाहते क्या हैं? इस सिलसिले में बोर्ड ने विचार करके फैसला किया है वह मैं आपको बता देता हूं। जिस जजमेंट का आप जिक्र करते हैं उसके बारे में विचार करके खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने विचार करके प्रस्ताव पास किया है, वह मैं सुना देता हूँ। उक्त मुकदमे में जो फैसला हुआ है उसका सारांश समिति के समक्ष सभापति महोदया, पढ़ा गया जिस पर विचार करके निम्न प्रकार निर्णय किया गया :

"दैनिक लोकवाणी, दिनांक ७-५-५९ में जो गम्भीर आरोप बोर्ड व बोर्ड के सचिव श्री चिरन्जीलाल शर्मा पर लगाये गये थे वे बोर्ड की दृष्टि से असत्य होने के कारण बोर्ड की ओर से उक्त दैनिक-पत्र पर डिफेमेशन का दावी किया गया था, उसका फैसला दिनांक २९-६-६४ को हुआ। फैसले को पढ़ने के बाद समिति को यह स्पष्ट लगा कि बोर्ड व बोर्ड के सचिव श्री चिरन्जीलाल शर्मा पर जो गम्भीर आरोप दैनिक लोकवाणी में छापे गये थे वे प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर सका, जिसका उल्लेख फैसले में भी किया गया है। लेकिन फैसले में दैनिक-पत्र को जनहित की सुविधा में बरी किया गया है। आरोपों की दृष्टि से तो बोर्ड दावे में सफल हो रहा है।

मुकदमे में प्रतिवादी को बरी करने में जो विशेष मुद्दे रह गये हैं उन पर अपील की दृष्टि से बोर्ड के उपर्युक्त मुकदमे के एडवोकेट श्री चांदकरण गर्ग ने कुछ तथ्य सामने रखे हैं। इस सन्दर्भ में उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति को यह उचित लगता है कि इस मामले की अपील न की जाय।"

यह फैसला हुआ बोर्ड का। जिस जजमेंट का आप जिक्र करते हैं उस पर विचार करके यह फैसला हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो खुद मुलजिम और खुद ही फैसला कर दे, यही बात हुई। खादी बोर्ड का फैसला कैसे हुआ, दा साहब? पास में बैठने वालों ने चाहे जैसी उल्टी-सीधी बात आपसे कहलवा दी। कोर्ट के फैसले के बाद खादी बोर्ड का फैसला क्या माने रखता है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका आरोप था कि बोर्ड ने विचार नहीं किया, इस पर मैंने बताया कि बोर्ड ने विचार करके यह निर्णय किया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : बोर्ड क्या एपेलेट कोर्ट है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दा साहब, इस तरह की जब बात होती है तो चुभती है, वह हम कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं।

Page No. 102

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) वे तो चले गये, आप भी जा रहे हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : मैं बनेड़ा नहीं जा रहा हूं, अभी फिर आऊंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर चुके क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे चले गये ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं बैठा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपसे क्या कहना है ?

मुझे 'दा साहब' से कहना है, कोर्ट यह कहता है :

"In the instant case it has been proved by the accused that the contents, the allegations in Exp. I had been verified from the person who was conducting the enquiry."

और इन्क्वायरी के बारे में डी. वाई. एस. पी. एन्टी-करप्शन ने रिपोर्ट की । मैं पूछना चाहता हूं कि कोर्ट का फैसला क्या इंगित करता है, एन्टी-करप्शन की जो फाइन्डिंग्ज़ आईं उन पर आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने दो दफा निवेदन किया कि एन्टी-करप्शन ने जो कुछ लिखा था डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में हरेक पोइन्ट पर श्री चिरंजीलाल को बरी किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्क्वायरी किसने की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने ।

श्री भैरोंसिंह : जो इस बोर्ड के मेम्बर हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने इन्क्वायरी की, जो इसके मेम्बर हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री भैरोंसिंह : फिर तो इन्क्वायरी चिरंजीलालजी से ही करवा लेते ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या कोई मेम्बर निष्पक्ष राय नहीं दे सकता ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह मानता हूं कि मेम्बर उसी इन्स्टीट्यूशन के सेक्रेटरी के खिलाफ नहीं जा सकता ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मानकर चलना गलत है कि सभी आदमी चोर और बेईमान हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एन्टी-करप्शन का डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्क्वायरी करे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और इन्क्वायरी के बाद जब वह दोषी साबित होता है तब भी गवर्नमेंट डिसीज़न ले कि खादी बोर्ड का मेम्बर इसकी इन्क्वायरी करे। बोर्ड का मेम्बर इन्क्वायरी नहीं कर सकता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेन्ट के पास आती है फिर गवर्नमेन्ट उसकी छानबीन करती है, डिपार्टमेन्ट छानबीन करता है, उनको सुनने का मौका देते हैं फिर फैसला करते हैं कि क्या एक्शन लिया जाय। वह रिपोर्ट आई, आप, जिसको आरोप कहते है, मैं आरोप नहीं कहता हूं। यह रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेन्ट को जरूरत नहीं पड़ी कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय। गवर्नमेन्ट के पास रिपोर्ट आई, उसकी छानबीन कराके नतीजा निकाला, हो सकता है कि आपको उससे संतोष नहीं हो, दूसरों को सन्तोष न हो...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें संतोष का सवाल नहीं है, दुनिया की किसी जुरिस्प्रुडेन्स में, दुनिया के किसी कानून में, राजस्थान की सर्विसेज़ के मैटर में आप यह उदाहरण नहीं दे सकते कि किसी आदमी के खिलाफ एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट ने रिपोर्ट दी, जुर्म साबित किया, उसकी इन्क्वायरी उसी बोर्ड के सेक्रेटरी के खिलाफ करें...........

श्री दिनेशराय डांगी : वह बोर्ड का मेम्बर ही नहीं है, डिपार्टमेन्ट का हैड भी है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह बोर्ड का मेम्बर भी डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी की हैसियत से है। उन्होंने इन्क्वायरी बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से नहीं की, बल्कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की हैसियत से की, जो फाइल पर मौजूद है, जबानी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो सदन के देखने की बात रह गई कि लीपापोती करने में ये कितने माहिर हैं। मेरे पास कोर्ट के जजमेन्ट के अलावा कुछ नहीं है। मैंने सेशन्स कोर्ट का जजमेन्ट बता दिया, हाई कोर्ट का जजमेन्ट बता दिया, नीचे का बता दिया। सारे जजमेन्ट्स के बाद 'दा साहब, ने जो फरमाया वह सदन के सामने है। मैं इतना ही कहता हूँ कि आपका यह रवैया ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।....

श्री भैरोंसिंह : 'दा साहब' चलने वाले नहीं हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात भी वही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रवैया 'दा साहब' का नहीं है, सरकार का है।

श्री सतीशचद्र अग्रवाल : आपका मतलब यह है कि सरकार नहीं चलने वाली है।

सभापति महोदया मैं समझता हूँ खादी बोर्ड, उसका घोटाला और उसमें होने वाली गड़बड़ियों की लम्बी-चौड़ी क्या है, जिसके बारे में माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि एक या दो दिन का समय केवल इसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिये नियुक्त किया जाय। मैं समझता हूं पान वाले की दूकान पर, होटल्स में, रेस्टोरेन्ट्स में और इधर–उधर कांग्रेसी मित्र मिल जाते हैं और लोग इस प्रकार कहते हैं कि खादी टोपी को देख कर जनता कहती है कि यह टोपी चोरों की निशानी है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस प्रकार से डिफेम करना गलत है, सदन की परम्परा के खिलाफ है। मैं बोलने वाले महानुभाव से अपील करूंगा कि इस प्रकार की बात न करें। मैं कहता हूं इस प्रकार की बात सुनते हैं तो लज्जा आती है। हम भी टट्टी जाते हैं तो लोग आपके लिये बात करते हैं, वह तो हम यह नहीं कहते....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं समझता हूं कि जितनी मेरी भावनाओं से ठेस पहुंची है, जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूं उससे भी ज्यादा शक्ति से आप बोलेंगे। मैं बाकी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, उप गृह मंत्रीजी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट, डिप्टी एस. पी. की रिपोर्ट मंगाकर देखें कि इसमें क्या हुआ है? बोर्ड के सेक्रेटरी के खिलाफ जांच का मामला बोर्ड के मेम्बर के पास भेजा गया है। अगर भेजना था तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास भेजना था। सेक्रेटरी के पास भेज कर आपने डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्यों करवाई? डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ होती हैं, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सेक्रेटरी के द्वारा नहीं होती है, और वह भी खास तौर से उस सेक्रेटरी के द्वारा जो उस बोर्ड का मेम्बर है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह क्वेश्चन है, बोर्ड का मसला है, यह इतना गम्भीर मसला है कि इस मसले पर विचार करना चाहिए और इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस सारे बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी तक इसको यह अधिकार नहीं था कि राज्य सरकार से कर्जा ले और यह भी अधिकार नहीं था कि छोटी-मोटी संस्थाओं को कर्जा दे। इसके अन्तर्गत राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, १६५८ के अन्डर में रजिस्टर्ड संस्थाओं को कर्जा देने का, सहायता देने का; अनुदान देने का अधिकार लिया है। मैं समझता हूं, यह गलत है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कानून बना हुआ है, उसके अनुसार कोऑपरेटिव विभाग का उन पर फिर भी कंट्रोल होता है। लेकिन राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी हुई संस्था होती हैं; जैसे ग्राम सुधार मंडल, जो आज बनती हैं और कल बिगड़ती हैं, ऐसी संस्था खड़ी होती हैं और गिरती हैं। ऐसी संस्थायें हैं, जैसे बयाना में सदन बना है। उसने कर्जा ले लिया, लेकिन न तो उस संस्था के नाम का वहां बोर्ड है, न उसके अधिकारी हैं, न दफ्तर है, न उनका कुछ पैसा जमा है और न उसकी कोई बिल्डिंग है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि इसमें क्या हुआ, क्यों यह वसूल नहीं हो सकता? यह सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी हुई ये ऐसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और संस्थाएं बन गईं। मैं समझता हूं ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने, कर्जा देने का कानूनी अधिकार बोर्ड को देना घोटालों और गड़बड़ियों का रास्ता चौड़ा कर देना है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर जनमत जानना चाहिए। इसको आप जनमत जानने के लिए भेजें और देखें कि जनता की क्या राय आती है। आप देखेंगे कि जनता के द्वारा इन लोगों की पोल खुलेगी और एक बवंडर खड़ा होगा कि किस तरह इनके द्वारा खराब तत्वों से हाथ मिलाया जाता है और किस तरह यह मजदूरों का गला काटते हैं। और किस तरह से मकान खड़े कर लिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करें और राजस्थान की जनता की राय जानें कि इन खादी की संस्थाओं के बारे में राजस्थान की जनता की क्या राय है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में पेश करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधर व्यास

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सभापति महोदया, मेरा नम्बर पहले था, आपको नम्बर दे दिया।

श्रीमती सभानेत्री : अब तो नम्बर से आयेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदया, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६४ के सम्बन्ध में अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि चूंकि हमारी योजना में आयोग के द्वारा खादी बोर्ड प्रतिष्ठानों को जो स्थान दिया गया है और जिस दृष्टिकोण से उसका विकास होना चाहिए, इन सारी बातों पर गम्भीरता से सोचते हैं और आयोग के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को देखते हैं और जो उसके द्वारा योजना निर्धारित की गई है उसको देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये उद्देश्य से बहुत दूर चली जा रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत इस प्रकार के कुछ संशोधन रखे गये हैं जिनके अन्तर्गत खादी बोर्ड और प्रतिष्ठानों को लोन के साथ साथ जो सहायता मिलती है, उसको खर्च करने की विशेष सुविधा हो और ऐसे नियम भी बनाने का प्रावधान रखा है कि उस रुपये को ठीक ढंग से आगे दे सकें। जहां तक देने का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जिस खादी शास्त्र को जिस दृष्टिकोण से १९२३ में प्रारम्भ किया, उसके बाद जिस प्रकार इसका प्रसार किया गया, उसमें जो मूलभूत बुनियादी बातें थीं, जिनके अन्तर्गत ही इसका विकास होना चाहिए था, मैं समझता हूं कि उससे हम बहुत दूर चले जा रहे हैं।

आज सबसे बड़ी बात हम खादी बोर्ड के अन्तर्गत देखते चले जा रहे हैं कि खादी बोर्ड के द्वारा बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है; जब कि इस खादी के विकास के लिए महात्मा गांधी का मूलभूत आधार था, जब गांधी वर्धा में ग्रामोद्योग के प्रतिष्ठान का झोंपड़ी में रह कर विकास कर रहे थे और

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनकी जितनी विकास की योजनाएं थीं उनका महलों में विकास होने का कोई विचार नहीं था। वे ग्रामीण तरीके से बहुत थोड़े खर्च के अन्दर विकास करते चले जा रहे थे। लेकिन आज हम अनुभव कर हैं कि खादी बोर्ड के द्वारा अधिकांश खर्चा महलों, भवनों के अन्दर लगता हुआ चला जा रहा है और आज इस प्रकार के आधार बना लिये जा रहें हैं कि इसके अन्दर अधिक से अधिक खर्चा करें। मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे गांधीनगर में ले लीजिये, आप चाहे जयपुर में ले लीजिए, आप चाहे बीकानेर में ले लीजिये, आप चाहे अन्य स्थानों में ले लीजिये–मैं चाहता हूं कि यह प्रणाली सब जगह है और इसलिए हमें इस प्रणाली को हर हालत में समाप्त करना चाहिए। नहीं तो, खादी प्रतिष्ठानों के बारे में जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, और जिसका अजमेर से आने वाले विरोध कर रहे थे, उसी प्रकार मैं स्वयं मानता हूं क्योंकि मैं खादी पहिनता हूं, इसलिए खादी की प्रतिष्ठा को जहां तक ऊंची करने का सवाल है, मैं मानता हूं, भले ही आप मानें या न मानें, इस खादी को उस जमाने के अन्दर, इस खादी को टोपी को और इन खादी के वस्त्रों को जो देश और मानव की सेवा के लिए त्याग, कुर्बानी का प्रतीक लोग मानते थे, वहां आज जब खादी के जो कपड़े पहिनते हैं और जो खादी पहिन कर जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ४२० नम्बर एक आ गया है। यह प्रतिष्ठा किसने बनाई है, किसने नहीं इसमें मैं नहीं जाता, और चाहे आप इस बात को छिपाने की कोशिश करें। लेकिन जिस प्रकार को महात्मा गांधी की खादी के अन्दर कुर्बानी की भावना थी, सेवा और त्याग की भावना थी उसके बारे में यह कहा जाता है। अब यह क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं, इसको किस प्रकार दूर करें, किस प्रकार नहीं–यह बात दूसरी है। मैं तो महात्मा गांधी की एक मात्र और बुनियादी बात पर जोर देना चाहूंगा। गांधीजी खादी को इस दृष्टिकोण से लेते थे कि खादी के अन्तर्गत जो काम करने वाले हैं उनका जीवन सादगी का हो, वे सादगी के साथ जीवन में रहें और खादी का विकास इस मूलभूत आधार पर करें। परन्तु आज उस तरीके से इसका विकास नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो कोर्ट के जजमेंट की बात आई उसमें जो चार्जेज़ लगाये गये, वे यह थे कि खादी में सूत की मिलावट है, खादी में मिल का सूत मिला कर बिक्री की गई और उसको मंत्री महोदय स्वीकार भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह बात....

श्री हरिभाऊ उपाध्यायः— माननीय सभापतिजी, मैंने कभी नहीं कहा है कि खादी में कहीं मिलावट नहीं हुई और साथ ही मैं नहीं कहता कि इसमें कहीं करप्शन नहीं हुआ है। लेकिन इससे जो इम्प्रेशन बनता है, आलोचनाओं से कि सभी संस्थायें इस प्रकार की हैं, यह सही नहीं है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि जो शिकायतें आई हैं उन पर कार्यवाही की गई है और जो अब आयेंगी उन पर हर एक में कार्यवाही की जायगी। मैं हर एक शिकायत के लिए और संस्था के लिए बता सकता हूं कि क्या क्या कार्यवाही की है। हो सकता है कि वह कार्यवाही आपकी दृष्टि में काफी नहीं हो और हमें लगा हो कि इस वक्त इतनी ही कार्यवाही करना जरूरी था। लेकिन कोई सदस्य ऐसा उदाहरण नहीं दे सकता कि कोई

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

शिकायत आई हो और हम कार्यवाही न कर सो गये हों ; ऐसी एक भी मिसाल नहीं दे सकते। ऐसी कोई बात होगी तो मैं कहने के लिए तैयार हूं कि हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) माननीय मंत्री ने चुनौती दी है कि कोई उदाहरण नहीं दे सकता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी शिकायत है कि जानकारी बोर्ड को मिली है और बोर्ड ने कार्यवाही नहीं की है—उसके लिए मैंने कहा।

श्री भैरोंसिंह : यही मतलब है कि कहीं पर गड़बड़ी नहीं है। मैं आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट बता दूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने मंजूर किया है कि संस्थाओं की शिकायत आई है, करप्शन की शिकायतें आई हैं, लेकिन उनमें छानबीन की गई है और संस्थाओं के खिलाफ जो कार्यवाही करना उपयुक्त पाया गया है वह की गई है। मैंने यह नहीं कहा है कि कहीं करप्शन नहीं है, कहीं खादी में सूत की मिलावट नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : दावे की बात जो आपने कही तो मैं आपको मिसाल दूं कि खादी संघ, शाहपुरा के आप अध्यक्ष थे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं नहीं था। ग्राम सेवा मण्डल का अध्यक्ष था। खादी संघ का अध्यक्ष नहीं था।

श्री मुरलीधर व्यास : और उसके अन्तर्गत एक लाख रुपये का घोटाला हुआ। और उसको बाद में लोस के रूप में बताया गया। एक भैरोंलाल व्यास....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सब पुरानी बात कह रहे हैं। इसके बहुत आगे निकल गये हैं। इसके अलावा एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उसके बाद बहुत तरक्की की है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : घोटालों के लिए एक कमेटी बैठी हुई है। उनका जिक्र करने से कोई लाभ नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह रहे थे ऐसा नहीं है, इसलिए कहा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे आपत्ति नहीं है। आप कहें, मैं सुनूंगा। मैं आपकी तो जरूर सुनूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप खादी के भक्त हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तो उसको भूरेलालजी बया ने रोक लिया और उसके बावजूद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि हो यह रहा है कि कहीं पर नुकसान हुआ उसको किसी प्रकार से राईट ऑफ किया जावे, उसके लिये पॉवर्स लिये जाते हैं। इससे हमको शक होता है कि ऐसी संस्थाओं में गड़बड़ियां हों तो इस प्रकार के पॉवर से मिसयूज़ आफ दी पॉवर ही होगा और किसी तरह का लाभ नहीं होगा ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि आज जिस नाम से पैसा लिया जाता है, उस पर नहीं लगाया जाता। आज बीकानेर में आप खुद मान लीजिये कि खादी बोर्ड के जैन साहब ने रुपया विकास के लिये लिया और उसको बिल्डिंग में लगाया। जिसको हमारे मुख्य मन्त्री खुद जानते हैं, ढेबर साहब खुद जानते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो पुरानी बात है। जिसकी आप बात करते हैं उसको हटना पड़ा है।

श्री मुरलीधर व्यास : पुरानी बात का प्रश्न नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो रुपया गांवों में कामों में आना चाहिये था उसको उस काम के लिये नहीं लगाकर बिल्डिंग बनाई और वहां पर चीफ मिनिस्टर जावे, ढेबर भाई जावें, खाना खावें, उन सबको यह बात मालूम हो और उस समय तक कोई एक्शन नहीं लिया जाय....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभापति महोदया, मैं कहता हूँ कि वहां पर गये तभी तो यह मालूम हुआ। जब मालूम हुआ तो फौरन एक्शन लिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : जो लाखों रुपये गांवों में लगने चाहियें, नहीं लग कर बिल्डिंग में लगा दें तो मैं यह समझूंगा कि यह एक बड़ा भारी राष्ट्रीय अपराध है। आप कहते हैं कि उसको हटा दिया, मैं कहूँगा कि उसको जेल के सीखचों में बन्द करना चाहिये था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे अभी जानकारी मिली है कि उससे रकम वसूल हो चुकी है, यह मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूँगा कि उसने उस रकम से काफी पैसा कमा लिया और फिर आपको दे दिया तो कौन सी बात हुई। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उसको सजा क्या मिली ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे पद से हटा दिये गये। इतनी कार्यवाही की गई। अगर हाउस यह चाहता है कि और कार्यवाही की जाए....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने रकम वसूल इसलिये की कि उसका दुरुपयोग किया गया था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां लगाना नहीं था वहां लगा लिये। लीगली तो कानूनी पकड़ में वे नहीं आता। मोरली उन्होंने अपने आप कहा या हमने कहा कि रुपया वापिस कर दो। लीगल केस तो जहां तक मैं समझता हूँ कि नहीं बन सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने माना है कि उन्होंने धन का मिसएप्रोप्रियेशन किया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्होंने किया वह अनुचित था, उनको नहीं करना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह : मिसएप्रोप्रियेशन लीगल था या नहीं ? आप आचार्य जी से पूछ लें। आपने कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी मुझे यह सूचना मिली है कि यह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : तो आपने कहा कि उचित था, वह गलत है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कमीशन में और भी कार्यवाही हो सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं खास करके माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस वजह से खींच रहा हूँ कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि गांवों में करोड़ों रुपये खर्च हों और गांवों में उत्पादन बढ़े और लोगों को काम मिले। लेकिन इस प्रकार से वह रुपया मकान में, ज्यादा तादाद में बिल्डिंग में लग रहे हैं। जहां तक आप इसको मकानों में रुपयों को लगाने और दुरुपयोग किया जा रहा है उसको ठीक नहीं करेंगे तो खादी का ग्रामों में उत्थान नहीं होगा और आपका मूल सिद्धांत ही नाकामयाब हो जावेगा।

आज भरतपुर में देखें तो मालूम होगा कि वहां पर जमीन खरीदी। किसानों से जमीन १६००) रु० या १६००) रु० में ली। पर्सनली ले ली और वह जमीन खादी बोर्ड को ६०००) रुपये में बेच दी। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको आप इस प्रकार पॉवर दें, तो यह उचित नहीं होगा। मैं ही जमीन लेने वाला हूं और मैं ही जमीन देने वाला हूँ। मैं उस जमीन को कम कीमत में खरीद कर ६०००) रु० में बेचकर मुनाफा ले लूं तो यह उचित नहीं होगा। तो यह इस प्रकार की मनोवृत्ति खादी में काम करने वालों में हो गई है।

महात्मा गांधी का उद्देश्य सेवा या त्याग का था। लेकिन आज खादी में काम करने वाले लोग व्यक्तिगत मुनाफा क्या उठा सकते हैं, उसके लिये काम करते हैं। इसको जब तक आप नहीं रोकेंगे तो इसका नतीजा हमेशा बुरा निकलने वाला है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह घोषणा करिये कि जितना कार्य होगा उसके लिये कोई भी बिल्डिंग नहीं होगी, छोटे-छोटे झोंपड़े बनाकर उनमें काम होगा। उन्हीं झोंपड़ों में बैठकर हमारे लोग दफ्तर का काम करेंगे। जब तक आप यह परिवर्तन नहीं करेंगे कोई लाभ नहीं होगा। आप तो महात्मा गांधी को देखते थे, सेवाग्राम की झोंपड़ी में बैठकर कितना काम करते थे। खादी का काम करते थे और दूसरा काम भी करते थे। क्या हम छोटे स्थानों पर बैठ कर काम नहीं कर सकते हैं? यह मनोवृत्ति आपको समाप्त करनी ही होगी।

दूसरी बात यह है कि आपको भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा. जो हो रहा है, हम खुद देखते हैं कि जहां पर खादी के बोर्ड हैं, उनमें, जैसा भैरोंसिंहजी कहते हैं, ऐसा दिखता है कि उनमें सब में हिसाबों में गड़बड़—घोटाले मिलते हैं। आप कहते हैं कि हम कार्यवाही करते हैं। उसके लिये तो आपको धन्यवाद है मगर जो कार्यवाही हम कर रहे हैं उससे ये गड़बड़ियां हैं, समाप्त नहीं हो सकती। गवर्नमेन्ट का डिपार्टमेन्ट है उसमें कोई आदमी गबन करता है तो उसको चार्ज शीट दी जाती है और बाद में सजा मिलती है, मगर आपका प्रोसीजर क्या है? एक फैसला एन्टी-करप्शन ने दे दिया और बोर्ड को भेज दिया, मगर बोर्ड ने अपना फैसला कर दिया कि हम

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार करते हैं। अच्छे आदमी हो सकते हैं जिनको बचाने का आप सोचते हैं और आप यह समझते हैं कि उससे हमारी भी बद नामी होगी। इसलिये जो उसके सदस्य हैं उसकी जांच करके रिपोर्ट तैयार करें मैं तो कहना नहीं चाहता, मगर पी. ए. सी. में भी इसी प्रकार होता है, मगर हम उसको न्यायसंगत नहीं समझते। चेयरमैन हमें प्रश्न पूछें, न्याय-संगत बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती। कमेटी के जो सदस्य हैं उनको जांच नहीं करनी कि वे सारे चार्जेज़ सम्बन्ध चाहिये बल्कि जुडिशियल ऑफिसरों को जांच करें। फिर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो हम सोचेंगे कि कुछ सुधार हो सकते हैं; अन्यथा हमारी यह मान्यता होगी कि कोई सुधार नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि खादी बोर्ड के जरिये काम चल रहा है, उसमें कितनी खादी पैदा होती है और कितनी खपत होती है, कितना जमा है और कितना वेस्टेज़ हो रहा है? मैं समझता हूँ कि यह भी ज्यादा हो रहा है और खादी बहुत ज्यादा तादाद में पड़ी रह जाती है। कमीशन की योजना थी कि ३५ परसेंट तक कमीशन देते थे अब ५ परसेंट तक रखा है, मेरी मान्यता है कि........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस एक्ट से इस सबका क्या ताल्लुक है? टाइम तो दूसरों को भी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : कल का समय भी रख दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : खादी के विकास से सम्बन्ध है, खादी से हम देश का विकास करना चाहते हैं। इस एक्ट की मंशा भी खादी का विकास करने की, सुधार करने की है, इसलिए मैं समझता हूं कि जो यह कहा जा रहा है वह बिल्कुल इसी से सम्बन्धित है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का हस्तक्षेप बिल्कुल अनुचित है।

श्री मुरलीधर व्यास : खादी पैदा करते हैं तो खादी पैदा करना भी बोर्ड का काम है और खादी की बिक्री करना भी बोर्ड का काम है। बिक्री नहीं हुई तो बोर्ड को नुकसान होगा और बोर्ड को नुकसान होगा तो राज्य को नुकसान होगा। आपने नया परिवर्तन किया है, उसका असर यह हुआ होगा कि खादी की बिक्री होती थी वह कम होगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी तक तो यह रिपोर्ट आई है कि नई योजना के फलस्वरूप बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं, कोई असर नहीं पड़ा है, पर मैं तो खुद देख कर आया हूं, मुझे बताया गया है कि नई योजना से खादी की बिक्री कम हुई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास सारे राजस्थान की रिपोर्ट है। एक-आध जगह यह हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस मिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि अगर नुकसान नहीं, है बिक्री बढ़ी है......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बढ़ने का मैंने नहीं कहा, कम नहीं हुई है अब तक तो।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर बिक्री बढ़ सकती है, प्रोत्साहन मिल सकता है तो ठीक।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर गांधीजी के शास्त्र के अनुसार खादी का विकास करना चाहिए। नये परिवर्तन हो रहे हैं इनसे खादी की बिक्री नहीं होगी बल्कि खादी ऐसी हो जायगी कि इसे कुछ रईसों ने पहन लिया। आप विभागों में कम्पल्सरी तौर पर खादी दे रहे हैं इसलिए बिक्री हो रही है। अगर सरकारी विभागों में खादी कम्पल्सरी नहीं रखें तो खादी की बिक्री नहीं हो। तो आपको इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जिससे कि खादी बनाने वालों को प्रोत्साहन मिले। ७–८ साल पहले बीकानेर में ऊन के बुनकरों को जो मजदूरी मिलती थी वही आज भी मिल रही है।

(कुछ क्षण विराम)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपके पांइन्ट पर ही बात कर रहा हूं। आपके ही पांइन्ट पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में ऊन के बुनकरों को आज से ८ साल पहले जो मजदूरी मिलती थी वही आज भी मिल रही है, जब कि सब चीजों पर इन ८ वर्षों में काफी दाम बढ़े हैं। आज आठ साल बाद इतनी महंगाई बढ़ जाने के उपरान्त भी ऊन के बुनकरों को वही ८ साल पहले वाली रेट्स मिल रही है। आपका शास्त्र यह है कि बुनकरों को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए पर आप कम्पेयर कर लीजिए कि ८ साल पहले क्या दे रहे थे ऊन के बुनकरों को और अब क्या दे रहे हैं? अगर उनकी रेट्स आपने बढ़ा दी हो तब तो आप कह सकते हैं कि आपने उनको लाभ पहुंचाया है। उनको लाभ पहुंचेगा तो खादी को भी प्रोत्साहन मिलेगा और अगर उन्हें लाभ नहीं मिलेगा तो खादी को भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकरों को ज्यादा लाभ मिले इस पर आपको विचार करना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, राजस्थान खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल पर यह बहस चल रही है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इन अमेंडमेंट्स के सिलसिले में सदन का ध्यान दिलाऊं। पहली बात जो इसमें अजीबो-गरीब है वह है इसका स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स। यह कानून ५५ में बना और ६४ में, ८ साल बाद, इसमें लिखा है :

"Other difficulties have been experienced in the administration of the Act."

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इनको जागने में कितना टाइम लगता है, इस बोर्ड कि एफिशियेन्सी का, इसमें काम करने वालों की एफिशियेन्सी का इससे पता चलता है कि उनकी नींद ८ साल बाद जगती है :

"The Board has no power to receive loans from the Khadi and Village Industries Commission or the Government. It has no power to accept grants, subventions, donations and gifts from the Commissiton. It cannot, for the purpose of effectively carrying out its functions under the Act, advance loans......"

लोन्स दिये हैं पर लोन्स की पॉवर्स नहीं दी तो पहला तो बोर्ड का नमूना यह है कि बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन ऐसा है कि बगैर प्रोवीज़न के, बिना पॉवर्स के आठ साल तक चलता रहा। अगर कानून को प्रतिष्ठा कायम करना है, डेमोक्रेसी को पनपना है तो मन माने तरीको से नहीं, कानून से चलना पड़ेगा। पर इस बोर्ड ने जो कुछ काम किया उसका अधिकार ही इस बोर्ड को नहीं था। यह ८ साल बाद पता चलता है। यह सरकार को और बोर्ड के चेयरमेन को कैसे पता चला कि इनको पॉवर्स नहीं हैं? पता चलने के बाद यहां ये ले आये।

अब मैं इन अमेंडमेंट्स पर आता हूं। पहला अमेंडमेंट है, १४ मेम्बर्स होते थे उनको १६ कर दिया जाय, दो और सरकारी नुमायन्दे बनाये जायं। जिस काम को १४ आदमी ठीक नहीं कर सके उसी काम को अब १६ आदमी ठीक कर सकेंगे, यह कौन से ज्योतिषी से पूछा है। १६ ही क्यों २६ क्यों नहीं रखे? इसके पीछे क्या लोजिक है? यह भी कोई तरीका है, दो आदमी आपकी निगाह में होंगे, १४ के १६ करवा लेते हैं, हमारे घर की बात है....

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : हमारी निगाह तो किसी एम. एल. ए. के ऊपर ही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या कहा आपने, मैंने सुना नहीं।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं यह कह रहा हूँ कि हमारी निगाह तो एम० एल० ए० के ऊपर ही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी निगाह एम. एल. एज़ को लेने की है। हमारे मिनिस्टर बोर्ड के चैअरमेन हैं, दो एम.एल.ज़. को लेने से वे ठीक नहीं हो सकते। एक मिनिस्टर बोर्ड को ठीक नहीं कर सका तो दो एम.एल.एज़. क्या कर सकेंगे? यह कोई जस्टिफिकेशन नही हैं।

(३.५८ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दिनेशराय डांगी : कम से कम अच्छी राय तो मिल सकेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : राय कोई अहलाम नहीं है। इस टेम्प्टिंग के लिये तो धन्यवाद, पर मैं इसमें आने वाला नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हूँ, आप लेना चाहेंगे तो भी आने वाला नहीं हूँ।

एक इसमें रखा है फाइनेन्शियल एड्वाइज़र रखने का। मैं समझता हूँ, यह अच्छा प्रोवीज़न है। कमिशन उसको तनख्वाह देगा। यह बात सही है कि नहीं था पैसा तो फाइनेन्शियल एड्वाइज़र नहीं रखा, अब रख रहे हैं। यह प्रोवीज़न ठीक है। पर इसमें पीछे की तरफ लिखा है :

"...perform such duties as may be prescribed..."

(४.०० म० प०)

वह एडवाइज़र फाइनेन्शियल रूल्स से गाइड हो। आगे लिखा है कि "...or as may be delegated to him by the Board or the Chairman."

यह जो कन्डीशन लगाई है वह गलत है। एडवाइज़र का मतलब यह नहीं है कि जब तक आप पॉवर्स नहीं देते हैं :

"perform such duties as may be prescribed... .."

"or as may be delegated to him by the Board or the Chairman-'

इसके माने साफ हैं तो फिर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है ? एक अकाउंट वाले आदमी को गुलाम बनाना, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है मैं नहीं समझता। अगर पैसा खर्च करना है, तो यह हो :

"as may be prescrided by the Government" अकाउंट्स का जो काम है वह एक तरीके से होता है। जो अकाउंट्स का जानने वाला होगा उसको कोई हिम्मत नहीं कि चेयरमैन और बोर्ड की कोई बात न माने।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। खादी का आजादी की स्ट्रगल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि आजादी की नींव खादी थी। यह हमारी आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतीक बनकर गरीब के घर से, सेवा की भावना से पूज्य महात्मा गांधी ने खोली थी और मैं याद दिलाना चाहता हूं श्री दा साहब को कि अगर खादी के अंदर कहीं भी गड़बड़ होती थी तो चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, गांधीजी ने कभी उस संस्था के साथ रहम नहीं किया और जयपुर की संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो सेवा संघ से रिकग्नाइज़्ड थी, उसको भी उस जमाने में कांग्रेस द्वारा निकाल कर फेंक दिया गया था, यहां भी निकाल दीजिए, कोई परवाह नहीं जिस खादी ने आजादी दिलाई, उसके लिए तेजी आनी चाहिए। इस तरह की स्प्रिट पैदा होनी चाहिए कि किसी भी तरह की इम्मोरेलिटी को बर्दाश्त नहीं किया जायगा। अगर इसमें सरकारी ठेका हो तो कांग्रेस से कहेंगे कि सरकार को निकाल दो, खादी कोई एक्सचेंज का तरीका नहीं थी। खादी गरीबी से लड़ने का तरीका थी, हमें गरीबी से लड़ना चाहिए, हमारा सहारा खादी है।

एक गुजारिश और अदब के साथ करना चाहता हूं। आप जो जवाब दें उसमें कोई

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नैतिकता होनी चाहिए। सही बात को सही मानना चाहिए और गलत को गलत।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने माननीय सदस्य की नीयत पर कभी शक नहीं किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने सुना नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं कह रहा हूं कि खादी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उस बारे में आज तक कोई संदेह नहीं हुआ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज कर रहा था इस सिलसिले में कि जो ढेबर भाई चेयरमैन हैं उसकी स्प्रिट को समझते हैं और हरिभाऊजी भी समझते हैं, लेकिन इसके साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपये आम जनता से वसूल करके उस रुपये से खादी का काम चलाया जाता है, वह रुपया कहां से आता है? जो गरीब मिल की धोती पहनता है उस पर बोझ पड़ता है। इस मामले में पवित्रता होनी चाहिए। किसान जो धोतियां खरीदता है उस खादी के नाम पर जो हमको दान किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, इसके अन्दर पवित्रता होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस बोर्ड के जरिए केवल इतनी जिम्मेदारी ली थी कि इसका जो एडिमिस्ट्रेटिव खर्चा है वह हम उठा लेंगे, लेकिन इसके जरिए राज्य सरकार भी पैसा देने का रास्ता खोजती है, जिसके पास खादी के लिए कोई आमद नहीं है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मिल्स पर एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है। आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है वहां सरकार भी उसको सबसिडी देती है, मैं समझता हूं कि यह गलत है। अब तक फंक्शन्स में नहीं था। इसमें साफ लिखा है:

"receive loans from the State Government or the Commission, for all or any of the purposes of this Act." यह आज तक नहीं था। यह ऑल इंडिया पॉलिसी है, राजस्थान सरकार को पैसे के लिए बांधना, इस लेजिस्लेचर को बांधना, इससे पैसे का रास्ता खोलना, मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। जिन परिस्थितियों....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिबेट राजस्थान में ही नहीं दिया जाता है, बल्कि सारे भारतवर्ष में दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है वह कमीशन से आता है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माइक को ठीक कराइए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा था कि जिस रिबेट का जिक्र माननीय सदस्य ने किया वह सारे भारत में, सारे राज्यों में दिया जाता है। अब रिबेट देना चाहिए या नहीं, यह अलग प्रश्न है। दूसरी बात है कि जितना रुपया खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में इन्वेस्ट किया जाता है वह कमीशन से आता है, राजस्थान सरकार से वह रुपया नहीं आता है। राज्य सरकार से बोर्ड के संचालन के लिए जितना कुछ खर्चा होता है वह और रिबेट जो कुछ दिया जाता है उतना ही राज्य सरकार से लिया जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दो आदमी दूर दूर जा रहे थे। एक ने कहा, "जय रामजी की"। दूसरे ने समझा, पूछता है कि क्या लाये हो। उसने जवाब दिया कि बैंगन लाया हूँ। फिर उसने पूछा कि बाल बच्चे तो टीक हैं; उसने जवाब दिया कि इन बैंगनों का भड़ीता बना कर खाऊंगा। मैंने जो कुछ कहा उस बारे में क्या जवाब है आपका ? आप अमेन्डमेंट लाते हैं :

"has no power to accept grants, subventions, donations and gift from the State Government or the Commission or a local authority or any private body, whether incorporated or not, or any individual, "

जो आपने इसका स्कोप बढ़ाया है पर एतराज नहीं, लेकिन एतराज यह है कि स्टेट गवर्नमेंट पर जरा रहम करें।

यह जो आपने इसका स्कोप बढ़ाया है उस पर एतराज नहीं, लेकिन एतराज यह है कि स्टेट गवर्नमेंट पर जरा रहम करें। पहले ही बहुत मेहरबानी हो रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भले ही इसको बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन यह गरीब राजस्थान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि १ करोड़ के यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट ए. जी. से प्राप्त न कर सके हों। खादी के नाम पर आप रहम करिये, भगवान के नाम पर आप रहम करिये। इसको स्टेट क्वेश्चन में मत इन्क्लूड कराइये। आप स्कोप बढ़ाना चाहते हैं उसको खत्म करिये, इसकी जरूरत नहीं है।

खैर। मैं इसके आगे और आता हूं। यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, उपाध्यक्ष महोदय। सदन के माननीय सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। आज कांग्रेस का डेमोक्रेटिक सोशियलाइज़ेशन का नारा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने दो पेटर्न क्यों चला रखे है ? एक स्टेट में दो पेटर्न क्यों ? जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का सरकार नारा देती है, कांग्रेस का यह नारा है, तो फिर इसके अलावा यह दूसरा स्टेट पेटर्न क्यों अपना रखा है ? हर फैमिली कोऑपरेटिव में शामिल हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खादी के माने में क्या दिक्कत आती है ? इस पार्ट (बी) है इसमें लिखा है।

"Co-operative Societies Act, 1953,

Rajasthan Societies Registration Act, 1958,"

यह रजिस्ट्रेशन क्या है ? इसे आपको समझ लेना चाहिये। पचास रुपया देकर एक आदमी रजिस्ट्रेशन करा लाया और कागजी काम करता रहा। आगे कोई देखने वाला नहीं है कि वास्तविक रूप में क्या है। जितनी रजिस्टर्ड संस्थायें हैं उनका यह पेशा बना हुआ है कि उनके नाम पर पैसा लगाया जाता है और उन पर कर्जा डाल दिया जाता है। उनमें से ऑफिस बियरर्स से होते हैं या बड़े आदमी होते हैं वे उनमें से निकल जाते हैं, अनइम्पोर्टेन्ट आदमियों के हाथों में देकर। उसके बाद स्थिति यह होती है कि कर्जा जो सरकार या जनता का होता है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। मैं आपको जताना चाहता हूं कि आपके यहां सोसाइटीज़ क्या हैं ? सोसाइटीज़ को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपके यहां सबसे ज्यादा प्रिफरेन्स मिलता हैं। एक एक आदमी उस पर बैठा हुआ है। कोई सोसाइटी दा साहब की, कोई पंतजी की, कोई चिरंजीलालजी की, कोई रामेश्वरजी की छत्र-छाया में चलती है। ये जितने महन्त हैं उनकी छत्र-छाया में सोसाइटीज चलती हैं। जब आप सोशियलिस्टिक पेटर्न डेमोक्रेसी के जरिये कायम करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव्ज़ बनाने में आपको क्या एतराज हैं ? कौनसा कारण है ? उसके बाद मसला आता है कि आपकी इन सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय एक हजार से ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चल रही हैं जब कि संस्थायें ६० से अधिक नहीं हैं। सरकार का यह निश्चित रूप से मत है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा दिया जाय। जो भी नयी सोसाइटी बनाई जाती है वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं और आज १ हजार से अधिक इनकी संख्या है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको फिगर्स से सुनाता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना मिलता है और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स को कितना मिलता है ६१ लाख ५०, ८५७) रु० संस्थाओं को दिया गया, जब कि ५२ लाख ५२ हजार रुपया कोऑपरेटिव्ज़ को दिया गया। सवाल यह है कि आपने दो हजार बता दीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक हजार से ऊपर, दो हजार नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'सीताराम' नहीं 'तोताराम' बताया; वह मेरी समझ में आ गया। एक हजार सोसाइटीज़ होते हुए भी ५२ लाख दिया। वहां आपने ६१ लाख ५० हजार।........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोऑपरेटिव्ज़ तो अभी अभी बनने लगी हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : भगवान् के लिए, खुदा के लिए, राजस्थान को कम से कम माफ करिये। यह कोई तरीका है। आपके यहां सैक्रेटरी बिल्डिंग खरीदता है वह अपने नाम से लिखता है। वह लिखता क्या है ? फलां साहब सेक्रेटरी मंडल। इसका मतलब उस आदमी की जायदाद हो गई। कानूनी आदमियों से आप जांच करा लीजिये कि कानूनी दृष्टि से यह उनकी जायदाद हो गई या नहीं। नकल है मेरे पास, आपके सामने पेश कर देता हूं। इन सोसाइटीज की कभी मीटिंग्ज़ नहीं होतीं। आपकी सोसाइटी को ले लें। आप प्रेसीडेन्ट रहे, सेक्रेटरी से हटे कोई मीटिंग नहीं हुई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कई मीटिंग्ज़ हुईं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छा। माफ करिये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी आसन पर नहीं हैं और यहां होते तो मैं उनको पूछ सकता था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निश्चित रूप से जानकारी के आधार पर कहता हूं कि मैंने कई मीटिंग्ज़ अटेन्ड की है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दा साहब, न्याय की बात कीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : न्याय की बात ही कह रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके बाद जो साहब बने निश्चित रूप से प्रूव कर सकता हूं कि सूत ब्यावर मिल से लाकर मिलाया गया। उसकी शिकायत हुई। उसके बाद यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि यह बात हुई है। फिर हटाया गया, फिर सेक्रेटरी बना दिया। ढेबरभाई को धन्यवाद देता हूं। आखिरी लेटर आपके पास है। ट्रस्टी नहीं रह सकते, उस सोसाइटी में नहीं रह सकते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने तो कहा कि मीटिंग्ज़ नहीं हुईं। मैंने कहा कि मीटिंग्ज़ हुई हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय खुद इसके जानकार हैं। वे आवें तो हां करवा लूंगा। कोई तो आप अपनी गलती मान लें। उपाध्यक्ष महोदय की इतनी बड़ी कुर्सी है कभी का डांट दिया होता यदि मैं गलत कहता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मीटिंग्ज़ हुई हैं, इसकी गवाही तो उपाध्यक्ष महोदय भी देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दूसरा पॉइन्ट उठाया, जानबूझ कर छोड़ा, मैं उस पर नहीं आना चाहता हूं। यह सही है, ट्रस्ट में भी नहीं रखा है। एक लड़का है उसने कहा कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं। बोले, तू चपरासी के काबिल नहीं है तो क्या हुआ, डाइरेक्टर के लिए एप्लाई कर दे, मैं 'हां' कर देता हूं। इस तरह की मिसालें आपके सामने हैं। राजस्थान के बोर्ड पूरे के पूरे खादी की पवित्रता के नाम पर हमारे मन में शुबहा पैदा करते हैं कि हम खादी ले रहे हैं उसमें मिल का सूत तो मिला हुआ नहीं है। पैसा देते हुए हमारा दिल दुखता है। जिसने खादी पर इतना बड़ा हमला किया हो उसको बोर्ड का मेम्बर बना रखा है। कौनसा कारण है? कैसे उनके बगैर काम नहीं चल सकता? आज सेक्रेटरी नहीं रह सकता जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला हो....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सेक्रेटरी का हाथ नहीं था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सब पूछते जाइये, सब बता दूंगा। मैंने एक मिसाल दी। खादीवाला के ऊपर जो फैसले की बात थी वह आपने गलत कही क्योंकि कन्सर्न्ड सेक्रेटरी नहीं था, मैं बड़ी अदब से कहना चाहता हूं कि खादीवाला के ऊपर हाईकोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किये थे वे उन पर एज़ प्रेसीडेन्ट अफ मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी पास नहीं किये थे किन्तु रिसेप्शन कमेटी के चेयरमेन होने के कारण थे। कामराज कह सकते थे कि वह सोसाइटी तो खत्म हो गयी। उसका कोई मतलब नहीं। आप प्रेसीडेन्ट बने बैठे हैं। नैतिकता की बात है।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कांग्रेस में आप इतने दिन से हैं। आपको इस प्रकार का जवाब शोभा नहीं देता कि आप जो इसमें बगलबन्दी झांकें और दूसरी शंकाएं करें। आपके ये सारे तरीके रहे हैं। आज मैं कहता हूं चिरन्जीलाल किस हैसियत में थे यह हम सब जानते हैं। वह साथ में बिठाने काबिल नहीं हैं आदमी। वह आदमी कभी अपनी जगह बिठाया नहीं जा सकता। वह हमारी जात में नहीं बैठ सकता जिसने खादी की इतनी बड़ी बदनामी की है।

इस सरकार और कांग्रेस ने खादी के लिये बहुत कुर्बानियां की हैं। उस खादी को अशुद्ध करने वाला पापी है और उन पापियों को, करप्शन करने वालों के हाथ में, फिर उस खादी का काम देना, मैं कहता हूं उस की तरह है जो बच्चे को पालता है, पोसता है और उसे जहर पिला देता है। दूसरे मुल्कों में ऐसे काम करने वाले को मौत की, फांसी की सजा दी जाती है। खादी में जिसने २५-२५ वर्षों तक काम किया है, खादी पहनी है उसमें एक सूत भी मिल का मिला देना बहुत बड़ा अपराध है। उसे कभी नहीं बक्सा जाना चाहिये। खु़श्चेव, आखिर वहां भी हमने देखा, गद्दारी करे तो उसको भी फांसी की सजा होती है। आप कहते हैं उसकी वहां हैसियत अलग थी। वहां हैसियत अलग थी और जो कहना चाहते हैं ये लोग साथ बिठाने का दावा करते हैं, मैं कहता हूं यह आदमी राजस्थान के दो करोड़ लोगों में ईमानदार नहीं रहा। गरीबों की तरफ से उनको मदद देने के लिये खादी पैदा करते हैं। आप फिर उनकी कोआॅपरेटिव बना दीजिये। सर्वोदय का भी यह रास्ता है, आप सर्वोदय की बहुत बातें करते हैं, दा साहब! सर्वोदय का रास्ता भी कोआॅपरेटिव से है, आप उनकी कोआॅपरेटिव बनाकर सर्वोदय का रास्ता खोल दीजिये उनके लिये। आप डिक्लेयर करिये कि जो खादी में, खादी सोसाइटियों में दो साल काम कर चुका है वह इसका मेम्बर हो सकेगा और डेमोक्रेसी का आपका दावा है तो यहीं से यह डिक्लेयर करिये कि आपकी मातहत चलने वाली चेरिटेबल सोसाइटियों में दो साल जिसने सेवा की है खादी की, वे सब मेम्बर हो जावें। फिर इलेक्शन करवाइये। आपको मैं इन्क्लूड नहीं करता हूँ उनमें जिन्होंने बेईमानियां की हैं। पर यह भी मैं आपको कहता हूं कि जिन्होंने बेईमानी की है उनको बराबरी का हक न दें। जिन्होंने ब्लैक मनी कमाया है उनके मुंह पर थूक दें। लोग सब जानते हैं उस आदमी को। आप मेम्बर इस तरह से उन लोगों को सोसाइटियों में, जिन्होंने दो साल काम किया है, डिक्लेयर कर दीजिये। पोल जो कुछ है वह सब खुल जावेगी। आपके अन्दर मोरल करेज है या नहीं, यह भी मालूम हो जावेगा। आप में मोरेल करेज है नहीं, आप ऐसा करेंगे नहीं। सब जगह पानी मरता है। इस तरह की ब्लेक मनी कमाने वाली छः, सात संस्थाएं हैं। आपको दा साहब, गांधीजी के नाम पर अपील करता हूं, आप इन संस्थाओं की तरफ से यह डिक्लेयर करिये कि जो दो साल से इनमें काम कर रहे रहे हैं वे सब मेम्बर होंगे कोआॅपरेटिव सोसाइटियों के और आप कोआॅपरेटिव सोसाइटियों को यह काम दे देंगे।

सैंकड़ों किसान हैं, जो चार आना मेम्बर हैं कांग्रेस के। कांग्रेस में बोट देने का उनको

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हक होता है। तो उन संस्थाओं में जिन्होंने काम किया है खादी के लिये, जिन्होंने खून पसीना एक किया है, मेहनत की है उस काम को खड़ा किया है, पाला है, पोसा है, उसको आप हक देने को तैयार रहें। कोऑपरेटिव नहीं बनाते तो मैं दावा करता हूं कि सरकार यह डिक्लेयर करे कि जो दो साल से नौकर हैं उनको मेम्बर डिक्लेयर करते हैं। आप उन सब, छः सात संस्थाओं को बन्द कर दीजिये। उन सब की कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना दीजिये। आप इन संस्थाओं को इस रूप में अच्छी तरह नहीं चला सकते। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। आज कोऑपरेटिव का सरकार का भी नारा है। आपने पवित्र ऐलान किया है कि देश में सोशियलिज्म लावेंगे, हर पहलू में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को प्रोत्साहन देंगे। मैं नहीं मानता कि इन छः-सात संस्थाओं को इस तरह बनाये रखने में कोई लाभ है। और इन छः-सात संस्थाओं में ईमानदार हों, दयानतदार हों तो उन सब चीजों को लेकर कोऑपरेटिव में क्यों नहीं परिणत करते? मैं जानना चाहता हूं। बड़े बड़े लोगों से जानना चाहूंगा; आप बतलावें कि सरकार कोऑपरेटिव्ज को प्रिफरेन्स देती है या नहीं? इन छः सात संस्थाओं द्वारा, जो इनका नाक के नीचे कुराई हो रही है और खादी में मिल का सूत मिलाया जाता है जो हमारे जीवन की आस्था को लगातार बरबाद करते जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लगातार ग्रस्त होते जा रहे हैं तो उन ब्लैक मनी वालों को दूर करने के लिये, गरीबी को दूर करने के लिये आप इसे कोऑपरेटिव में बदल दें।

ब्लेक मनी है क्या? ब्लेक मनी वह है जो ईज़ीली पोकेट में चला जाता है। यह सबसिडी और दूसरी चीजें जो सरकार देती है वह ब्लेक मनी के रूप में इन कीजेवों में इक्टठा हो रहा है और इस खादी को पैदा करने वाले सारे मजदूर तबाह हैं। आज सोशियलिस्टिक सोसाइटी में केवल इन्डिविजुअल को ब्लेक मनी इक्टठा करते रहने की छूट नहीं दी जा सकती। गरीब को भी हक मिलना चाहिये। तो आप इन संस्थाओं को इन इन्डिविजुअल ठेकेदारों के हाथों से निकाल कर कोऑपरेटिव में परिणत कर दें। यह सरकार के हाथ में है; सरकार यह कर सकती है। इनको कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बदलकर रजिस्टर कर सकती है और ये गड़बड़ी करें तो रजिस्ट्रार उनको देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। जो चेरिटेबल सोसाइटियां है, एक सोसाइटी और बना लेते है उसके नाम पर उसको बेच देते हैं और उस सोसाइटी पर कर्जा निकाल देते है। कर्जा निकालदेनेपर कोई उससे पैसामांग नहींसकता। जिसके हाथ में पैसा आ गया वही खा गया।

लोकवाणी है आज। उस पर कर्जा ज्यादा दिखा रखा है। लोकवाणी आज एक चेरिटेबल सोसाइटी के रूप में है, कर्जा कर लिया और नौकरों को तन्ख्वाह नहीं देती आज। कहती है कुछ नहीं है हमारे पास। इस तरह के मसले एक नहीं इन करीब करीब सारी संस्थाओं में है। इनकी ऑडिट रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि आपका पैसा जो इनको दिया हुआ है वह सब डूबा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन उसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि आप यह बतलाने की कोशिश करें, आप इनको निकालना चाहते हैं या नहीं? आप

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसके अन्दर खादी की स्प्रिट से काम करना चाहते हैं या नहीं ? ये सारे जिस भ्रम में पड़ गये हैं, उसमें आप भी पड़ गये हैं, ऐसा तो नहीं। आपकी स्प्रिट क्या है ? आप कहते हैं हम तो इसको ठीक करना चाहते हैं, कमेटी बना देना चाहते हैं और कमेटी में भी क्या ? आप भैरोंसिंहजी को लेंगे, बड़े खादी वाले हैं वे ? ये लोग मेम्बर हो सकते हैं, हमारा हक नहीं। जो आप की आंखों के सामने बैठे हैं और जिन्होंने जीवन भर खादी पहनी है, खादी के लिये कुर्बानियां की हैं। आप कहते हैं अपोज़ीशन को लाना चाहते हैं। ठीक है। सिद्धांत की बात अलग है। आप लाइये, हमें ऐतराज नहीं। और ये टीका-टिप्पणी करते हैं, बदनाम करते हैं तो करें, परवाह नहीं। काले कोट पहनकर बैठे हैं। चालाकियों का नोटिफिकेशन आप मत करो। साल डेढ़ साल हो गया एजूकेशन की रिपोर्ट आ गई। यह चेन्ज आप लावें, जिसके अन्दर आप ईमानदारी से काम करें। पर आप तो सब पर हाथ फेर देना चाहते हैं।

मैं आज कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने, आपके डिपार्टमेन्ट ने एक ५४ पेज की रिपोर्ट पेश की थी। १॥ साल मुतवातिर मेहनत करने के बाद वे इस रिपोर्ट को तैयार कर पाये एन्टी करप्शन विभाग वाले। वह रिपोर्ट मेरे भी हाथ लगी। मैंने देखा है ..दा साहब उसे। आप कहें तो मैं आपको उसका जिक्र सुना सकता हूं। वह रिपोर्ट वाली फाइल गई आपके पास कि हमको इजाजत हो कि हम उनका चालान करें। तो आपके पास सेक्रेटरी खादी बोर्ड के पास आई फाइल। सेक्रेटरी ने लिखा कि इस बोर्ड की इसको जांच करनी चाहिये। आपने लिखा.................

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के बोलने के लिये खड़े होने पर) आप सुन लीजिये मेरी बात। आपके दस्तखत भी आ रहे हैं। मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूं। एन्टी-करप्शन विभाग की वह फाइल आपके पास आई। ए. के. राय साहब ने लिखा कि मिनिस्टर साहब को बोर्ड की इन्क्वायरी करनी चाहिये। आपने उसमें लिखा कि नहीं, चेयरमेन बोर्ड के पास यह फाइल जानी चाहिये, वह इन्क्वायरी करालें। अब चेयरमेन भी आप ही हैं। अपने ही दस्तखतों से अपने ही लिये लिखते हैं कि वे जांच करालें। लिखा यह उस पर कि बोर्ड के चेयरमेन के पास भेज दी जावे यह फाइल। चेयरमेन की हैसियत से आपने उस पर लिख दिया कि ए० के० राय इन्क्वायरी करालें। जो पैपर डेढ़ साल की मेहनत के बाद एन्टी करप्शन विभाग ने इक्ट्ठे किये थे उनको राय साहब ने देखना मुनासिब नहीं समझा और ए० के० राय ने लिख दिया कि चार्ज नहीं बनता। इसको आप इन्क्वायरी कहते हैं ? दावा किया जाता है कि यह सरकार जब पुलिस की इन्क्वायरी करा लेती है तो उस पर चलती है। डेढ़, पौने दो साल तक इन्क्वायरी की, होम मिनिस्टरी का पैसा खर्च हुआ। ५४ पेज का पोथा बना। पर हाथ फेर देते हैं एक मिनिस्टर उस पोथे पर। काला कोट पहने बैठे हैं। वे चुप हैं इस मसले पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : काला कोट और सफेद कोट जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कहें, पर मुझसे अगर आप कुछ कहलवाना चाहते हैं और

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मेरे एस्पर्शन्स इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो kindly give previous notice of this.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोट तो मुझे कुछ आज नया लगा, इसलिये कह दिया। आपका पुलिस विभाग डेढ़, पौने दो साल कोशिश करता है, हजारों रुपया खर्च होता है और काफी समय लगता है, एनर्जी लगती है और मिनिस्टर लोग उस पर हाथ साफ कर देते हैं। आपको तो चाहिये कि उनके लिये हथकड़ी बनाकर भिजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : Black coat ? Which is that ? Is he referring to you ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is not only referring my black coat which is seen everywhere, but he is is blaming my designation also.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : My submission is, Sir, that his Department, Police Depatment took one or one and a half years, exerted collected all papers and asked for the permission and that permission was asked from the Minister concerned और वह मिनिस्टर भी खुद ही हैं और अध्यक्ष भी खुद ही हैं और फिर सेक्रेटरी को दे दी और सेक्रेटरी ने १॥ साल की मेहनत, जो एन्टी-करप्शन विभाग ने २० हजार रुपये खर्च करके इकट्ठी की, उस पर बिना इन्क्वायरी के लिख दिया कि कोई केस नहीं बनता। क्या आप यह १॥ साल पहले नहीं कर सकते थे कि इसमें कुछ नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी इन्टेलीजेन्स के ऊपर कोई डिपार्टमेंट है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्यों आप ने १॥ साल का समय खराब किया ? हाईकोर्ट में स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि नहीं यह व्यक्तिगत नहीं थे, किसी और केपेसिटी में थे। मैं कहता हूं कि नैतिकता के ऊपर खादी का काम नहीं चलता। इसके ऊपर कांग्रेस की नीयत और बदनीयत का सवाल है। आज दास कमीशन ने क्यों कहा कैरों के लिए कि एक डाक्टर को ले गये। आज कैरों का क्या हो रहा है ? यहां पर एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट १॥ साल कोशिश करके ५२ पेज की रिपोर्ट बनाता है और मिनिस्टर साहब कह दें कि यों कर दो और डिपार्टमेंट कह दे कि कुछ नहीं है, कोई केस नहीं बनता ! उसकी रिपोर्ट के ऊपर नुक्ताचीनी करके करप्शन को रोका जाय, यह डाक्टर से भी ज्यादा खराब चीज है, मिसयूज ऑफ पॉवर्स है। मैं दावे के साथ चार्ज लगाता हूं कि यह मिस-यूज ऑफ पॉवर्स है। जब कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने जांच की और उसको पूरी तरह से छानकर कह दिया कि हम केस चलायेंगे और जो लोग कानून को समझें नहीं वह कह दें कि कोई केस ही नहीं बनता। तो मैं इस नैतिकता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप प्ली लेना चाहते हैं कि कोई हाईकोर्ट ने डाइरेक्ट डाइरेक्टर चिरंजीलाल शर्मा के लिए नहीं कहा। बल्कि मैं कहता हूं कि उसमें अगर आप सोचें तो आपको कहा है। आप क्या प्रायश्चित करना चाहते हैं ? आज करप्शन इस तरह से बढ़ रहा है तो कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं कि जो हृदय परिवर्तन के लिए आजन्म भूख

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

हड़ताल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाड़दार।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मेरा रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। खादी और ग्रामोद्योग का लक्ष्य हमारे देश की गरीबी और बेकारी मिटा कर गांव गांव में उद्योग धंधे पनपाने के साथ सम्बन्धित है। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने खादी की दुर्दशा के बारे में आज सदन का ध्यान आकर्षित किया वास्तव में यह एक विचारणीय विषय है ....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में बोलें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम पड़ता है कि वास्तव में यह खादी गरीब कार्यकर्ताओं का पहिनने का कपड़ा न रह कर आज बड़े बड़े उद्योगपतियों का और अधिकारियों का पहिनने का कपड़ा रह गया है और इसी प्रकार से जो भावना खादी के साथ थी कि हम 'सादा जीवन उच्च विचार' में रहकर ज़्यादा से ज्यादा इस खादी को गांव गांव में पहुंचायें जिससे गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिले 'लेकिन आज आप गांवों में जाकर देखें कि वहां पर यह काम नहीं हो रहा है। आज खादी के बुनने वाले मजदूर भूखों मर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। बल्कि आज हालत यह हो रही है कि मैं राजस्थान खादी संघ के मजदूरों से मिला हूं वे भी हड़ताल करने की धमकी देते हैं। यह हालत हमारी आज खादी की हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से ग्रामोद्योग के बारे में, जिसमें कई उद्योग धंधे शामिल किये गये हैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा लक्ष्य था कि हम गांव गांव में जितने भी तेली होते हैं वे तिल्ली पेलें और आधुनिक घानियां लगायें और विशुद्ध तेल आम लोगों को मिले, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग इसमें आज कार्य कर रहे हैं और अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर सरकार से पैसा ले लिया है और उससे धन्धे को प्रोत्साहन नहीं मिला है। इसी तरह से साबुन के धंधे को ले लें। यह भी ऐसे ही लोगों का धंधा रह गया है कि जो अपनी सहकारी समितियां बनाते हैं और अनुदान लेकर फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से कुम्हारों को ले लें, गांव गांव में ये लोग लोग मिलेंगे लेकिन जो प्रोत्साहन उनको मिलना चाहिये वह नहीं है। यही चर्म उद्योग की हालत है और ग्रामोद्योग की जिस तरह से तरक्की करनी चाहिए आज हमारा बोर्ड इस बारे में बिलकुल ही निराशाजनक रहा है और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वह तो सदन के सामने ही हैं। तो जो बिल रखा है

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाये और मैं यही निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से बिचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बादुदार।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उस पर अगर गम्भीरता से विचार किया जाये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि नन्दाजी की घोषणाओं के उपरान्त भी हमारी राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास न करके यह प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार अधिक पनपाया जाये। मैं यह कहना अनुचित नहीं समझूंगा कि सरकार ने जो यह खादी बोर्ड बनाया है इसके द्वारा, चाहे कागजों के अन्दर आपने ध्येय कुछ भी रखा हो लेकिन, यह सत्य है कि सत्तारूढ़ दल ने इस योजना के अनुसार सारे व्यक्तियों की जिन्दगी के ऊपर गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, अपने दल के प्रचार करने के लिए एक ऐसी एजेन्सी कायम कर ली है कि दल को अपनी जेब से कुछ खर्च न करना पड़े और चुनावों के समय में उनको इस तरह के एजेन्ट मिल जायें जिनको पैसा नहीं देना पड़े और उनको पैसा सरकार के खजाने से या बोर्ड की आड़ में मिल जायें। यह केवल राजधानी की ही बात नहीं है, प्रत्येक तहसील में, शहर के अन्दर, इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। आज जहां खादी भण्डार देखे जाते हैं उनकी आय के अन्दर इतने घोटाले देखे जाते हैं कि जिसका स्पष्ट प्रमाण आज माननीय सदस्यों के भाषणों से स्पष्ट देखने को मिलता है। नाम को वे खादी भण्डार बताये जाते हैं लेकिन वहां पर मिल की सूत का बना हुआ कपड़ा खादी के नाम से बेचा जाता है।

तो इस प्रकार की व्यवस्था जो खादी भंडारों में कपड़ों के अन्दर चलती है, इस प्रकार की व्यवस्था जो खादी के नाम से जो ग्रामोद्योग चलते हैं—जो तेल उद्योग चलते हैं, जो साबुन उद्योग चलाये जा रहे हैं—जितने भी उद्योग चलाये जा रहे हैं, और जिन नामों से उनको पैसा देने के लिए, एड देने के लिए, उनको ग्रान्ट देने के लिए, यह आड़ काफी है कि खादी का बोर्ड लगा हुआ है और खादी के बोर्ड की आड़ के अन्दर मशीन का तेल बिक रहा है, बड़े बड़े कारखानों से आया हुआ साबुन वहां बिकता है, बड़े बड़े कारखानों का बुना हुआ कपड़ा वहां बिकता है। मैं यह प्रथम बार ही कोई यहां नहीं कह रहा हूं; समय समय पर विधान सभा के सामने यह बात आई है, यहां तक कि पिछले सत्र के अन्दर जनसंघ के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने इस सदन के अन्दर खादी बोर्ड के सम्बन्ध में एक प्रश्न रखा था और वहां पर चल रहे घोटालों के बारे में जिक्र किया था, तो मुख्य मंत्री ने बड़ी होशियारी के साथ इस बात को दबाने के लिए, इस बात को एवोइड करने के लिए हाउस को आश्वासन दिया था कि वे इस सम्बन्ध में पूरी जांच

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करेंगे. लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वही मुख्य मंत्री जिन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि जांच की जायगी, किस प्रकार से बात का बहाना लेकर. यद्यपि एश्योरेन्स के समय कोई रिज़र्वेशन्स नहीं रखे गये थे. फिर भी प्रेशर डाला गया तो जांच के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने क्या किया कि इस बात को कहकर यह दबाना चाहा कि आप चार्जेज़ दे दें और चार्जेज़ देने के बाद जांच कमेटी बिठायेंगे।

दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस हाउस के अन्दर खादी में घोटाले की चर्चा की गई थी और हाउस के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था और जब जांच का समय आया तो किन्हीं राजनैतिक कारणों से, या हो सकता है कि मंत्रिमण्डल में गडबड़ हो जाय, उनको इस पकार लगा कि ऐसा नहीं हो कि वे अपने लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकें, या सत्यता को छिपाने के लिए जांच नहीं करना चाहते हैं। ये घोटाले केवल कोई एक संस्था में नहीं हैं, पर स्थान स्थान पर खादी संघ में घोटाले नजर आते हैं। घोटालों की जांच की जाय और जांच करके अपराधी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय। ऐसा करना तो दूर रहा, आज यह नया संशोधन बिल हमारे सामने रखा गया हैं; इसकी मन्शा कुछ इस प्रकार की रखी गयी है जो नई चीज इसके इन्ट्रोड्यूस की गई हैं वह यह है कि फाइनेन्शियल एडवाइज़र रखा गया है। ऊपर से देखने पर उनकी मन्शा बड़ी नेक मालूम होती है कि सरकार यह चाहती है कि फाइनेन्शियल एडवाइज़र आ जाय तो खादी बोर्ड में हर प्रकार की निगरानी रख सके। लेकिन सत्यता यह है इस फाइनेन्शियल एडवाइज़र की आड़ के अन्दर सरकार अपनी इस कृपा-पात्र संस्था को जो कि उनकी एजेन्ट है; उनके दल का प्रचार करने के लिए एजेन्सी बनी हुई है, उस संस्था को दुबारा पनपाने के लिए ठीक तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, इस प्रकार का बिल इन्ट्रोड्यूस किया जाय और फाइनेन्शियल एडवाइज़र के आधार पर सरकार यह चाहती है कि इस खादी बोर्ड को ठोस बनाया जाय और वह सरकार से ऋण लेकर मनमाने ढंग से उसको खर्च करे। ऋण कितना दिया जाय और क्या कुछ होगा, इसके बारे में अभी चुपचाप रह जायेंगे। कितना ऋण दिया जायगा और किसमें उसको खर्च किया जायगा और सौदेबाजी किस प्रकार से होगी; यह सरकार की मन्शा पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है कि यह खादी कमीशन सरकार से जितना ऋण लेना चाहे वह संस्था के नाम पर ऋण ले सकेगा और ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पर आसानी से बांट दिया जाय। सरकार यह चाहती है कि यह संस्था अधिक से अधिक पैसा लेकर अधिक से अधिक लोगों को इस पैसे से खुश किया जाय।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का डेमेजिंग प्रोवीज़न लाया गया; एक खतरनाक प्रावधान, संशोधन सदन के अन्दर लाया गया तो मैं निवेदन करता हूं कि जो सदन की पद्धति है, जो सदन की प्रतिष्ठा है वह समाप्त हो जायेगी। सदन ने बार बार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

यह मांग की है कि इसकी जांच की जाय। वह जांच नहीं की जाकर इस तरह से किया जाता है। इस पर मेरे से पूर्व नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है। वे स्वयं उसी दल के जिम्मेदार सदस्य हैं। जिस दल के बारे में हमने कहा है कि वह दल अपने दल को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार से इस संस्था को संरक्षण देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की डेमेजिंग क्लॉज़ को यहां पर लाकर, मैं सोचता कि यह जनतन्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं यह भी प्रावधान रखा गया है कि ५००) रु. तक के इर्रिकवरेबल लोन्स को भी वे राइट आफ कर सकते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि इसके क्या माने हैं कि ५००) रु. तक संस्था के अन्दर नुकसान हो तो संस्था ही उसको राइट आफ कर सकती है। इतना ही नहीं। इसके आगे भी गुंजाइश छोड़ दी गयी है कि इससे ज्यादा नुकसान हो तो सरकार को राइट ऑफ करने की इजाजत है। यदि आपकी यही इच्छा है कि सदन आपका विश्वास कर सके तो इस एमेंडमेंट को निकाल दें कि स्वयं अपनी इच्छा से राइट ऑफ कर सकें। आप जनता पर टैक्स पर टैक्स लगाते जायं और ऐसी संस्थाओं को पनपने देंगे तो भ्रष्टाचार के लाखों केसेज़ और घोटालों के अन्दर हम हो जायेंगे और कई घोटाले पैदा हो जायेंगे। इस तरह के बिल लाकर जनतन्त्र को कुचलने की कोशिश की जाती है। इस तरह के बिल से जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फाइनेन्शियल एडवाइज़र के नाम से सरकार से ऋण लेने की व्यवस्था भी की जा रही है। यह एक अहम् मसला है और एक भयंकर आरोप जब संस्था पर लगाये जा रहे हैं तो यह आवश्यक है कि इस बिल पर विचार करने के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाय जो हरेक क्लॉज़ को पढ़े कि इस क्लॉज़ में सरकार की मंशा क्या है? इन सब बातों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

(अनुपस्थित)

Government reply

श्री भैरोंसिंह : अभी बोलना है इस पर।

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो कल तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो चुका है अब।

श्री रामकिशन : बोलने वाले बहुत हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक बहुत हैं कारनामें सुनाने को।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वह इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का है। वह बहुत ऊंची चीज है क्योंकि राजस्थान के अन्दर खादी की विचित्र महिमा है। खादी भारत का एक बहुत ही पुनीत नाम है। जिसका नाम लेते ही पूज्य बापू की तस्वीर

(श्री मानसिंह माहर)

हमारे सामने आजाती है और जब बापू की तस्वीर हमारे सामने आती है और इस तस्वीर के सामने हमारे खादी के उपमंत्री जैसों की भी तस्वीर कुछ धुंधली सी सामने आती हैं तो हमारी आंखें....

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : बड़ी मधुर भाषा में आलाप कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मधुर नहीं करुण भाषा में। आप जैसे खादीवालों के लिए मधुर भाषा हो सकती है, लेकिन मेरे जैसों के लिए तो करुण भाषा ही हो सकती है।

श्री दिनेशरायडांगी : सप्त स्वरों में बोलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मुझ जैसे आदमियों के लिए बहुत ही करुण भाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब खादी के अन्दर मिलावट का प्रश्न आता है। दूध में मिलावट हो सकती है, और चीजों में भी मिलावट हो सकती है, लेकिन बापू की लाड़ली खादी में जब मिलावट की बात आ जाय तो हम कहां जायं ? उपाध्यक्ष महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ता है। उसके बाद में जब राजस्थान खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड बिल, १९६४ जैसी चीज लाने के लिए हिमाकत सरकार करे, मैं तो कहता हूं कि इससे बढ़कर शर्म की बात, इस देश के लिए ही नहीं कहता मैं, पर दुनिया के लिए भी है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि खादी बोर्ड के मंत्री जैसों की निजी संस्था के लिए यह कहा जाय कि वह खादी में मिलावट करते हैं और हमारे राजस्थान का मंत्री यह कहे कि यह ठीक तो था जब कि मिलावट की बात आई और यह बात साबित हुई, लेकिन उनका इससे लेना देना नहीं है। कहां से हो लेना देना ? लेना-देना हो तब, जब कि आपकी हड्डी का लेना-देना हो जाय, आपकी और जगहों का लेना-देना हो जाय। मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मुझे इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जितने खादी बोर्ड और खादी की आला-आला इमारतें बनी हुई हैं वे व्यभिचार के अड्डे हैं। यही नहीं कि खादी में सूत मिलाया जाता है, वह सूत खाली मिल का ही नहीं है, मैं कहता हूं कि वहां व्यभिचार के अड्डे हैं। उनको आप चल कर देखिए। मैंने जाकर देखा है कि वहां पर किस प्रकार के कारनामे होते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रीजी आ गये; थोड़े देर से आये लेकिन मुझे प्रेरणा देने को वे पधारे।

आज जब जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य खादी बोर्ड के गुणगान करते थे तो मंत्री जी को बहुत जोश आ गया। मुझे भी लगा कि मंत्रीजी को जोश तो आया, लेकिन वह जोश गलत समय पर आ गया। यदि उनकी शिक्षा की नीतियां बताई जातीं और उसके खिलाफ डिफेन्स पुट अप करते तो कुछ हद तक काबिले बर्दाश्त होता। लेकिन जब उनको खादी बोर्ड के काले कारनामे बताये गये, हाई कोर्ट का फैसला रखा गया तो दबाने के लिए कह दिया कि खादी बोर्ड ने

(श्री मानसिंह माहर)

जांच करके फैसला किया। हाई कोर्ट के सामने खादी बोर्ड ++++ क्या चीज है।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मन्त्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : यह ++ शब्द आपने बोला है वह अनपार्लियामेंटरी है इसको वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : ++++ शब्द एक्स-पन्जड।

श्री मानसिंह महार : खादी बोर्ड ++++ नहीं तो सुहागिन ही सही....

श्री दिनेशराय डांगी : फिर बोल रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : सुहागिन से आपको एतराज नहीं है तो सदा सुहागिन हो। जब तक दा साहब हैं गद्दी पर....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वे तो लोक भाषा में बोल रहे हैं। यह शब्द अन-पार्लियामेंटरी है नहीं।

श्री मानसिंह महार : ++++ शब्द में क्या ऐसी बात है.......

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : All these ++++ must be expunged.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री मानसिंह महार : उप गृह मंत्री को भी दुख हुआ। मैं समझता था वे हिन्दी के शब्द को समझते होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे भी आज काले कपड़े पहिन कर आये हैं.......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने भी समझने की कोशिश की, लेकिन ++++ समझ में नहीं आया।

श्री मानसिंह महार : यह तो मैं जनता हूं कि कुंभारामजी जीत गये इसलिए काले कपड़े पहिन कर आप आये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'महुआ' भुलाने के लिये कहा है।

श्री मानसिंह महार : 'महुआ' तो तांबे जिन्दगी नहीं भूल सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फ्रेग्रेन्स -(fragrance)फैला था भीलवाड़ा में भी ; महुआ खत्म हुआ।

श्री मानसिंह महार : 'महुआ' खत्म हुआ नहीं। आपकी छाती पर मूंग दल रहे हैं मानधातासिंहजी।

श्री निरंजनाथ आचार्य : एक छाती पर और आया है।

++++ अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मानसिंह महार : वह तो तुम्हारी छाती पर आया है, हमारे लिये तो चौधरी कुंभारामजी जीते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!! No personal talks, please !

श्री मानसिंह महार : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड के बारे में। यह हमारा दुर्भाग्य है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अंदर इस महकमे को हमारे बहुत ही पुनीतऔर आदरणीयऔर बहुत ही वृद्ध दा साहब को यह महकमा दिया गया है। सरकार उन्हें यह महकमा नहीं देना चाहिए था। मैं फिर कहता हूं कि दा साहब को स्वतः ही इस महकमे को छोड़ना चाहिए क्योंकि वे स्वयं अपने आपको बापू के पुजारी मानते हैं। राजस्थान विधान सभा के सदस्यों में कांग्रेस के सबसे बड़े यदि कोई गांधीवादी हैं तो दा साहब हैं। आप भी उपाध्यक्ष महोदय, शायद इसकी ताईद करते हैं। हां, वे गांधीवादी हैं हम भी मानते है। लेकिन वे गांधीवादी जब तक राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तब तक थे, लेकिन जब....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं है।

श्री मानसिंह महार : डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है तो डिप्टी लीडर तो हैं। वह तो मथुरादासजी माथुर को कह देंगे ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने चार दफा कहा है कि किसी दूसरे को बना दीजिये।

एक माननीय सदस्य : अब तो यह पद छिनने वाला है।

श्री मानसिंह महार : मैं जो बात कहना चाहता था वह दा साहब ने कह दी। उन्होंने कह दिया कि मैंने चार बार इस्तीफा दे दिया। गांधीवाद की ओट में जिस प्रकार का फरेब छिपा हुआ है उससे मालूम होता है कि आपने चार बार इस्तीफा दिया, लेकिन आपका इस्तीफा भी सर्वोदयी इस्तीफा होता है। मैं मानता हूं कि गांधीवाद और सर्वोदय को एक कर दिया जाय तो सर्वोदयी आप इस्तीफा दे भी देते हैं लेकिन मंत्री पद को छोड़ते नहीं हैं। जब कभी इस्तीफे की चर्चा आती है तो लोग यह कहते हैं....

श्री दिनेशराय डांगी : बड़ी हमदर्दी है आपको।

श्री मानसिंह महार : मुझे आपसे ज्यादा है। आपके भी गुणगान करूंगा। आपकी रंगरेलियों का और सब बातों का हवाला दूंगा, घबराइये नहीं।

सर्वोदयी नेता के नाते आप सार्वजनिक कार्य करते हैं। इस्तीफा दे देते हैं, लोगों की शिकायत होती है तो उनका मुंह बंद कर देते हैं और फिर मंत्री पद पर चिपके रहते हैं। यह तो खूबी हैं इसके लिये हम आपको बधाई देते हैं। यह आपकी योग्यता का नमूना है। चार चार बार इस्तीफा देकर चिपके हुए हैं। वह दिन भी याद है जब आप जयनारायणजी व्यास के साथ थे ....

श्री उपाध्यक्ष : खादी ग्रामोद्योग से इसका क्या संबंध है ?

श्री मानसिंह महार : ये चीजें कही जावें तो भी वे छोड़ेंगे नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि पूर्व वक्ताओं ने दा साहब का पुराना इतिहास नहीं बताया। खादी के सर्वोदयी नेता और कितनी जबर्दस्त सेवा कर रहे है, कितनी जबर्दस्त सेवा, खादी बोर्ड के मंत्री ऐसे आदमी को रखा जिसने खादी में मिल मेड सूत को मिलाने में सहायता की, यह मान भी लें कि उनके चेयरमेनशिप में यह बात हुई, लेकिन रेस्पोन्सिबिलिटी कुछ नहीं। चिरंजीलालजी की जिम्मेदारी नहीं थी। यह आपकी तारीफ थी। मैं भी यह मानता हूँ कि किसी दोस्त को दलदल या कीचड़ से निकलना हो तो रेस्पोन्सिबिलिटी किसी एल० डी० सी० या किसी इन्सपेक्टर पर छोड़ कर बड़ों बड़ों को निकाल दिया जाय। लेकिन दा साहब आपको मालूम होना चाहिये कि यह सन् ६४ है। पंजाब के सरदार प्रतापसिंह कैरों का क्या हाल हो रहा है ...

श्री दिनेशराय डांगी : इस एक्ट से इसका क्या ताल्लुक है?

श्री मानसिंह महार : आपकी रिश्वतखोरी का नमूना भी पेश करूंगा।

आपकी शराब खोरी और २ तारीख को महात्मा गांधीजी के जन्म दिन पर पी० ए० सी० के सदस्यों को दिल्ली में शराब और मांस सर्व किया था वह भी बताऊंगा। मैं उप-मंत्री जी से कह रहा हूं कि आपने मांस सर्व कराया, मांस और मदिरा सर्व कराई राजस्थान विधान सभा के पी० ए० सी० के सामने ...

श्री दिनेशराय डांगी : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मानसिंह महार : मैं बताऊंगा गलत है या सही है।

श्री दिनेशराय डांगी : मांस जरूर सर्व किया था। शराब तो आपके माता-पिता पीते होंगे।

श्री मानसिंह महार : उप-मंत्रीजी ने मांस सर्व कराया, इससे बढ़ कर कोई शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री दिनेशराय डांगी : नहीं करवाया था।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! time is over and the House is adjourned till 11 A. M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ५ बजे, मंगलवार, दिनांक २० अक्टूबर, १६६४ के म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)—

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५५ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति कठूमर में सन् १९६० से अब तक जलसों व मंत्रियों के आगमन पर हुए व्यय की सूची

क्रमांक	वर्ष	प्रयोजन	उद्‌घाटनकर्त्ता	खर्चा
				रु० पै०
१.	१९६१	सहकारिता दिवस व वनमहोत्सव	सार्वजनिक निर्माण मन्त्री	२९५–६१
२.	१९६१	गणतन्त्र दिवस	—	१५०–००
३.	१९६२	गणतन्त्र दिवस	—	२००–००
४.	१९६२	स्वतन्त्रता दिवस	—	१००–००
५.	१९६३	गणतन्त्र दिवस	—	१२५–००
६.	१९६३	पंच सरपंच सम्मेलन	मुख्य मन्त्री	२,८५७–२१

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ का उत्तर देखिये.)

दिनांक ३०-१०-६३ को प्रातः ६ बजे रात भर भवानीपुरा प्लान्टेशन मनोहर थाना रेन्ज के अन्दर चोरी से चरती हुई कुछ मवेशी पकड़ी गई, जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	नाम आसामी	ग्राम	मवेशी
१.	श्री प्रभू वल्द देवा	मान्याखेड़ी	२ भोटी
२.	श्री जीवन पुत्र सीताराम तेली	,,	४ भैंस, २ गाय, १ भोटी, ३ बैल
३.	श्री मथुरा पुत्र कंवरलाल	,,	२ बैल
४.	श्री केसरा पुत्र भंवरलाल	,,	२ भैंस, १ भोटी
५.	श्री बन्सी पुत्र अमरा लोधा	,,	२ बैल
६.	श्री प्रताब पुत्र बालाबख्श	,,	१ भोटी, १ पाड़ी, २ बैल
७.	श्री राधाकिशन पुत्र भंवरलाल	,,	३ बैल
८.	श्री नारायन पुत्र किशन भील	,,	१ भैंस, १ भोटी, १ पाड़ी, २ बैल,
९.	श्री वीरमा पुत्र अमरी	,,	१ भैंस

इसके अतिरिक्त कई व्यक्ति अपनी काफी मवेशी लेकर भाग गये ।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०३ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समिति, सांचोर को सन् १९५९-६० से १९६३-६४ तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिये दी गई धन-राशि की सूची

क्रमांक योजना	वर्ष				
	५९-६०	६०-६१	६१-६२	६२-६३	६३-६४
अ. अनुसूचित जन जाति					
१. छात्रवृति	१००	६००	२५०	३५०	३००
२. सिंचाई के कुए	२०००	—	—	—	—
३. कृषि के लिये बैलों की जोडी के निमित	२५०	२५०	—	—	—
योग	२३५०	८५०	२५०	३५०	३००
ब. अनुसूचित जाति					
१. छात्रवृति	७५	३७५	७००	८००	७००
२. कृषि भूमि पर पुर्नसंस्थापन	—	—	७५०	७५०	—
३. पानी पीने के कुए	—	—	—	२०००	२०००
योग :	७५	३७५	१४५०	३५५०	२७००
स. पिछड़े हुऐ देहाती इलाकों के विकास हेतु					
पानी पीने के कुए	१०००	१२१००	—	—	—
योग :	१०००	१२१००	—	—	—

* शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १९ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६ व ७	२१ व १	श्री भैरोंसिह्	श्री भैरोंसिह्
८ व ९	२४ व ६	श्री भीवाभाई	श्री भीखाभाई
११	शीर्षक	तारकित	तारांकित
१३	१५.	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट;
१९	शीर्ष	(श्री निर्ंनजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
२४	२१	श्री भीखभाई	श्री भीखाभाई
२५	७,८	श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ किश्नोई!	प्रश्न संख्या ४४६
		प्रश्न संख्या ४४६	श्री अध्यक्षः श्री रघुनाथ बिश्नोई।
,,	१२	४४७श्री उमरावसिंह् ढबिरिया	४४७. श्री उमरावसिह ढाबरिया
२६	३	(श्री भीखाभई)	(श्री भीखाभाई)
२९	शीर्ष	(श्री थुर्गालाल	(श्री दुर्गालाल
३४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्त	तारांकित प्रश्नोत्तर [३४
४०	१९	श्री अद्यक्ष :	श्री अध्यक्ष :
,,	२१	श्री नत्थीहार :	श्री नत्थीसिंह् :
४२	शीर्षक	त्तश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
४३	,,	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
४४	अन्तिम से ३	श्री अद्यक्ष :	श्री अध्यक्ष :
४५	शीर्षक	प्रप्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
४६	१३	संख्या।	संख्या
५१	शीर्षक	तरांकित	तारांकित
५७ से ६०	शीर्षक	अक्टूवर	अक्टूबर
५९	,,	तारंकित	तारांकित
,,	३	श्री भैरोंसिह :	श्री भैरोंसिंह् :
,,	२०	श्री अद्यक्ष :	श्री अध्यक्ष :
६०	३	(साचांर)	(सांचोर)
६२	शीर्षक	तारकित	तारांकित

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६३	२	प्रश्नांत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	४	नोहर	(नोहर)
६४	२२	मुश्रावज	मुश्रावजे
६६	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
६७	शीर्ष	—	(श्री योजना मंत्री)
७१	,,	(श्री माणकचन्द	(श्री मानिकचन्द
७२	८	फाम	फार्म
७६	शीर्ष	(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')	(श्री वन मंत्री)
८१	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
८२	,,	तारांकित	अतारांकित
८३	शीर्ष	—	(श्री पंचायत मंत्री)
,,	१८	(साचोर)	(सांचोर)
८५	शीर्षक	अक्टुबर	अक्टूबर
,,	शीर्ष	—	(श्री देवस्थान मंत्री)
८६	१५	विषयक :	विषयक स्थगन-प्रस्ताव
८७ से १०२	शीर्षक	कमी सम्बन्ध	कमी सम्बन्धी
८७ व ६१	,,	अक्टुबर	अक्टूबर
८६	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१०८	अन्तिम से ७	प्रतिवेदन के	(प्रतिवेदन के
१०६	शीर्षक	वेदावली)	बेदखली)
११५	१	श्री अध्यक्ष श्री सतीशचन्द्र	श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र
११६ से १२०	शीर्षक	विधेयक ६४	विधेयक, ६४
१३२ से १३४	,,	संशोधन	(संशोधन)
१६१	अन्तिम से ३	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह्
१६२	शीर्षक	विधेसक, ६४	विधेयक, ६४
१७२	४	(बियाना)	(बयाना)
१७३ से १७६	शीर्षक	उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन) विधेयक, ६४	राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, ६४
१७४	४-५	(२.४१ म.पू.) (श्रीमती लक्ष्मी कु. चूंडावत, पदासीन)	(२.४१ म.पू.) (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१७८से १८८	शीर्षक	संशोधन	(संशोधन)
१८३	,,	अक्टूवर	अक्टूबर
१८६	२५	उपाध्याय	उपाध्यय
१६०	शीर्षक	(संशोधत	(संशोधन)
,,	१८	श्री हरिभाउ	श्री हरिभाऊ
१६२	५	उपाध्याय	उपाध्याय
१६७	शीर्ष	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
२०३-२०४	शीर्षक	गांधी सागर बांध में पा–१६ अक्टूबर, ६४–कमी सम्बन्ध स्थगन प्रस्ताव	राज० खादी ग्रामोद्योग–१६ अक्टूबर, ६४–बोर्ड (संशोधन) विधेयक, ६४
२०५	शीर्षक	अक्टुबर	अक्टूबर
२१६-२२३	शीर्षक	–१६ अक्टूबर, ६४–	–१६ अक्टूबर, ६४–
२२२व२२६	,,	संशोधन	(संशोधन)
२२४	अन्तिम से ६	(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष,	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष,
२३८	शीर्षक	विधेयक ६४	विधेयक, ६४

नोट :— विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।